खण्ड-439, अंक-5
सोमवार, 7 ज्येष्ठ, शक संवत् 1923
(28 मई, 2001 ई0)

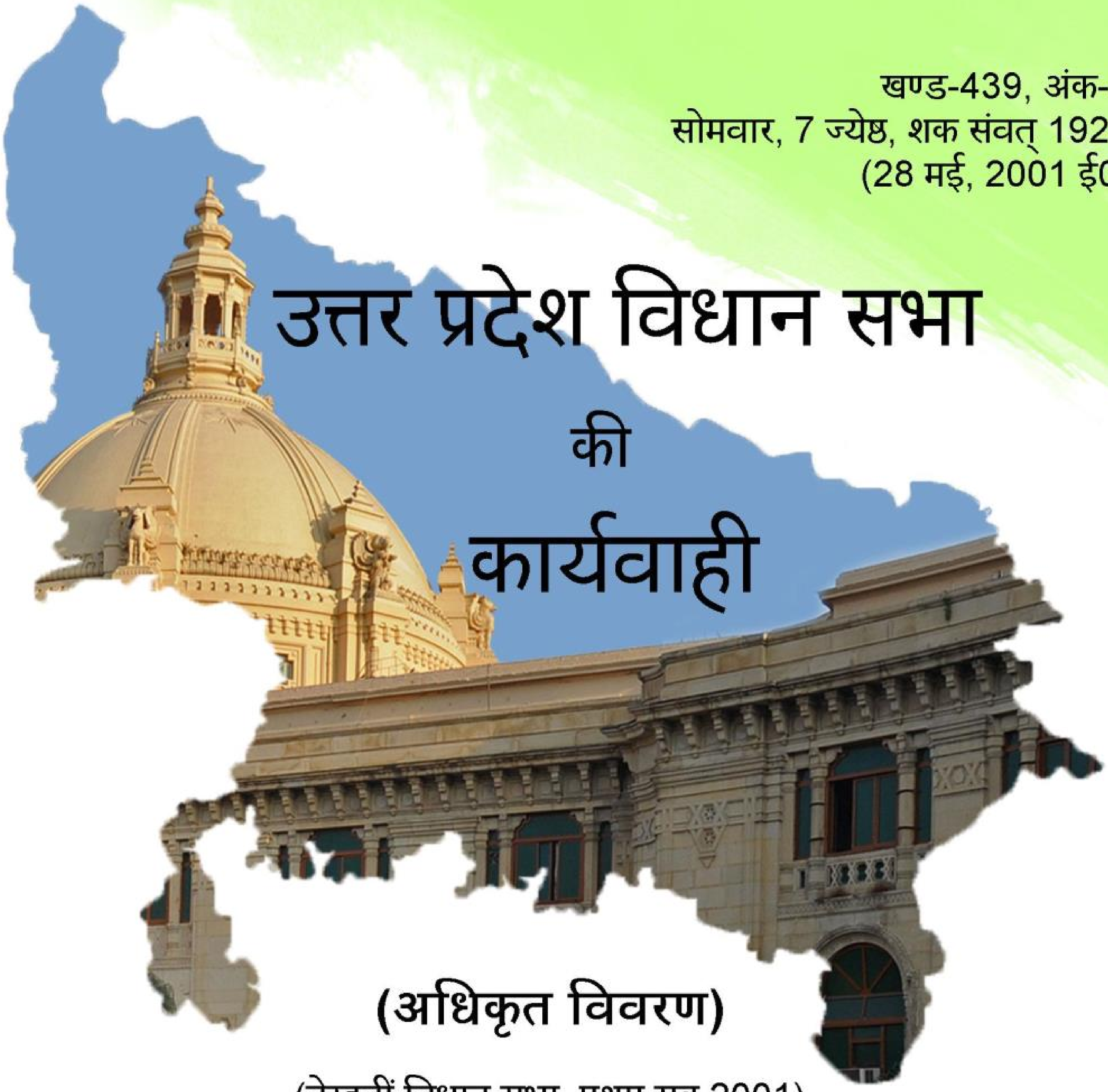

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 439 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ख
प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं की कथित हत्या संबंधी नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग ..	1-3
प्रश्नोत्तर	3-34
लोकसभा की भांति विधान सभा में भूतपूर्व सदस्यगण श्री भीमा प्रसाद यादव, श्री मुफ्ती फखरुल इस्लाम तथा श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह के निधन पर पीठ द्वारा शोकोद्गार	34-35
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	35
जनपद आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत महुई नदी पर रैदा में अधूरे पुल का निर्माण पूर्ण कराने एवं इसी नदी पर सोदका में पुल निर्मित कराने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	35-36
रामनगर (वाराणसी) स्थित राजकीय किशोर गृह एवं सम्प्रेक्षण गृह में व्याप्त अनियमिततांओं को दूर करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	36
जनपद बस्ती में पीलीभीत–बहराइच मार्ग के शेष बचे भानपुर से मनौढ़ी तक लगभग 22 कि० मी० मार्ग को चौड़ा करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.	37
जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत अधूरी सड़कों को पूरा कराने सड़कों की मरम्मत एवं पुलिया निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	37-38
दूध पाउडर पर हरियाणा की भांति उत्तर प्रदेश में भी केन्द्रीय व्यापार कर 4% के स्थान पर 1% करके विसंगति दूर करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	39
दिनांक 1 मई, 2001 को पुरःस्थापित उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सचिवालय कर्मचारी भर्ती तथा सेवा की शर्तों का विधेयक पर संविधान के अनुच्छेद 207(3) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की सिफारिश प्राप्त न होने के कारण विचार एवं पारण की कार्यवाही न हो पाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	39-40
दिनांक 25-3-92 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–17, के संबंध में दी गयी विशेषाधिकार की सूचना के संबंध में प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–166, के अन्तर्गत संशोधित उत्तर दिये जाने हेतु मा० अध्यक्ष के निर्णय के बावजूद कृषि मंत्री द्वारा संशोधित उत्तर न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	40-41

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मैनपुरी, ग्राम सभा सोज के पूर्व प्रधान तथा वर्तमान प्रधान को जिलाधिकारी द्वारा निहित स्वार्थवश झूठे मुकदमें में फंसाये जाने के संबंध में श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि द्वारा दिये गये औचित्य के प्रश्न की सूचना को नियम–51 में परिवर्तित कर वक्तव्य हेतु स्वीकृत	41
मेरठ में नालों की सफाई के प्रकरण को उठाये जाने का प्रयास	41-42
प्रदेश के विभिन्न जनपदों में समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं की कथित हत्या/फर्जी मुकदमों में फंसाये जाने के संबंध में नियम–311 के अन्तर्गत सूचना	42-53
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	53-54
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–21 खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	54
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)	55
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	55-56
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) (स्वीकृत) ...	56
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत)	56-57
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	57-58
प्रदेश के विश्वविद्यालयों में मानक एवं नियमों के विरुद्ध रीडर एवं प्रवक्ताओं की नियुक्तियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा, नियम–51 के अर्न्तगत, दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	58-60
जनपद गाजियाबाद में घटिया निर्माण सामग्री से बहुमंजिली इमारतों के बनाये जाने में भूकम्परोधी तकनीक का प्रयोग न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य	60-62
प्रदेश के छह जनपदों का नया परिसीमन करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य	63

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद जालौन के थाना–कदौरा के ग्राम–चतेला निवासी भारतीय सेना के जवान श्री नसीम अहमद एवं उसके परिवारजन को पुलिस द्वारा उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री श्रीराम पाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य	63-64
निदेशक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान हेतु किये गये आयोजन में शासन द्वारा स्वीकृत धन का दुरुपयोग एवं अनियमितता किये जाने के संबंध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य	65
व्यापार कर अधिनियम की धारा–4 "ए-ए" के प्राविधानों की विसंगतियों के संबंध में, श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य	65-66
जनपद चन्दौली के विकास खण्ड चहनियां अन्तर्गत ग्राम सभा चकता में हुए अग्निकाण्ड के प्रभावित परिवारों को शासन द्वारा राहत एवं समुचित सहायता न दिये जाने के संबंध में श्री प्रभु नारायण सिंह यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य	66
प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कैरोसीन आयल मानक के अनुसार वितरित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य ...	66-68
जनपद बलरामपुर की सीमा से लगी सिद्धार्थनगर की सीमा पर बांध बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बिन्दु लाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य	68
श्री अनीस अंसारी, श्रम आयुक्त, उ० प्र० शासन द्वारा "आल इण्डिया सर्विस (कन्डक्ट) रूल्स, 1968" का उल्लंघन करके, "बाम्बे मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड" बम्बई के निदेशक पद का चुनाव लड़ने के संबंध में, श्री सौलत अली एडवोकेट द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य	68-70
अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम में किये जा रहे करोड़ों के घोटाले से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री उदयराज यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य	70-71

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद संत रविदासनगर (भदोही) में, बेसिक शिक्षा कार्यालय में, लेखाधिकारी (वित्त) के न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य	71-72
जनपद चित्रकूट की तहसील कर्बी अन्तर्गत ग्राम–निही में अनुसूचित जाति कोलों की भूमि को बड़े काश्तकारों द्वारा अभिलेखों में फर्जी इन्द्राज कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री ददू प्रसाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य	72-73
लोक निर्माण विभाग, खण्ड–2, आगरा द्वारा की जा रही कथित वित्तीय अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री विजय पाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य	73-74
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर द्वारा की जा रही कथित अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के संबंध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य	74-76
नत्थियां	77-80

अदर पदेश्वा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 28 मई, 2001

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
2–अजय राय, श्री	वाराणसी
3–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
4–अनिल कुमार, श्री	बलिया
5–अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
6–अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
7–अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
8–अमर मणि, श्री	महराजगंज
9–अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
10–अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
11–अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
12–अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
13–उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
14–उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
15–ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर
16–ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
17–ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
18–कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
19–कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
20–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
21–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
22–गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव
23–गणेश राजभर, श्री	गाजीपुर
24–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच
25–चौधरी लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
26–छब्बू पटेल, श्री	वाराणसी
27–जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
28–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
29–जयपाल सिंह, श्री	मेरठ
30–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भय्या, श्री	गोरखपुर
31–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
32–तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
33–दयाशंकर, श्री	जालौन
34–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
35–देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
36–देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात
37–धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
38–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद
39–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
40–नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
41–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
42–पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
43–प्रदीप कुमार, श्री	सहारनपुर
44–प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
45–फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
46–बच्चा पाठक, श्री	बलिया
47–बांके लाल सोनकर, श्री	जौनपुर
48–बाबू राम, श्री	जालौन
49–बी० के० गुप्ता, श्री	पीलीभीत
50–मंजू, श्रीमती	बलिया
51–मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
52–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

53–मारकण्डेय चन्द्र, श्री — गोरखपुर
54–मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
55–रंगनाथ मिश्र, श्री — भदोही
56–रज्जन पाल सिंह, श्री — एटा
57–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
58–रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
59–रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो० — मेरठ
60–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
61–राकेश धर त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
62–राजधारी, श्री — बलिया
63–राजनाथ सिंह, श्री — बाराबंकी
64–राजा गजनफर अली खां, श्री — बिजनौर
65–राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
66–राजेन्द्र यादव, श्री — गाजीपुर
67–राधेश्याम, श्री — कानपुर देहात
68–राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
69–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० — कानपुर नगर
70–राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
71–राम खिलाड़ी, श्री — बदायूं
72–रामजग, श्री — आजमगढ़
73–राम नरेश रावत, श्री — गाजियाबाद
74–राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
75–राम बाबू हरित, डा० — आगरा
76–राम लखन, श्री — सुल्तानपुर
77–राम स्वरूप शर्मा, श्री — मथुरा
78–रामाधार सिंह, श्री — हमीरपुर
79–लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
80–लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
81–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
82–विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री — गोण्डा
83–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
84–विरेन्द्र सिंह, श्री — वाराणसी
85–विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
86–वेद प्रकाश, श्री — बस्ती
87–वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा० — बिजनौर
88–शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
89–शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
90–शिव पाल सिंह यादव, श्री — इटावा
91–शिव प्रताप शुक्ल, श्री — गोरखपुर
92–शिव बहादुर सक्सेना, श्री — रामपुर
93–शिव शंकर, श्री — बांदा
94–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
95–शेर बहादुर, श्री — अम्बेडकरनगर
96–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
97–श्रीराम पाल, श्री — जालौन
98–संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
99–सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
100–सत्य प्रकाश सोनकर, श्री — वाराणसी
101–सन्त राम सिंह, श्री — जालौन
102–समरपाल सिंह, श्री — मेरठ
103–सरदार सिंह, श्री — मथुरा
104–सुखपाल पाण्डेय, श्री — बस्ती
105–सुधाकर सिंह, श्री — मऊ
106–सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
107–सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
108–हरिनारायण, श्री — बलिया
109–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र
110–हरिशंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
111–हरिशंकर माहौर, श्री — अलीगढ़

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

सोमवार, दिनांक 28 मई, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजकर 02 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 02 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई ।)

प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं की कथित हत्या सम्बन्धी नियम–311 के अन्तर्गत, दी गयी सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, नियम 311 में जो हमने दिया है और समाजवादी पार्टी की तरफ से है, इतना महत्वपूर्ण है, आप देखो कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या का सिलसिला जारी हो गया है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के बारे में आप हमारी व्यवस्था जानते हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आप हमारी नोटिस देखेंगे तो इसी सदन के सदस्य रहे आज राज्य सभा के सदस्य हैं मोहम्मद आज़म खां साहब.....

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम–56 से पहले देख लूंगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैनपुरी में ताण्डव नृत्य हो रहा है । डकैती, कत्ल हो रहे हैं और अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है । जिलाधिकारी मैनपुरी बदमाशों को लाइसेंस देकर....

श्री अध्यक्ष–

आज थोड़े प्रश्न हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस तरह की घटनायें मैनपुरी, इटावा, रामपुर, इलाहाबाद, बनारस, बलिया आदि तमाम जिलों में घट रही हैं जिससे विशेष परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 में एक और सूचना है उसी के बारे में जो निर्णय लिया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह घटना नहीं है कई घटनायें इस तरह की हो रही हैं । कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

अभी पिछले सप्ताह इसी सदन में लोगों ने चिन्ता व्यक्त की है कि सदन का कार्य सुचारु रूप से चले । मैं कह रहा हूं कि नियम–56 से पहले सुन लूंगा ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

मान्यवर, यह प्रकरण बहुत ही गम्भीर है, इसलिए आपसे आग्रह बार-बार किया जा रहा है, इसको सुन लीजिये । जिद तो हमने कभी की नहीं । विशेष परिस्थिति में आपसे आग्रह कर रहे हैं । नियम–311 बना भी इसीलिए है । विशेष परिस्थिति हो तो कार्य स्थगित करके इसको सुन लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसको नियम–56 में देना चाहिए था । केवल समय की बात है । नियम–56 की सूचना लेने से पहले इसको ले लेंगे ।

(श्री उदयराज यादव, डा० कौशल किशोर, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री राधेश्याम जायसवाल आदि के साथ समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और अपनी सूचना को पहले सुनने का आग्रह करते रहे ।)

श्री अध्यक्ष–

मैंने सूचना पढ़ ली है । मैं कह रहा हूं कि नियम–56 से पहले आपको सुन लिया जायेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सदन चले, हम लोग भी यही चाहते हैं और आपसे आग्रह कर रहे हैं कि यह गम्भीर विषय है, इसको सुन लिया जाय ।

(कई सदस्यों के बोलते रहने पर सदन में व्यवधान बना रहा ।)

श्री अध्यक्ष–

पिछली बार भी आपकी सूचना नियम–56 से पहले ले ली थी । उसके पहले बी०एस०पी० नेता की सूचना थी, वह भी नियम–56 से पहले ले ली थी । मैं कह रहा हूं कि नियम–56 से पहले सुन लूंगा ।

*श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक सुनिश्चित योजना के तहत आज़म साहब पर जिस तरह से उनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले ही हटा ली गयी, प्रयास किया जा रहा है कि उनकी हत्या कर दी जाय ।

(कई सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राधेश्याम जायसवाल–

मान्यवर, समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर इस तरह से हमले हो रहे हैं। आज़म साहब के ऊपर इस तरह से.....

श्री अध्यक्ष–

आप सदन चलने दें। मैंने कहा है कि नियम–56 से पहले सुन लूंगा।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, विशेष परिस्थिति में आग्रह कर रहे हैं, सुन लीजिये।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण 11 बजकर 07 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 11 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बाबतपुर मामले के सम्बन्ध में सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष–

तीन दिन का काफी समय बाबतपुर पर लगा है, इसकी अनुमति नहीं है। कुंवर साहब आपकी सूचना नियम–56 पर सुन लेंगे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि० की जल विद्युत परियोजनाओं में उत्पादन का विवरण

*1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जल विद्युत एवं ताप विद्युत के उत्पादन की लागत प्रति यूनिट अलग-अलग क्या है ? क्या यह सही है कि जल विद्युत की लागत ताप विद्युत की अपेक्षा बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश में जल विद्युत का उत्पादन बढ़ाये जाने के लिए कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० के प्रत्येक जल विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन लागत संलग्न विवरण के अनुसार यद्यपि भिन्न-भिन्न है, लेकिन उ० प्र० जल विद्युत निगम द्वारा वर्तमान में वृहद् जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत रु० 0.35 प्रति यूनिट एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्पादित विद्युत रु० 1.70 प्रति यूनिट की दर से बेचे जाने के सम्बन्ध में उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० से पी०पी०ए० हुआ है ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन के सुधार हेतु उ० प्र० जल विद्युत निगम द्वारा नवीं पंचवर्षीय योजना में पांच तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना में छः जल विद्युत परियोजनाओं, जिनका जीवनकाल पूर्ण हो रहा है, के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण की कार्यवाही संलग्नक ''क'' के अनुसार की जानी प्रस्तावित है, जिसके पूर्ण होने पर जल विद्युत उत्पादन में सुधार होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 77 पर ।)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा है कि प्रदेश में जल विद्युत एवं तापीय विद्युत की उत्पादन लागत प्रति यूनिट अलग-अलग है ? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया, संलग्न विवरण के अनुसार भिन्न-भिन्न उत्पादन है, लेकिन संलग्न विवरण में उत्तर नहीं है, जो उत्तर है वह स्पष्ट नहीं है, भ्रामक है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं प्रदेश में जल विद्युत का उत्पादन बढ़ाये जाने के लिए कोई योजना बनाई गई है ? उत्तर में उत्पादन लागत का विवरण नहीं है, मैं उत्पादन लागत जानना चाहता हूं इसके अलावा संलग्न विवरण में जो परियोजनाओं के नाम दिए हैं इनके अलावा क्या प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अन्य योजना है ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रश्न का जो पहला भाग है इसमें लिखा है कि जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत रु० 0.35 प्रति यूनिट है और जो तापीय विद्युत है यह 1.48 पैसा है दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि कौन-कौन सी योजनायें उत्तर प्रदेश में हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि दो परियोजनायें उत्तर प्रदेश में हैं, टोटल 11 परियोजनायें थीं जिसमें नौ परियोजनायें उत्तरांचल में चली गईं दो उत्तर प्रदेश में बची हैं एक है रिहन्द 300 मेगावाट, दूसरी है ओबरा 99 मेगावाट । इस समय उत्तर प्रदेश में जलीय विद्युत उत्पाद का बड़ा स्कोप नहीं है, जहां नहरें हैं जहां पानी उपलब्ध है अगर सम्भव होगा तो वहां प्रयास किया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष–

आपने कहा 35 पैसे प्रति यूनिट लागत है लेकिन जो आपने उत्तर दिया है इसमें बेचे जाने की बात है इसको शुद्ध कर लें ।

श्री हुकुम सिंह–

सारी योजनाओं की लागत अलग-अलग है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जल विद्युत से उत्पादन होता है 35 पैसे प्रति यूनिट, थर्मल पावर से 1 रुपया 48 पैसे आता है, जहां तक मंत्री जी ने कहा कि नहरें हैं पूरा प्रदेश जानता है बहुत सारी नदियां हैं. और उनको बढ़ावा भी दिया जाता है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की कोई कार्यक्रम बनायेगी जिससे कम लागत में उपभोक्ताओं को बिजली मिल सके, विद्युत की उत्पादन लागत कम हो ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यही कार्यक्रम बनना चाहिए था और यदि जल विद्युत को प्रोत्साहित किया जाता तो बिजली सस्ती होती । यह सही है कि जल विद्युत की ओर ध्यान नहीं दिया गया और थर्मल विद्युत की ओर ध्यान दिया गया है । मान्यवर, नौ योजनाएं उत्तरांचल में चलीं गयी हैं । जो क्षेत्र बचा है उसमें हमारा प्रयास यह होगा कि विद्युत उत्पादन हो ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, पहले तो यह पूछना चाहूंगा माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी से, क्या ऊर्जा मंत्री और दोनों राज्य मंत्रियों ने अपना काम करना बन्द कर दिया है ? आज पहली बार सदन में माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी उनकी तरफ से उत्तर दे रहे हैं । मान्यवर, दूसरा मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि आपने दो जल परियोजना के बारे में बताया है । तो क्या कोई और योजना नहीं हैं ? आप सुधार कर लें, जो सबसे बड़ी योजना है, चौबीस सौ मेगावाट, की और उत्तर प्रदेश को उससे बिजली मिलने वाली है, जो उत्तरांचल में है उसमें आपका शेयर होगा । आपने टिहरी परियोजना का कोई जिक्र नहीं किया है ? माननीय गोरखनाथ जी का प्रश्न जल विद्युत और तापीय विद्युत से संबंधित है । तो क्या उत्तर प्रदेश में एटामिक एनर्जी लगाने या गैस पर आधारित विद्युत गृह लगाने की कृपा करेंगे जिससे बिजली की कमी दूर हो ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय कुंवर साहब ने यह कहा, उन्होंने एक आशंका व्यक्त की है कि ऊर्जा मंत्री और दोनों मंत्रियों ने काम करना बंद कर दिया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह पूर्णतया सक्रिय होकर काम कर रहे हैं । आज देहरादून में उत्तरांचल के साथ वार्ता है, क्योंकि शीर्षस्थ स्तर पर वार्ता होनी थी इसलिए सचिव और वे स्वयं भी गये हुए हैं । मान्यवर, टिहरी योजना की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है । मान्यवर, 24 मेजर परियोजनाएं हैं । 11 चली गयीं और टिहरी वाली परियोजना अभी निर्माणाधीन है वह अभी बन रही है । सवाल यह था कि कितना जनरेशन हो रहा था उसका उल्लेख किया है । चूंकि प्रश्न जल विद्युत और तापीय विद्युत के बारे में था इसलिए उसका उत्तर दिया गया । बाकी जितने रिर्सोसेस है जैसे एटोमिक और गैस पर आधारित विद्युत गृह इस पर भी हम काम कर रहे हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने लिखित उत्तर संलग्नक 'क' में लगाया है । उन्होंने कहा है कि यह पांच परियोजनाएं प्रस्तावित हैं । यह सदन के संज्ञान में है कि 2001-2002 नौवीं पंचवर्षीय योजना का आखिरी वर्ष है । तो यह पांच परियोजनाएं नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं में आधुनिकीकरण और जीर्णोद्धार की प्रस्तावित हैं, वह कितने की परियोजनाएं हैं और जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण में कितना पैसा खर्च कर लिया गया और उसका उत्पादन पहले से कितना बढ़ा है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अभी इन परियोजनाओं पर कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है, होना है । कठिनाई यह आयी कि जब से यह योजना आयी है तब से उत्तरांचल के गठन का प्रकरण आ गया, वह अभी तक ऐसी स्थिति में है कि दोनों राज्यों की सम्पत्ति है । उस विवाद का निस्तारण नहीं हो सका जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षा के अनुसार कार्यवाही नहीं हुई है । आज वार्ता होनी है इन परियोजनाओं का मेटिनेंस कौन करेगा,

भागीदारी कैसी होगी ? जो गठन का आदेश करके भेजा था, दोनों राज्यों को अधिकार दिया गया है और, निस्तारण नहीं हो पाता है तो जो केन्द्र सरकार के गुड आफिसेस हैं उनका इस्तेमाल करेंगे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जो मान्यवर, हमारे प्रदेश की रिहन्द और माताटीला परियोजना हैं, अब यह 9वीं पंचवर्षीय योजना का आखिरी वर्ष है, उसमें कार्य नहीं हो पाया है ।

श्री हुकुम सिंह–

अभी नहीं हो पाया है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

एक साल में उस पर आपको धन खर्च करना है इन परियोजनाओं का जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण इन सब पर, इस वित्तीय वर्ष में कितना पैसा खर्च करने का हमने प्रस्तावित किया है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस वित्तीय वर्ष में शासन स्तर का पैसा नहीं लगाया गया है दूसरी एजेन्सी जो हैं उनसे फंडिंग होने वाली है, जैसे-जैसे फण्ड उपलब्ध होंगे, उन पर कार्यवाही होगी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो विद्युत जल शक्ति द्वारा बनी है, बनती है उसकी लागत मूल्य तापीय के मुकाबले कम आता है उत्तर प्रदेश में इन योजनाओं की जो आवश्यकता थी वह नहीं बन सकी हैं । उत्तरांचल में जल विद्युत की परियोजनायें चली गयीं, भौगोलिक कारणों से उनका लाभ नहीं मिल सका है प्रदेश को, अब बटवारे में जो भी स्थिति आयेगी उसकी रिपोर्ट मा० मंत्री जी बाद में रखेंगे । जब उत्तरांचल बनाना आपने स्वीकार किया तो क्या नये सिरे से कुछ परियोजनायें प्रदेश में चालू करने की योजना बनायी है ? मान्यवर, जिन नदियों का प्रवाह पूरे वर्ष बना रहता है पानी का संकट नहीं रहता है यथा-घाघरा–बलिया जनपद की सीमा से होकर बिहार में निकल जाती है उसमें पूरे वर्ष पानी बना रहता है और प्रवाह बना रहता है । तो क्या ऐसे स्थान पर जल विद्युत की परियोजना बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस समय आश्वासन देना सम्भव नहीं होगा । सच्चाई यह है कि चूंकि हम लोग लम्बे पीरियड से डरते रहे । इसलिये जल्दी पीरियड में पूरी होने वाली योजना ले आये उसका परिणाम यह हुआ कि हम रास्ते से भटक गये । हमारे पास जल शक्ति का जो खजाना था वह भी चला गया है । मान्यवर, आप देखें जो स्थापित क्षमता है जल विद्युत की और उसका जनरेशन कितना है । 1520 मेगावाट क्षमता है केवल 492 मेगावाट जनरेशन है । मान्यवर माननीय अम्बिका जी ने जो सुझाव दिया कि जिन नदियों में अच्छा स्कोप है, अच्छा प्रवाह है जिसमें जल विद्युत बन सकती है उसके ऊपर निश्चित रूप से विचार होगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पिछले 10 वर्षों में, 1990-91 से लेकर अब तक एक कट लाईन मान लें कितनी अधिष्ठापित क्षमता थी जल विद्युत की उसमें कितनी वृद्धि हुई । अभी कुंवर साहब ने योजना भवन में हुए झगड़े का जिक्र किया विद्युत विभाग में हड़ताल है मंत्री स्तर पर ।

श्री हुकुम सिंह–

योजना भवन सुचारु रूप से कार्य कर रहा है ।

मान्यवर, कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है इसको मैं स्वीकार करता हूं । इसको कहने में कोई फायदा नहीं है कि इतनी बढ़ोत्तरी हो गयी, मैं इसको स्वीकार करके चल रहा हूं कि इस क्षेत्र की बड़ी उपेक्षा हुई है । क्योंकि सवाल 10 साल का नहीं है, 20 साल का नहीं है, सवाल बड़ा सीमित है । सवाल इतना सा है, दोनों में अन्तर है, सवाल पूछा गया है कि जल विद्युत बढ़ाने पर विचार किया जायेगा या नहीं किया जायेगा, यह सवाल है । मान्यवर, 10 साल या 20 साल के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं न यह सवाल प्रश्न में आता है, इसमें सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पिछले 10 वर्ष में जल विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता में एक मेगावाट की वृद्धि नहीं हुई है । मान्यवर, मैं एक मेगावाट की बात कर रहा हूं, आप बता दें कि किसी जल विद्युत परियोजना में एक मेगावाट की वृद्धि हुई हो, अगर हुई हो तो उसका नाम बता दें, जबकि इन 10 सालों में साढ़े पांच साल इनकी पार्टी का शासन रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि मेरे पास इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, फिर विद्युत संकट कैसे दूर होगा ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जिन पन बिजली परियोजनाओं के आपने नाम गिनाये हैं वह अधिकतर उत्तरांचल में चले गये हैं । उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में, अभी भी वह उसी में फंसा रहेगा, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो मांग है और जनजीवन में विद्युत के बिना बहुत परेशानी पैदा हो रही है इसको देखते हुए पन बिजली की सम्भावना किन-किन नदियों में अधिक है क्या उसका सर्वेक्षण कराकर, पन बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में अधिक हो, क्या इस पर सरकार ध्यान देगी ? दूसरा, कोयले में कमी आती जा रही है और तापीय विद्युत गृह बन्द होते जा रहे हैं तो इसको ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश में कहां-कहां पन बिजली के केन्द्र स्थापित हो सकते हैं, इसको दिखावायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, ध्यान देंगे और ध्यान देने की बात है ।

मान्यवर, माननीय प्रमोद जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है जब हम और यह मिलकर सरकार चलाते थे अगर दोनों ने उस समय मिलकर ध्यान कर लिया होता तो आज यह समस्या न आती ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया है । मान्यवर, यह जल विद्युत क्षमता कांग्रेस शासन की ही देन है किसी पार्टी की सरकार ने क्या एक मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया है, अगर बढ़ाया है, तो वर्ष बता दें ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह जवाब तो आप देंगे । मान्यवर, जो हमारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योजना थी टिहरी योजना उसको ठप करने का काम, बन्द करने का काम केवल प्रमोद जी और उनके सहयोगियों का है और किसी का नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं कि हमने हस्ताक्षर किये थे, 87 में साइन हुए हैं और उसको 12 साल रोकने के लिए कोई जिम्मेदार है तो आप हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, हमारे जनपद मेरठ में भोला और सलावा इनकी कितनी यूनिट स्थापित हैं और जो यूनिट काम नहीं कर रही है उसको सरकार चला[illegible] में [illegible] तक विचार करेगी और दूसरी बात, लागत प्रति यूनिट क्या है ? मान्यवर, मैं आपके संरक्षण में जानना चाहता हूं कि दोनों विद्युत की उत्पादन लागत क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

समस्या के हल की चिन्ता सरकार ने बताई है कि हमें आगे जितनी भी शक्ति उपलब्ध होगी, उनका सर्वे कराकर प्रयास किया जायेगा, नई-नई परियोजनायें लगाई जायें ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश मंत्रि-मंडल के खर्चों में कटौती कम किये जाने की शासन के विचाराधीन कार्ययोजना

*1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने मंत्रि-मण्डल के खर्चों में कटौती करने/मितव्ययता बरतने की अभी हाल में क्या कोई नीति/कार्ययोजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

मंत्रि-मण्डल के खर्चों में कटौती करने/मितव्ययता बरतने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1997 में प्राविधानित आउट आफ पॉकेट खर्च को सीमित किए जाने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत गम्भीर है और इसीलिये सिद्धान्तः उत्तर प्रदेश सरकार भी मंत्रि-मण्डल के खर्चों की कटौती करने पर सहमत हुई है, वैसे अभी क्लियर तो नहीं आया है । मैं आपके माध्यम से दो प्रश्न करना चाहता हूं । पहला, कि किन-किन मदों में मंत्रि-मण्डल के

खर्चों में मितव्यमिता करने का सरकार का विचार है और दूसरा प्रश्न कि वर्ष 2000-2001 में मंत्रि-मण्डल के चाय नाश्ते पर कितना धन खर्च हुआ ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, चाय नाश्ते के बारे में तो पूर्व में कई बार प्रश्न आ चुका है । दूसरे प्रश्न के बारे में बता दूं कि माननीय मंत्रियों/विधायकों को जो मदें अनुमन्य हैं, उसमें है, वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, चिकित्सा भत्ता, टेलीफोन, पेट्रोल-डीजल, दैनिक भत्ता । इसमें मंत्रियों का वेतन है 2500 रुपये, विधायकों का 2000 रुपये । निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दोनों का 5000 रुपये है । चिकित्सा भत्ता एक हजार रुपये दोनों का है । टेलीफोन, विधायक को 2 तथा माननीय मंत्रियों को 3 अनुमन्य हैं, इसी प्रकार दैनिक भत्ता विधायकगण को 200 रुपये प्रतिदिन है । माननीय मंत्रियों को पेट्रोल-डीजल 5 लीटर प्रतिदिन लखनऊ रहने पर अनुमन्य है । जब वह बाहर जायेंगे तो जितना लगेगा, उतना देय होगा । एक मद ऐसी थी जिसका आपने उल्लेख किया, आउट आफ पाकेट एक्सपेन्सेज वाली, वह बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिये मूल उत्तर में भी उल्लेख किया है, उसको सीमित करने का मामला विचाराधीन है, अन्तिम निर्णय होने जा रहा है, समिति की रिपोर्ट दे दी गई है, उस पर निर्णय हो जायेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी से जानना चाहूंगा, वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं, फाईल भी देख रहे हैं मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री पर कुल टोटल कितना खर्चा आता है औसत एक महीने में ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें राज्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री में अन्तर नहीं है । जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं उन्हें पी०आर०ओ० अनुमन्य है और जो स्वतंत्र प्रभार वाले नहीं हैं उन्हें पी०आर०ओ० अनुमन्य नहीं है । लेकिन यह उसका टोटल खर्चा तो निकालने वाली बात है नहीं ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि सर्वाधिक पॉकेट मनी किसने ली है और सबसे कम किसने ली है ? क्या जिन लोगों ने एक लाख रुपये प्रतिमाह से ज्यादा पॉकेट मनी ली है क्या सरकार उनसे उसे वापस करने का अनुरोध करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न तो नीति से सम्बन्धित है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अभी तक नियमों में कोई प्राविधान नहीं था कि कितना पॉकेट एक्सपेंसेज उनको अनुमन्य होगा, लेकिन जब नियमों में कोई प्राविधान ही नहीं था ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि किसने सबसे ज्यादा लिया और किसने सबसे कम लिया ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न नीति से सम्बन्धित है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, लेकिन इस सदन को जानकारी करने का अधिकार तो है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय शाक्य जी ने जो चिन्ता जाहिर की, उनकी चिन्ता इस बात की थी कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए और इसको देखते हुए इस सम्बन्ध में विचार करना भी शुरू हुआ है । जिस प्रकरण पर विचार करने के लिए इसके पहले की सरकारें साहस ही नहीं जुटा सकीं, मान्यवर, यह पहली सरकार है जिसने इस दिशा में भी साहस जुटाया है । इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए थी लेकिन इसमें भी आप उलझ गये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस मंत्रि-मण्डल ने जनता के धन को जितना लूटा है और किसी मंत्रि-परिषद ने नहीं लूटा था, इसलिए आपको कानून बनाना पड़ा । आप बतायेंगे कि कितने मंत्रियों ने एक लाख से ज्यादा लिया है ?

श्री अध्यक्ष–

आप ब्यौरा मांग रहे हैं । एक-एक मंत्री का ब्यौरा मांग रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक-एक मंत्री का ब्यौरा नहीं मांग रहा हूं एक लाख से ज्यादा किसने लिया है, यह बता दें ? मान्यवर, यह गम्भीर प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आप अलग से प्रश्न कर लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बाद में उपलब्ध करा दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस सरकार ने साहस जुटाया है, नीति बनाने का । अगर नाराज न हों तो मैं भी बता दूं । यह उचित नहीं होगा एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाना, लगभग सभी मंत्री रह चुके हैं अगर तुलना कर लें तो जानकारी हो जायेगी, इसके पहले लोगों ने सारे रिकार्ड तोड़ रखे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मंत्री जी बता दें 50 सालों में कि जिसने राम आसरे कुशवाहा जी से ज्यादा पॉकेट मनी ली हो । राम आसरे पासवान जी से ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मूल प्रश्न शाक्य जी ने पूछा है कि क्या प्रदेश सरकार प्रदेश में वित्तीय कठिनाई को देखते हुये मितव्ययता बरतने के लिए कोई कार्ययोजना/नीति बना रही है ? पिछले 4 वर्षों से लगातार इस विषय पर चर्चा सदन और सदन के बाहर होती रही है और सरकार विभिन्न मंचों से कहती रही है कि हम इस संबंध में शीघ्र ही नीति बनाने जा रहे हैं और मंत्रि-परिषद् मितव्ययता बरतेगी परन्तु यह सरकार इन 4 वर्षों में नीति नहीं बना पायी इसका

क्या कारण है ? दूसरे यह जानना चाहता हूं कि मंत्रि-परिषद् त्रिस्तरीय होती है–कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री । आपने उप-मंत्रियों को जेब खर्च सीमा परिभाषित कर दी है कि इससे अधिक जेब खर्च आप नहीं कर सकते । आपने राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री को उस परिधि में नहीं रखा है, इसका क्या कारण है ? आपने राज्य मंत्रियों को और कैबिनेट मंत्रियों को इतनी स्वतंत्रता क्यों दी, प्रदेश सरकार में कोई उपमंत्री नहीं है उनकी सीमा आपने बना दी लेकिन कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को स्वेच्छाचारिता दे दी कि मनचाहा जेब खर्च करें ? मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्रि-परिषद् के खर्चों में कटौती करने की प्रस्तावित नीति क्या है और उसे कब तक लागू कर देंगे ? मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सरकार अपनी सरकार के लिए मितव्ययता बरतने नहीं जा रही है बल्कि आने वाले सरकार के लिए यह नीति होगी और चलते समय इस नीति को घोषित करना चाहते हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय बाजपेयी जी आगे आने वाली सरकार की ज्यादा चिन्ता कर रहे हैं, 50 साल में यह पहली सरकार है जिसने इस दिशा में सोचकर नीति बनाने की बात की । आप भी मंत्री रहे हैं आपकी पार्टी ने तो कितना खर्च किया था ? कम से कम इस सरकार ने इस दिशा में नीति बनाने की बात कही । आप उप मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की बात कर रहे हैं । अगर सारे इतिहास में जाइये तो 1980-81 में यह तय हुआ था कि दोनों के वेतन एक ही रहेंगे । वह इस सरकार ने भी किया है । वर्तमान सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया है जो चली आ रही थी वही नीति अब भी लागू है । वर्तमान सरकार ने अपने मंत्रि-मण्डल के खर्चों में कटौती करने की एक नीति निर्धारित की है, वह आने वाली है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, प्रस्तावित नीति सदन जान ले । मान्यवर, मैंने यह प्रश्न पूछा था कि उप मंत्रियों के लिए खर्च की सीमा है तो वह राज्य मंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों की क्यों नहीं है ? मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर दिलवा दें, यह जनहित में है । इनकी भावी नीति क्या है तथा उसे कब तक लागू कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने कहा है कि अभी विचाराधीन है ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमण्डल के खर्चों के संबंध में राज्य-मंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों में भारी असन्तोष है सरकार जैसे-जैसे निर्णय की स्थिति में होती है, राज्य मंत्रियों में असन्तोष भड़क जाता है इसलिए जानबूझकर अब तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है । जैसा कि माननीय बाजेपयी जी ने भी पूछा मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने दिनों में यह अन्तिम निर्णय ले लेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

शीघ्र ही निर्णय लेने वाले हैं ।

प्रदेश में नेपाल के सीमावर्ती जनपदों में कथित रूप से माओवादी संगठन की गतिविधियां

*2–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में नैपाल के सीमावर्ती जनपदों में माओवादी संगठन की गतिविधियां चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उस पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)-

नैपाल से लगने वाले उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में नैपाल के माओवादी संगठन की गतिविधियों सम्बन्धी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य की असंतुलित वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उसमें सुधार हेतु शासन का प्रयास

*3-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य की विषम वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार कठोर वित्तीय अनुशासन व खर्च में कटौती के माध्यम से आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु कोई प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")-

[जी हां ।

राज्य की असंतुलित वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, कठोर वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने तथा अनुत्पादक व्यय में कमी लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं ।

प्रशासनिक व्यय की विभिन्न मदों में मितव्ययता के उद्देश्य से सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :-

नये पद सृजित न किया जाना अपितु आवश्यकतानुसार अनुबन्ध पर कार्य कराया जाना ।

राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या में प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत तक की कमी करना ।

एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त पदों को समाप्त किया जाना ।

नये वाहनों के क्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध तथा आवश्यकतानुसार अनुबन्ध पर गाड़ियों का उपयोग ।

पेट्रोल तथा डीजल की खपत में कमी ।

आवासीय टेलीफोन तथा सेलुलर फोन पर होने वाले शासकीय व्यय में कमी ।

हवाई यात्राओं में कमी, पांच सितारा होटल में भोज पर प्रतिबन्ध एवं यात्रा व्यय में अधिकाधिक मितव्ययता ।

अनिवार्य प्रशिक्षणों को छोड़कर अन्य प्रशिक्षणों/सेमीनारों पर प्रतिबन्ध ।

व्यवसायिक प्रोत्साहन के प्रयोजन को छोड़कर शेष सभी सजावटी विज्ञापन एवं प्रचार आदि पर पूर्ण प्रतिबन्ध ।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

शासकीय व्यय पर बधाई सन्देश भेजने, कलेन्डर, डायरी, पर्सनल लेटर आदि के मुद्रण एवं विवरण तथा नये फर्नीचर व साज सज्जा पर पूर्ण प्रतिबन्ध ।

प्रश्न हीं उठता ।]

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मंत्री जी का लिखित उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है । अब आप प्रश्न करिये ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या-क्या उपाय किये हैं ? उसका तात्कालिक लाभ जो मिला है उससे जो वित्तीय असंतुलन है उसमें कितनी कमी हुयी है यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं उसका अभिप्राय राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय से है । तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं 2000-2001 में राजस्व प्राप्ति में बढ़ोत्तरी हुई है और व्यय में कमी आई है । राजस्व आय में 9.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2000-2001 में राजस्व प्राप्ति दर बढ़ती जा रही है और राजस्व घाटे में कमी आई है इसकी वृद्धि की गति 2.14 प्रतिशत पर नियंत्रित की गयी है । इस प्रकार राजस्व प्राप्ति दर बढ़ रही है और राजस्व व्यय की बढ़त घट रही है । साथ ही साथ जो माननीय सदस्य ने आगे एक बात और पूछी है, तो मैं उसका विवरण दिये दे रहा हूं । मितव्ययता का उत्तर है कि विभिन्न कार्यों में जो व्यय हैं, जैसे कार्यालय टेलीफोन, गाड़ियां, विज्ञापन और अतिथि सत्कार आदि इनके खर्चों में कमी आई है । इन पर जो राजस्व व्यय 1998-99 में 252.06 करोड़ रुपये था, जो राजस्व व्यय 2000-2001 में 322.05 करोड़ रुपये था । वह जो 2001-2002 में 232.50 अनुमानित है, इसमें 27 प्रतिशत की कमी परिलक्षित होती है ।

मान्यवर, सड़क की जिला योजना या ऊर्जा की योजना या इसी तरह से अन्य मदों का विकास व्यय पूरी तरह से घट रहा है । एक तरफ लगातार राजस्व घाटा कम हो रहा है ।

मेरा मतलब है कि केन्द्रीय सरकार जो अनुदान देती है या जो ऋण देती है उसमें यह शर्त लगाती है कि हम अपने संसाधन भी बढ़ायेंगे । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार अपने संसाधन बढ़ा नहीं पायी इसलिये कटौती हो गयी तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि कटौती होने की वजह क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि 2000-2001 की जिला योजना पूरी की जायेगी और उसमें वित्तीय कठिनाई थी अथवा कोई और कारण रहे हैं । मैं सदन को आश्वास्त करना चाहता हूं कि उसके लिए प्रबन्ध कर दिये गये हैं । 2000-2001 के सारे काम पूरे कराये जायेंगे ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि जिला योजना पूरी न होने के वित्तीय कारण के अलावा कुछ अन्य कारण है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अन्य

कारण क्या था ? दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मंहगाई के कारण और समय से पैसा रिलीज नहीं हुआ जिसके कारण जो पिछले कार्य हैं महंगाई के कारण उनकी लागत 10 प्रतिशत बढ़ जायेगी इसको कैसे पूरा करायेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मान्यवर, जैसा पहले निवेदन किया कि केवल वित्तीय कारण नहीं था वित्तीय आवंटन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिन कारणों की आपने बात कही है । माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में नियोजन, लोक निर्माण, वित्त के अधिकारियों के साथ बैठक होगी और जो कुछ जिलों को पहुंचा अथवा कुछ को नहीं पहुंचा ऐसी स्थिति का निराकरण 2-3 दिन में कर दिया जायेगा ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, अन्य कारण क्या था ? मान्यवर, सदन जानना चाहता है कि अन्य कारण का खुलासा कराकर चर्चा कराने की कृपा करें ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि 30 और 31 तारीख को बैठक आहूत की गयी है और उस बैठक के जो परिणाम होंगे उससे सदन को अवगत कराया जायेगा ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो कारण थे नहीं बता रहे हैं । आप कह रहे हैं कि सेक्रेटीज के साथ बैठक बुलाकर विचार-विमर्श करेंगे तो वह कौन से कारण थे जिसकी वजह से योजना टालनी पड़ी । माननीय मंत्री जी बताने में क्यों हीलाहवाली कर रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मान्यवर, बैठक आहूत कर दी गयी है । बैठक का विवरण आने के बाद ही इस बात का पता चल जायेगा कि क्या कारण थे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि नियम–49 के अन्तर्गत इस पर आधे घण्टे की चर्चा करायें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गयी है । मान्यवर, धनाभाव के कारण लोक निर्माण विभाग की योजना पूरी नहीं हुयी है । विद्युत मंत्री जी ने इसी सदन में बताया था कि विधायकों के जिन 5 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना था वह धन की कमी के कारण पूरा नहीं कराया जा सका । पूरे वर्ष आपकी जानकारी में होगा कि विकास कार्य इसलिये ठप रहे कि सरकार ने ट्रेजरी में रोक लगा दी थी और शासन से सी०सी०एल० जारी नहीं हो पा रही थी । वर्ष 2001-2002 की राज्य योजना में उसका 74.5 प्रतिशत ही हम उपलब्ध करा सके क्योंकि हमारे पास वित्तीय संसाधन नहीं है । जो आयोजनागत व्यय थे उसमें कटौती करनी पड़ी । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि धनाभाव नहीं है । माननीय मंत्री जी से पूछा गया है कि अन्य कारण क्या थे जिसका उत्तर नहीं दे रहे हैं । मंत्री जी के अधिकारी मंत्री जी को जानकारी नहीं दे रहे हैं क्योंकि सदन में जो उत्तर दिया है

उसमें विरोधाभास है । मैं जानना चाहता हूं कि वित्तीय अनुशासन लागू करने और अनुत्पादक व्यय में कटौती करने के लिये मंत्रि-परिषद् ने क्या व्यवस्था की है और राजस्व बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कोई ठोस कार्य योजना बनायी है ? यदि बनायी है तो वह क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मान्यवर, जहां तक वित्तीय अनुशासन का प्रश्न है वह पहले से लागू हैं । जो योजनायें बनायी हैं उनमें कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण, लेखा नियंत्रक की नियुक्ति, आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, कोषागारों में आहरण और वितरण की पद्धति का आधुनिकीकरण वेतन बिलों को कम्प्यूटर पर तैयार करने जैसी योजनायें बनायी गयी हैं । अनुत्पादक व्ययों को रोका गया है जिससे वर्ष 1998-99 और 1999-2000 में क्रमशः 252 और 322 करोड़ रुपये का जो खर्च था वह घटकर 232 करोड़ रुपये अनुमानित है । इससे स्पष्ट है कि अनुत्पादक व्ययों में कमी हो रही है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि एक वर्ष वार्षिक योजना नहीं रही है इसलिये यह वर्ष विकास शून्य वर्ष हो गया है । मंत्री जी ने अन्य कारण नहीं बताये, मैं जानना चाहता हूं कि वह राज क्या है जिसको आप पोशीदा रखना चाहते हैं ? मान्यवर, आप स्पेसिफिक उत्तर दिला दें । अगर कारण मंत्री जी नहीं बता पाते हैं तो आप हमारे संरक्षक हैं इस पर चर्चा करा दें ताकि सदन में आ जाय कि क्या कारण हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जिला योजना कई विभागों से संबंधित है इस नाते कई प्रश्न सामने खड़े हो गये हैं । इसी नाते बैठक बुलायी गयी है । सब चीजें साफ हो जायेंगी और सदन के अन्दर सारी चीजें प्रस्तुत कर दी जायेंगी ।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी कह रहे हैं कि जो राजस्व घाटा था वह कम किया है और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुयी है । "उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 1999-2000" नामक पुस्तिका हमारे सामने हैं । उसमें कृषि उत्पादन सूचकांक जो 1998-99 में 91.2 था वह घटकर 1999-2000 में 70.9 रह गया है । एक तरफ कृषि उत्पादन सूचकांक घटा है दूसरी तरफ यह जो राज्य आय अनुमान है इसमें जो उत्तर प्रदेश का सकल राज्य वार्षिक वृद्धि दर जो सारिणी संख्या–II में पेज–3 पर दी है अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रदेश की सकल राज्य आय में वर्ष 1994-95 से 2000 तक 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है नवीं पंच वर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्ष में 1997-98, 1998-99, 1999-2000 में उक्त वृद्धि 4.2 प्रतिशत रही । सकल आय की वृद्धि में कमी हो रही है पिछले वर्षों की तुलना में कृषि उत्पादन सूचकांक घटा है, मंत्री जी का राजस्व व्यय घटा है वह कम हो रहा है इस अन्तर को मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं । दूसरे जो इन्होंने उपाय किए हैं इन उपायों का जिक्र मंत्री जी ने किया है मैं यह जानना चाहता हूं कि यह उपाय मंत्री जी ने किस वित्तीय वर्ष से लागू किए हैं, कब से लागू किया है ? इसको लागू करने के बाद नए पद सृजित किए गए हैं ? इन्होंने कहा कि हर साल दो प्रतिशत कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या में कमी की जायगी, क्या उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर पायेंगे ? इन्होंने कहा कि एक वर्ष से रिक्त पदों को समाप्त करेंगे क्या आप एक वर्ष से रिक्त पड़े पदों को समाप्त कर पायेंगे ? इन्होंने कहा कि नए वाहनों

पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया ? क्या नए वाहन नहीं खरीदे गये ? जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार वाहन खरीदे गये ? इस तरह से जितने उपाय बताये उसमें कहां तक सफल हुए हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

माननीय सदस्य वित्तीय क्षेत्र में काफी दंखल रखते हैं । मैंने पहले ही बताया कि राजस्व आय में 9.7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी राजस्व घाटे की बढ़ोत्तरी की गति 2.14 प्रतिशत होना ही राजस्व घाटे का प्रमुख कारण है । जिन-जिन चीजों का पहले उल्लेख किया गया उसमें क्या-क्या खर्च में कमी हुई यह बता चुका हूं । अब इसमें निवेदन करने की जरूरत नहीं है । जहां तक कर्मचारियों की दो प्रतिशत संख्या में कमी करने की बात इस समय 6,87,0,31 कुल कर्मचारियों की संख्या है तीन प्रतिशत की घटोत्तरी से 20,611 की संख्या क़मी होती है उसमें हम दो प्रतिशत ही कमी करेंगे जो संख्या 13,741 की होती है । इससे 146.79 करोड़ का वित्तीय भार कम हो गया 2000-2001 की यह स्थिति है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस विषय पर मैंने नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा कराने की सूचना दे दी है ।

श्री अध्यक्ष–

उसको मेरे पास आने तो दें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, नत्थी 'ग' का पहला प्रश्न महत्वपूर्ण है यह पहले भी स्थगित हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद आगरा में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की स्थापना के विचाराधीन प्रकरण की जानकारी

*1–श्री विजय पाल सिंह–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पश्चिमी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए क्या जनपद आगरा में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त न्यायालय कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–नत्थी 'ख' तारांकित प्रश्न सं०–3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

न्याय मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

मा० उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने का प्रकरण भारत सरकार विधि मंत्रालय के विचाराधीन है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राज्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की नीति

*2–श्री काजिम अली खां, श्री मुरलीधर तथा श्री जय प्रकाश–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के उपरान्त अगली वेतनवृद्धि प्रदान करने में एक रूपता की नीति अपनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कनिष्ठ कर्मचारियों को जो पुराने वेतनमान के उच्चतम स्तर पर पहुंचे ही नहीं थे, को पुनरीक्षित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि 12 माह की अर्हकारी सेवा पूरी करने के पूर्व ही प्रदान कर दी गई है जबकि ज्येष्ठ कर्मचारियों को जो अपने पुराने वेतनमान के उच्चतम स्तर पर तो पहुंच गये थे किन्तु उस स्तर पर की गयी उनकी सेवा अवधि 1-1-1996 को एक वर्ष से कम थी को अगली वेतनवृद्धि पुनरीक्षित वेतनमान में 12 माह की अर्हकारी सेवा करने के उपरान्त प्रदान की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार ज्येष्ठ कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुये उक्त विसंगति के निराकरण हेतु पुनरीक्षित आदेश जारी करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

(क) जी हां । दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के उपरान्त अगली वेतनवृद्धि की अनुमन्यता हेतु वही नीति अपनायी गई है जो भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के मामले में लागू की है । इस प्रकार पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की तिथि हेतु अपनायी गयी व्यवस्था निम्न प्रकार है :–

(1) पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि उस तिथि को अनुमन्य कराने की व्यवस्था है, जिस तिथि को संबंधित कर्मचारी पुराने वेतनमान में रहने पर वेतनवृद्धि प्राप्त करता ।

(2) यदि पुराने वेतनमान में कार्यरत रहने पर दिनांक 1-1-1996 के पश्चात् संबंधित कर्मचारी को वेतनवृद्धि देय नहीं होती है तो उसे सामान्य व्यवस्थानुसार पुनरीक्षित वेतनमान में वेतनवृद्धि उपलब्ध होने की दशा में 12 माह की अर्हकारी सेवा के उपरान्त वेतनवृद्धि दिये जाने का प्राविधान है ।

उपर्युक्त प्राविधान समान रूप से सभी कर्मचारियों पर लागू है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां । दिनांक 1-1-1996 से वेतनमान यदि पुनरीक्षित नहीं होता तो कनिष्ठ कर्मचारी जो दिनांक 1-1-1996 तक पुराने वेतनमान के उच्चतम स्तर पर नहीं पहुंचे थे उन्हें प्रतिवर्ष वेतनवृद्धियां मिलती रहती, जबकि वरिष्ठ कर्मचारी जो पुराने वेतनमान के अधिकतम (वृद्धिरोध वेतनवृद्धियों के लाभ सहित) पर पहुंच चुका है उसको भविष्य में कोई वेतनवृद्धि नहीं मिलती । पुनरीक्षित वेतनमान के बाद

वरिष्ठ कर्मचारी को भी वेतनवृद्धि अनुमन्य हो गयी है । साथ ही इन दोनों श्रेणी के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर वृद्धिरोध वेतनवृद्धियों का लाभ भी अनुमन्य है ।

(घ) आवश्यकता नहीं है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार तथा विश्व बैंक के साथ राज्य कर्मचारियों की कमी किये जाने का समझौता

*1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने विश्व बैंक से समझौता करके प्रत्येक वर्ष राज्य कर्मचारियों की संख्या में दो प्रतिशत कमी करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो समझौते की शर्त क्या है ? क्या उक्त कमी अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी वर्गों पर लागू की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

जी नहीं । राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के साथ दिनांक 04 जून, 1999 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था, जिसमें प्रतिवर्ष रिक्त पदों को समाप्त करने के साथ-साथ कर्मचारियों की संख्या में दो प्रतिशत कमी करना भी है । इसका संज्ञान विश्व बैंक के साथ हुये अनुबन्ध में भी लिया गया है ।

यह कमी चिकित्सा, शिक्षा एवं गृह विभाग आदि के कार्यात्मक पदों को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू की गयी ।

प्राप्त अद्यावधिक सूचना के अनुसार समाप्त करने हेतु कुल 17171 पदों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से अब तक कुल 15116 पदों को समाप्त किया गया है ।

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के माध्यम से ऋण प्राप्त करने हेतु किये गये अनुबन्ध

*2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिये क्या प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में कोई समझौता किया है ? यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सुधार कार्यक्रम लागू किये जाने हेतु भारत सरकार के माध्यम से ऋण प्राप्त करने के लिए एक अनुबन्ध किया गया है ।

ऋण अनुबन्ध की मुख्य शर्तें निम्न प्रकार हैं :–

1–यह ऋण राज्य सरकार को भारत सरकार के माध्यम से केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होगा, जिसमें 70 प्रतिशत ऋण तथा 30 प्रतिशत अनुदान होगा ।

2–ऋण की राशि पर राज्य सरकार को 12.5 प्रतिशत का ब्याज केन्द्र सरकार को देना होगा ।

3–इस ऋण के भुगतान की अवधि 20 साल में होगी, जिसमें 20 वार्षिक किस्तों में मूलधन तथा ब्याज का भुगतान होगा ।

4–इस ऋण के 50 प्रतिशत के अंश में पांच वर्ष का ग्रेस मिलेगा और इस प्रकार मूलधन के 50 प्रतिशत का भुगतान 5 वर्ष बाद प्रारम्भ होगा ।

5–राज्य सरकार द्वारा डिफाल्ट की दशा में डिफाल्ट की राशि पर 15.25 प्रतिशत का ब्याज लगेगा ।

6–लेखों का समुचित रख-रखाव ।

7–लेखा परीक्षा कराया जाना ।

8–भारत सरकार द्वारा समय से राज्य सरकार को धनराशि का स्थानान्तरण करना ।

9–उच्च प्राथमिकता वाले विकास के क्षेत्रों में धनराशि को व्यय करना ।

*3–श्री विजय पाल सिंह तथा श्री संजय गर्ग–

(7वें सोमवार के लिये स्थगित)

लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1975 में कतिपय संशोधन का शासन के विचाराधीन प्रस्ताव

*4–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन की दिशा में लोकायुक्त को प्राप्त मौजूदा अधिकारों को व्यापक बनाने के साथ ही उनमें बढ़ोत्तरी करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है ?

श्री राजनाथ सिंह–

लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 में कतिपय संशोधन हेतु प्रस्ताव लोकायुक्त द्वारा शासन को भेजा गया है जिस पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न राज्यों के लोकायुक्तों द्वारा एक माडल लोक आयुक्त बिल तैयार किया जा रहा है । माडल लोक आयुक्त बिल प्राप्त होने पर उसका गंभीरतापूर्वक समस्त पहलुओं पर गहन विचार/अध्ययन कर लोक आयुक्त संगठन को और प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाये जाने हेतु स्वच्छ प्रशासन एवं सतर्कता संबंधी कार्य से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं की शक्तियों के पारस्परिक संतुलन को देखते हुए ही संशोधन पर विचार किया जाय ।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा चीनी का वितरण समाप्त किये जाने से उसकी आय पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव

*5–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चीनी के वितरण को समाप्त कर देने से पी०सी०एफ० संस्था के व्यापार और उसकी आय पर इस व्यवस्था का प्रतिकूल असर पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पी०सी०एफ० के हित में कृषि सेवा केन्द्रों को मार्केटिंग सेन्टर के रूप में विकसित करने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या इन केन्द्रों पर स्वदेशी रोजमर्रा के सामानों की बिक्री के साथ-साथ विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादों की भी बिक्री करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री ('पटेल' राम कुमार वर्मा)–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषक सेवा केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य कृषकों को कृषि निवेशों का समय से वितरण कराया जाना है ।

प्रदेश में त्वरित न्याय दिलाने हेतु सरकार की कार्य योजना

*6–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में त्वरित न्याय दिलाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

जी हां, लम्बित सत्र मामलों के निस्तारण हेतु अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के न्यायालयों की गठन की योजना है ।

उपर्युक्त योजना के अधीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के गठित न्यायालय केवल लम्बित सत्र वादों का निस्तारण करेंगे । इन्हें प्रतिमाह 14 सत्र मामले निर्णीत करने होंगे । इसके लिये अलग से न्यायालय कक्ष निर्मित होंगे । प्रत्येक न्यायालय को एक पेशकार, एक आशुलिपिक एवं एक चपरासी की सुविधा अनुमन्य होगी । राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति द्वारा तैयार की गई योजनानुसार सेवारत न्यायिक अधिकारियों को ही उपर्युक्त न्यायालयों में सत्र न्यायाधीश के रूप में पूर्णतया अस्थायी रूप से नियुक्त किया जायेगा । पेशकार, आशुलिपिक एवं चपरासी के पद पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सहकारी बैंक उन्नाव को हानि से लाभ में लाने हेतु विकास कार्य योजना

*7–श्री कृपाशंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जिला सहकारी बैंक लि० उन्नाव में वर्ष 1994-95 में 2,11,81,059 रुपये की हानि हुई थी ? क्या यह हानि वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 15,83,04,509.32 रुपये हो गयी है ? क्या यह हानि बैंक की निजी पूंजी की धनराशि से भी अधिक है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त बैंक को लाभ पर लाने के लिए कोई उपाय करेंगे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

वर्ष 1994-95 में मु० रु० 2,11,81,059-45 की हानि हुई थी ।

जी हां । वर्ष 1999-2000 में बढ़कर मु० 15,83,04,599-82 रु० हो गयी है ।

जी हां ।

जी हां ।

विकास कार्य योजना वर्ष 1999-2000 से 2003-04 तक तैयार की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के पुलिस उप निरीक्षकों की पुलिस निरीक्षकों के पद पर की जाने वाली प्रोन्नति का न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

*8–श्री प्रमोद कुमार–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1996-97 में पुलिस निरीक्षकों के चयन में उप निरीक्षकों की वरिष्ठता के आधार बनाया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसी संदर्भ में मा० उच्च न्यायालय की इलाहाबाद पीठ ने वरिष्ठता क्रम से चयनित करने का निदेश रिट पेटिशन नं० 20716/97 में दिया है ? यदि हां, तो उसका अनुपालन अब तक न किये जाने का क्या कारण है ? विलम्ब के लिये कौन दोषी है ? उक्त का अनुपालन कब तक किया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर प्रोन्नति सी०आई० लिस्ट–II के आधार पर की जाती है । जिसे शासनादेश दिनांक 5-11-65 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत मेरिट के आधार पर बनाया जाता है ।

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9-7-99 में वरिष्ठता के आधार पर उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर प्रोन्नति किये जाने के आदेश दिये गये हैं जिसके विरुद्ध मा० उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गई है । मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-9-99 द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेश/निर्णय दिनांक 9-7-99 का क्रियान्वयन अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है ।

विलम्ब के लिये कोई दोषी नहीं है । प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के अंतिम निर्णय होने पर की जायेगी, जिसके लिये निश्चित रूप से कोई समय निर्धारित किया जाना संभव नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

श्री अजय कुमार भारद्वाज, अध्यक्ष, यंग लायर्स बार एसोसियेशन जनपद हाथरस के घर पुलिस द्वारा कथित जामा तलाशी

1–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिवक्ता श्री अजय कुमार भारद्वाज, यंग लायर्स बार एसोसियेशन जनपद हाथरस के अध्यक्ष के घर पर दि० 26/27-4-2001 की रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक बिना किसी सर्च वारन्ट के स्थानीय व शहरी पुलिस कर्मियों द्वारा जामा तालाशी ली गयी है ? यदि हां,

तो क्या बिना सर्च वारन्ट या आमद रवानगी के इस तरह की कार्यवाही उचित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कर दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

दि० 27-4-2001 को एटा पुलिस द्वारा सोनू नामक अभियुक्त 500-500/-रुपये के नकली नोटों सहित पकड़ा गया था, जिसने अजय भारद्वाज नि०-मुरसानगेट थाना-कोतवाली, जनपद-हाथरस का नाम एटा पुलिस को बताया था । उपरोक्त मुल्जिमान के नाम लेने के कारण अजय भारद्वाज द्वारा अपने बचाव में अपने यहां झूठी दबिश देने की बात बतायी गयी है, जबकि श्री भारद्वाज के यहां कोई दबिश स्थानीय व बाहरी पुलिस द्वारा नहीं दी गयी है ।

प्रदेश के सहकारिता विभाग में अनुसूचित जाति के लेखाकारों की लेखाधिकारी पद पर प्रोन्नति

2-श्री रघुबर दयाल वर्मा-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग के अनुसूचित जाति के लेखाकारों में श्री राम खेलावन रावत, श्री शिव बालक कुरील एवं श्री कृपाल सिंह की चयनोपरान्त सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नतियां की गयी है ? यदि हां, तो श्री कृपाल सिंह से वरिष्ठ अनुसूचित जाति के लेखाकारों की पदोन्नति सहायक लेखाधिकारी के पद पर न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या वरिष्ठता के क्रम में उक्त पदोन्नतियां की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

जी हां ।

निबन्धक सहकारिता से प्राप्त वरिष्ठता सूची में श्री सोहनलाल को अनुसूचित जाति में उल्लिखित नहीं किया गया था, फलस्वरूप निदेशालय कोषागार से जारी वरिष्ठता सूची में अनुसूचित जाति के लिये उपलब्ध पदोन्नति का लाभ इन्हें नहीं मिल सका । यद्यपि यह श्री कृपाल सिंह (अनुसूचित जाति) से वरिष्ठ थे । श्री कृपाल सिंह द्वारा उ० प्र० अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के समक्ष अपना अनुसूचित जाति का होने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था । आयोग के आदेश के अन्तर्गत उ० प्र० लोक सेवा आयोग से विशेष चयन कराकर श्री कृपाल सिंह को सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति की गयी है । श्री सोहन लाल ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के समक्ष अपना प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जो आयोग के स्तर पर विचाराधीन है । आयोग के निर्णय के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जी हां । सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद लखनऊ के पी०सी०एफ० मुख्यालय के अभियन्ता/जी०एम० के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

3–श्री शिव सिंह चक–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि पी०सी०एफ० मुख्यालय लखनऊ के अभियन्ता/जी०एम० को निलम्बित कर उनके भ्रष्टाचारों को निष्पक्ष सतर्कता जांच कराने के संबंध में उनके पत्र संख्या–201/बी०आई०पी० दिनांक 29-3-2000, प्रमुख सचिव, सहकारिता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

अभिलेखों से संदर्भित पत्र प्राप्त होने की पुष्टि नहीं होती है । अपितु प्रश्नकर्ता के दिनांक 26-2-2001 द्वारा प्रकरण में सतर्कता जांच एवं दिनांक 24-4-2001 में निलम्बित कर जांच कराने विषयक पत्र प्राप्त हुये हैं । प्रकरणों में जांच एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु निबन्धक, सहकारी समितियां, उ० प्र० को निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ओम प्रकाश ग्राम कैथी, थाना बन्थरा, लखनऊ के मकान एवं समस्त गृहस्थी के सामान एवं अन्य कर उपयोग किये जाने का प्रकरण पर जारी विवेचना

4–श्री शिव सिंह चक–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–119 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मकान मालिक श्री ओम प्रकाश के गृहस्थी के सम्पूर्ण सामान जेवर पैसा व मकान के निचले पूरे भाग का पूर्ण उपयोग किसके द्वारा किया जा रहा है? क्या यह सही है कि मकान मालिक ग्राम–कैथी थाना बन्थरा, जनपद लखनऊ में निवास कर रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि निचले पूरे भाग का कितना किराया किसे दिया जा रहा है ? क्या सरकार वर्षों से हुए अवैध कब्जे के प्रकरण की जांच अभिसूचना इकाई व सतर्कता अधिष्ठान से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

इस प्रकरण में श्री ओम प्रकाश द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना आलमबाग पर दिनांक 9-3-2000 को मु०अ०सं०–51/2000 अन्तर्गत धारा 448/380/342/323/506/420/120 बी भारतीय दण्ड विधान बनाम सरनाम सिंह उप निरीक्षक, श्रीमती कृष्णा देवी, मेवालाल एवं शारदा प्रसाद पंजीकृत किया गया है और इस अभियोग की विवेचना एस०आई०एस० द्वारा प्रचलित है । प्रश्नगत बिन्दु अभियोग में विवेचनाधीन है ।

उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक मकान मालिक द्वारा कैथी, थाना बंथरा जनपद लखनऊ में निवास करना बताया गया है । विवेचना प्रचलित है ।

यह बिन्दु भी उपरोक्त अभियोग में विवेचनाधीन है ।

जी नहीं ।

इस प्रकरण में एस०आई०एस० से विवेचना प्रचलित है । अतः किसी अन्य एजेन्सी से जांच का औचित्य नहीं पाया गया है ।

5 श्री अजय कुमार पोइया–

[दिनांक 21-5-2001 को अना०प्र०सं०–29 द्वारा उत्तरित ।]

मैसर्स सुपर टैक कम्प्यूटर कानपुर नगर के बैंक खाता का विवरण

6 श्री हरपाल सिंह–

क्या संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर के सेक्टर–(8) में यू०पी०टी० नम्बर के०आर० 1018054 पर दिसम्बर, 1999 में पंजीकृत हुए मैसर्स सुपर टैक कम्प्यूटर नामक फर्म के पंजीकरण अभिलेखों एवं विभागीय सूचना के अनुसार फर्म के एकाउन्ट किस-किस बैंक में है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि इस फर्म द्वारा व्यापार कर चोरी के लिए कानपुर एवं कानपुर से बाहर कन्नौज इत्यादि स्थानों पर मालिक (स्वामी)/पार्टनरों की अलग अलग सूचनाएं देकर कई बैंकों में एकाउन्ट खोलकर व्यापार किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी फर्म से उसके बैंक खातों तथा मालिक/पार्टनरों की बाबत विभाग को सूचनाएं प्राप्त करायेंगे ? क्या प्राप्त सूचनाओं के आधार पर व्यापार कर की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम, एम०काम०)–

विभागीय सूचनाओं के अनुसार फर्म के एकाउन्ट कानपुर नगर में सेक्टर 08 में यू०पी०टी०टी० नम्बर के०आर० 1018054 पर दिनांक 13-12-99 को पंजीकृत फर्म मेसर्स सुपरटेक कम्प्यूटर का बैंक खाता करेन्ट एकाउन्ट के रूप में स्टेट बैंक आफ इण्डिया, चमनगंज, कानपुर में है जिसका खाता संख्या–568 है ।

जी नहीं ।

बैंक खातों के संबंध में सूचना ऊपर प्रस्तर में अंकित है । फर्म में दो साझीदार घोषित किये गये हैं :–

1–श्री संजय कुमार शर्मा, पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी–34/59, हाता सवाई सिंह, कानपुर ।

2–श्री श्रीकान्त नायर पुत्र श्री शशिधरन नायर, बाबू बिहार, स्वरूप नगर, कानपुर ।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार व्यापारी पर अब तक का कर कोई दायित्व नहीं है, अतः वसूली का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसर्स सुपर टैक कम्प्यूटर कानपुर नगर के साझीदारों की संख्या एवं अघोषित रूप में किये जा रहे व्यापार के विरुद्ध कार्यवाही

7–श्री हरपाल सिंह–

क्या संस्थागत वित्त एवं व्यापार-कर मंत्री कृपया बतायेंगे कि व्यापार-कर विभाग कानपुर नगर में मैसर्स सुपर टैक कम्प्यूटर नाम की फर्म यू०पी०टी०टी० संख्या–के०आर० 1018054 पर दिसम्बर, 1999 में पंजीकृत हुई है ? यदि हां, तो फर्म द्वारा विभाग को प्रस्तुत फार्म–14 एवं अन्य पंजीकरण अभिलेखों के अनुसार फर्म के पार्टनर कौन-कौन हैं ? क्या फर्म द्वारा पंजीकरण के समय नियमानुसार पार्टनरशिप

डीड जमा की गयी है ? यदि हां, तो फर्म का पंजीकरण स्थल/पता क्या है ? क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि यह फर्म कानपुर के व्यापार कर सेक्टर-8 के पंजीकृत स्थल पर व्यापार न करके विभाग से छिपाकर कानपुर में सोमदत्त प्लाजा एवं स्वरूप नगर मार्केट में व्यापार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त अनियमितता के लिए दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबूराम, एम०काम०-

जी हां ।

फर्म द्वारा विभाग में दाखिल किये गये फार्म-14 अन्य अन्य पंजीकृत अभिलेखों के अनुसार फर्म में दो साझीदार निम्न प्रकार है :-

1-श्री संजय कुमार शर्मा, पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा, निवासी-34/59, हाता सवाई सिंह, कानपुर ।

2-श्री श्रीकान्त नायर, पुत्र श्री शशिधरन नायर बाबू बिहार, स्वरूप नगर, कानपुर ।

जी नहीं । व्यापार-कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के समय पार्टनर शिप डीड दाखिल किये जाने की अनिवार्यता नहीं है ।

फार्म-14 के अनुसार व्यापारी के व्यापार स्थल का पता-34/62 हाता सवाई सिंह, कानपुर है ।

व्यापार स्थल की जांच करने पर पाया गया कि वर्तमान में यह फर्म 34/62, हाता सवाई सिंह के पते पर नहीं चल रही है । इसी नाम से यह फर्म यू०जी०-बी-21, सोमदत्त प्लाजा, कानपुर के पते से व्यापार कर रही है, यह व्यापार स्थल व्यापार कर विभाग में व्यापारी द्वारा घोषित नहीं किया गया है ।

व्यापारी द्वारा अघोषित रूप से यू०जी०-बी-21 सोमदत्त प्लाजा में शाखा खोलकर व्यापार किये जाने के कारण व्यापारी के विरुद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेश कुमार ग्राम रालामऊ थाना-संदना जनपद-सीतापुर की हत्या के प्रकरण में जारी विवेचना

8-श्री अतुल कुमार-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के ग्राम रालामऊ थाना संदना में दिनांक 3/4 मार्च, 2001 को हुयी हत्या के मु०अ०सं०-25/2001 धारा 302 आई०पी०सी० में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही हेतु गृह पुलिस अनुभाग-4, उ० प्र० शासन द्वारा पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को पत्र सं०-1713ख/छः-पु-4/2001, दिनांक 8-3-2001 एवं पत्र दि० 22-3-2001 व 12-4-2001 लिखे गये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्नगत अभियोग में वादी द्वारा शक के आधार पर कुछ व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में अंकित कराया गया था । मृतक राजेश कुमार की मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम से ज्ञात नहीं हो सका है तथा विसरा परीक्षण की परिणाम रिपोर्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्रतीक्षित है । इस प्रकार नामित व्यक्तियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है । विवेचना प्रचलित है ।

शासन का पत्र दिनांक 8-3-2001 व 12-4-2001 पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को प्राप्त हुये ।

प्रकरण में क्षेत्राधिकारी मिश्रिख द्वारा जांच कराई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

9-श्री अब्दुल सलाम-

[7 वें सोमवार के लिये स्थगित]

श्रीमती भिखना विधवा पत्नी जोखू निवासी गोला बाजार, खलीलाबाद जनपद-संतकबीर नगर की स्वाभाविक मृत्यु

10-श्री लालमणि प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि श्रीमती भिखना विधवा पत्नी जोखू निवासी गोला बाजार खलीलाबाद जनपद संतकबीर नगर की हत्या 9/10 अक्टूबर, 1999 को जायदाद हड़पने की साजिश में की गई थी ? क्या यह भी सही है कि लाश को बिना पोस्टमार्टम के ही दूसरे को दे दिया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी नहीं । श्रीमती भिखना देवी पत्नी स्व० जोखू नायक, नि०-गोलाबाजार, जनपद-संतकबीर नगर की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई थी । इनके मरने के संबंध में अथवा अस्वाभाविक मृत्यु या हत्या के संबंध में थाना खलीलाबाद, जनपद-संतकबीर नगर पर किसी भी व्यक्ति द्वारा न तो कोई सूचना दी गयी थी और न ही कोई अपराध पंजीकृत कराया गया है ।

यह कि स्वाभाविक रूप से हुई मौत के संबंध में पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता है ।

जी नहीं । इस प्रकरण में किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जानी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा निजी भार वाहन की भांति चल रहे माल वाहनों पर कर निर्धारण का प्रकरण

11-श्री रामकुमार एडवोकेट-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के पहले सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या-16 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम विभाग द्वारा मा० उच्च न्यायालय से स्थगनादेश निरस्त करवाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)-

माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करके स्थगन आदेश समाप्त करने की प्रार्थना की गयी । समस्त याचिकायें मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 4-5-99 द्वारा निस्तारित कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय परिवहन निगम ताज डिपो कानपुर में चालकों द्वारा ठेके पर बस चलवाने के प्रकरण में आवश्यक निर्देश

12–श्री रामकुमार एडवोकेट–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि गत माह रोडवेज के नियमित चालकों द्वारा स्वयं बस न चलाकर ठेके पर बसें चलवाने का मामला कानपुर क्षेत्र के अधिकारियों की सतर्कता से ताज डिपो की बस में फर्जी ड्राइवर पकड़ा गया ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी रोडवेज बसों में फर्जी ड्राइवरों का पकड़ने हेतु सघन चेकिंग अभियान चलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

ताज डिपो का एक प्रकरण प्रकाश में आया है ।

इस निमित्त निगम मुख्यालय द्वारा परिपत्र जारी कर सभी डिपोज को निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–हरदोई के आर०एफ०सी० क्रय केन्द्र माधोगंज में फर्जी धान खरीद की जांच

13–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर०एफ०सी० क्रय केन्द्र माधौगंज जनपद हरदोई में की गई फर्जी धान खरीद की जांच कराये जाने विषयक पत्र संख्या–सी०एम०/वि०कं०/एम–43534/हरदोई/2001, दिनांक 7-3-2001 उन्हें प्राप्त है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

जी हां ।

खाद्य प्रकोष्ठ द्वारा प्रकरण की जांच प्रक्रिया में हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर, सिंघानिया फ्लोर फ्रूट प्रोडक्ट्स लि० में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को वितरित किये जाने वाले गेहूं को चोरी से भेजे जाने के प्रकरण की जांच

14–श्री रमेश राही–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर सिंघानिया फ्लोर फ्रूट प्रोडक्ट्स लि० में 14/15 जनवरी, 2001 की रात्रि को गरीबी रेखा के नीचे वितरित किया जाने वाला खाद्यान्न पदार्थ गेहूं सीतापुर सदर के उप जिलाधिकारी द्वारा पकड़ा गया ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त की जांच सी०बी०आई०डी० द्वारा कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जनपद सीतापुर सिंघानिया फूड फ्रूट प्रोडक्ट्स लि० में दिनांक 14-1-2001 को गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को वितरित किये जाने वाले गेहूं को चोरी से भेजे जाने के संबंध में प्राप्त गोपनीय सूचना पर परगना मजिस्ट्रेट, सीतापुर को तत्काल मौके पर भेजा गया । परगना मजिस्ट्रेट द्वारा मामले की जांच में यह तथ्य प्रकाश में लाया गया कि उक्त मिल में 50-50 किलोग्राम व 100 किलोग्राम की बोरियों में अवैध रूप से संदिग्ध गेहूं पाया गया । प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये मामले में शासन स्तर से दिनांक 27-1-2001 को निम्नवत् समिति गठित कर जांच कराई जा रही है :–

1–श्री आर०सी० मिश्रा, अपर आयुक्त, खाद्य, उ० प्र० ।

2–संभागीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ ।

3–श्री बसन्त लाल सिंह, मुख्य विपणन अधिकारी, मुख्यालय ।

समिति की तथ्यात्मक जांच आख्या प्राप्त होने पर मामले में अन्तर्ग्रस्त संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद कुशीनगर अन्तर्गत ग्राम फरकरौना द्वारा छपरा खड्डा के निवासी श्री हरिवंश पुत्र खेदन चमार के उत्पीड़न के संबंध में पत्र तथा उस पर कार्यवाही

15–श्री शिवपूजन राम–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद कुशीनगर अन्तर्गत थाना खड्डा ग्राम फरकरौना द्वारा छपरा वा–खड्डा के सामाजिक कार्यकर्ता श्री हरिवंश पुत्र खेदन चमार द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र गोरखपुर को उत्पीड़न की जांच के संबंध में दिनांक 5-1-2001 को पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

प्रकरण की जांच में नहर का बन्धा टूटने से फसल डूब जाने और नहर के मरम्मत को लेकर श्री हरिबंश तथा अशोक मालवीय के मध्य तनाव एवं कहा-सुनी होना पाया गया । शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत दोनों पक्षों को 107/116 व 116 (3) जा० फौ० के अन्तर्गत पाबन्द कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में ग्राम पटवारी के श्री मुरारी पुत्र श्री राम सिंह के प्राप्त शव के पंजीकृत मुकदमें की जांच

16–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सोन देवी [illegible] मथुरा के पति की हत्या की एफ०आई०आर० दर्ज कर कार्यवाही करने के संबंध में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–/444–59/मथुरा/2001, दिनांक 31-3-2001 जिलाधिकारी मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रश्नगत पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया ।

प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा अवगत कराया गया है कि दि० 27-2-2001 को टैम्पो स्टैण्ड शेरगढ़ मथुरा में एक शव पड़ा मिला जिसका पंचायतनामा भरने के बाद शिनाख्त मुरारी पुत्र राम सिंह निवासी जटवारी के रूप में हुई । दि० 15-3-2001 को श्रीमती सोनदेवी पत्नी स्व० श्री मुरारी थाना--शेरगढ़ मथुरा की लिखित तहरीर पर मु०अ०सं०--2/2001 धारा--302 आदि एवं धारा–3(1)(10) एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट के अन्तर्गत जगवीर पुत्र श्याम करबा कोसी व [illegible] पुत्र सत्थी निवासी जटवारी थाना शेरगढ़ मथुरा के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी, छाता द्वारा की गयी । वर्तमान में प्रकरण की विवेचना दि० 28-3-2001 को अप०शा०अप०अनु० विभाग को सौंपी जा चुकी है । जांच प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में मथुरा से जतीपुरा एवं ओल मार्ग पर परिवहन निगम की बसों के चलाने की मांग

17–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा से जतोपुरा तथा मथुरा से ओल परिवहन निगम की बसों जनहित में पूर्व की भांति चलायी जायेंगी तथा रात्रि ठहराव सुनिश्चित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं । जतीपुरा, मथुरा अलवर अधिसूचित मार्ग पर गठौली मोड़ से 2 कि०मी० के अनधिसूचित मार्गांश पर है । ओल, मथुरा-आगरा अधिसूचित मार्ग पर फरह से 22 कि०मी० के अनधिसूचित मार्गांश पर है । पूर्व में मथुरा से जतीपुरा तथा ओल के लिये परिवहन निगम की बसें संचालित थी, जो कम आय प्राप्त होने के कारण बन्द कर दी गई । [illegible] नीति के अन्तर्गत अनधिसूचित मार्ग/मार्गांश पर निगम की बसों का संचालन नहीं किया जाना है । जतीपुरा के यात्री गठौली मोड़ आकर तथा ओल के यात्री निजी बसों द्वारा फरह आकर परिवहन निगम की बसों का लाभ उठा रहे हैं ।

18–श्री नवाब सिंह नागर–

[6ठें बुधवार में अ०प्र०सं०–37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों के संशोधित वेतनमान स्वीकृत किये जाने का शासन के वित्त विभाग में लम्बित प्रकरण

19–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों को वेतनमान 9000–13500 रुपये स्वीकृत करने के संबंध में मुख्य मंत्री के कार्यालय का पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/ एम–4-4-894/मथुरा/2001. दिनांक 17-4-2001 प्रमुख सचिव/सचिव निर्वाचन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह--

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों को वेतनमान रु० 9000–13500/–स्वीकृत करने के संबंध में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं०–सी०एम०/वि०को/एम/44864/मथुरा/2001 दिनांक 17-4-2001 सचिव निर्वाचन को प्राप्त हुआ है ।

दिनांक 10-5-2001 को प्रकरण वित्त विभाग को विचारार्थ संदर्भित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के टाउन एरिया हरगांव में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने की मांग

20–श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के टाउन एरिया हरगांव में अग्नि शमन केन्द्र की स्थापना किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उसकी स्थापना कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार एक फायर स्टेशन से दूसरे फायर स्टेशन की दूरी कम से कम 25 कि०मी० होनी चाहिये । थाना हरगांव से केवल 15 कि०मी० की दूरी पर लखीमपुर खीरी में फायर स्टेशन स्थापित है । अतएव इंगित स्थान पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित करना सम्भव नहीं है ।

जनपद चित्रकूट में चालू वर्ष 2001–2002 में खोले गये क्रय केन्द्रों की संख्या एवं अन्य विवरण

21–श्री आर०के० सिंह पटेल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद चित्रकूट में चालू वर्ष 2001-2002 में गेहूं के कुल कितने सरकारी खरीद केन्द्र खोले गये हैं ? किस दिनांक से खरीद केन्द्रों में कितनी खरीद किस केन्द्र पर की गयी है ? जिले के किस केन्द्र पर कितने मानक बोरे व कितना धन कब-कब दिया गया है ? जनपद चित्रकूट के किस खरीद केन्द्र को कितना गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद चित्रकुट में चालू वर्ष में हाट शाखा के 03 तथा पी०सी०एफ० 09 कुल 12 क्रय केन्द्र खोले गये हैं ।

गेहूं खरीद केन्द्र दिनांक 1-4-2001 से क्रियाशील हो गये थे, किन्तु क्रय केन्द्रों पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से गेहूं खरीद प्रारम्भ हुई और अब तक क्रय किये गये गेहूं का विवरण निम्नवत् है :–

क्रय केन्द्र का नाम	खरीद प्रारम्भ होने की तिथि	कुल खरीद (मी०टन में)
1	2	3
कर्वी (पी०सी०एफ०)	14-4-2001	219.8
चकौध	28-4-2001	141.2

1	2	3
रामनगर	03-5-2001	68.1
वियावल	22-4-2001	106.7
बरगंद	21-4-2001	177.8
पहाड़ी (उन्नरी)	03-5-2001	109.6
सरैया	01-5-2001	25.0
राजापुर	02-5-2001	30-7
इटखरी	03-5-2001	99.9
कर्वी (हाटशाखा)	28-4-2001	216.3
मानिकपुर	29.4.2001	126.3
मऊ	29-4-2001	57.6
योग :		1379.0

जिले क्रय केन्द्रों को उपलब्ध कराये गये बोरे एवं दिये गये धन का विवरण संलग्न है ।

जनपद चित्रकूट के लिये गेहूं खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 2000 मी०टन निर्धारित किया गया है ।

केन्द्रवार खरीद के लिये आवंटित लक्ष्य का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 78-80 पर)

पेप्सिको होल्डिंग (पेप्सी) जौनपुर का जनपद कानपुर देहात स्थित बाटलिंग प्लांट से माल ढुलाई का प्रकरण

22–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पेप्सिको इण्डिया होल्डिंग (पेप्सी) जैनपुर जनपद कानपुर देहात के बाटलिंग प्लाट से माल ढुलाई हेतु पायलेट बाडी वाले वाहनों को अधिकृत किया गया है ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ? क्या सरकार उन पर रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में जारी शस्त्र लाइसेंसों की संख्या

23-श्री राम कुमार एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी 1998 से अब तक जनपद उन्नाव में कितने शस्त्र लाइसेंस जारी किये गये है ? वर्तमान में शस्त्र लाइसेंस हेतु कितने प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं ? लम्बित प्रार्थना-पत्रों को कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

जनपद उन्नाव में 01 जनवरी, 1998 से अब तक (दिनांक 19-5-2001) तक कुल 3125 शस्त्र लाइसेंस जारी किये गये हैं ।

वर्तमान में जनपद उन्नाव में शस्त्र लाइसेंस हेतु 1135 प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं ।

शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा आयुद्ध अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत जारी आयुद्ध नियमावली, 1962 के प्रविधानों के तहत निर्दिष्ट लाइसेंसिंग प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) द्वारा की जाती है जो एक अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है । अतः शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु कोई निश्चित समयावधि निर्धारित करना सम्भव नहीं है । तथापि उक्त लम्बित शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्रों पर त्वरित कार्यवाही करके उनका शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण करने हेतु जिला मैजिस्ट्रेट उन्नाव को निर्देशित कर दिया गया है ।

जनपद उन्नाव में पंजीकृत घटनाओं का विवरण तथा उस पर अंकुश लगाने की कार्यवाही

24-श्री राम कुमार एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998-99 तथा वर्ष 1999-2000 में उन्नाव जनपद में विभिन्न थानों में हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण, दहेज हत्या तथा शान्ति भंग की कुल कितनी घटनायें पंजीकृत की गयी हैं ? सरकार इन घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

प्रश्नगत अवधि में पंजीकृत घटनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

अपराध	दि० 1-4-98 से 31-3-99 तक	दि० 1-4-99 से 31-3-2000 तक
हत्या	152	153
डकैती	12	7
बलात्कार	26	27
अपहरण	16	7
दहेज हत्या	41	52
शान्ति भंग	शून्य	शून्य

इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :–

1–पंजीकृत अपराधों में त्वरित विवेचना कराते हुये आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित कर अपराधियों को अभियोजित कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

2–अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराते हुये उन्हें जेल भेजा गया है ।

3–अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

4–प्रभावी गस्त एवं पुलिस पिकेट की व्यवस्था की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर नगर के जाजमऊ में औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण फैलाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती-पत्र

25–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18 अप्रैल, 2000 जो कानपुर नगर के जाजमऊ क्षेत्र में अत्यधिक वायु एवं जल प्रदूषण फैलाने वाली अवैध औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने के संबंध में था, मा० मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

जी हां ।

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में निर्धारित व्यवस्थानुसार प्रथम चरण में उक्त अधिनियम की धारा 33–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना होता है । कारण बताओ नोटिस का प्रति उत्तर प्राप्त [illegible] तथा उद्योग के उत्प्रवाह की जांचोपरान्त यदि उद्योग निर्धारित मानक को पूरा नहीं करता है तो उ[illegible] अधिनियम के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही की जाती है । तद्नुसार उद्योग को उक्त अधिनियम की धारा–33 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है । कारण बताओ नोटिस की पुष्टि हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

26–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो कानपुर नगर के जाजमऊ क्षेत्र में अत्यधिक वायु एवं जल प्रदूषण फैलाने वाली अनाधिकृत औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने के संबंध में है और जिसकी पावती सूचना कम्प्यूटर संख्या–सी–100331 38 है, पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

संबंधित उद्योगों को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है । कारण बताओ नोटिस की पुष्टि हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सभा की भांति विधान सभा में भी भूतपूर्व सदस्यगण श्री भीमा प्रसाद यादव, श्री मुफ्ती फखरुल इस्लाम तथा श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह के निधन पर पीठ द्वारा शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष–

इसके पहले मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में आम राय बनी थी, कि पूर्व सदस्यों जो विधान सभा के सम्मानित सदस्य रहे, उनके निधन के निर्देश के संबंध में पीठ की ओर से उसकी सूचना जैसे लोक सभा में पद्धति अपनाई गई है, वैसे ही पद्धति अपनाते हुए कर दी जाये इससे समय बच जायेगा ।

इसी दृष्टि से सदन को सूचित कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के तीन भूतपूर्व सदस्यों के निधन के बारे में सूचना प्राप्त हुई है । उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भीमा प्रसाद यादव का 4 नवम्बर, 2000 को लम्बी बीमारी के बाद आजमगढ़ में निधन हो गया वह 85 वर्ष के थे श्री भीमा प्रसाद यादव का जन्म लगभग 1915 में इनके पैतृक ग्राम भीतरी पोस्ट–मेहमोनी, जिला आजमगढ़ में हुआ था । श्री भीमा प्रसाद यादव सर्वप्रथम 1962 में निर्वाचन क्षेत्र आजमगढ़ से प्रजा समाजवादी दल से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । तत्पश्चात् वे 1967, 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर तथा 1977 में कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे वे 1990–96 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रहे । श्री भीमा प्रसाद यादव ग्रामीण परिवेश में अत्यन्त व्यवहार कुशल व्यक्ति थे । वे आजीवन विभिन्न शैक्षणिक एवं समाजसेवी संस्थाओं से जुड़े रहे तथा कई महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान रहे । श्री भीमा प्रसाद यादव के निधन से जनपद आजमगढ़ ने एक कुशल राजनीतिक एवं समाजसेवी खो दिया ।

भूतपूर्व सदस्य श्री मुफ्ती फखरुल इस्लाम का 23 अप्रैल, 2001 को अपने निवास स्थान दायराशह, आजमल, इलाहाबाद में निधन हो गया । वे लगभग 97 वर्ष के थे । श्री मुफ्ती फखरुल इस्लाम का जन्म 1904 में हुआ था उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी । श्री मुफ्ती फखरुल इस्लाम 1946 में निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर, हंडिया एवं मछलीशहर से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे । श्री मुफ्ती फखरुल इस्लाम ने आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़कर भाग लिया था । उनके द्वारा इलाहाबाद लिटरेरी एण्ड कल्चरल एसोशियेशन के तहत कौमी लाइब्रेरी और इदारा ए-अनीस उर्दू स्थापित किया गया । इदारा ए-अनीस उर्दू द्वारा लगभग 40 पुस्तकें विभिन्न विषयों में प्रकाशित की गई वे सदैव विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेते रहे थे । राजनीति एवं साहित्य में उनकी विशेष रुचि थी । श्री मुफ्ती फखरुल इस्लाम के निधन से जनपद इलाहाबाद ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा एक कुशल राजनीतिक एवं समाजसेवी खो दिया ।

भूतपूर्व सदस्य श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह का 20 मई, 2001 को लम्बी बीमारी के बाद अपने निवास स्थान रायबरेली में निधन हो गया वे लगभग 74 वर्ष के थे । श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह का जन्म

5 सितम्बर, 1927 को ग्राम मोहनगंज तहसील सलोन जनपद रायबरेली में हुआ था । उन्होंने हिन्दी तथा राजनीति विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी । श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह सर्वप्रथम 1967 में निर्वाचन क्षेत्र सतांव, रायबरेली से कांग्रेस दल से उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । तत्पश्चात वे वर्ष 1969 में पुनः विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये । वे वर्ष 1961–62 में लोकसभा के भी सदस्य रहे । श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ने कालाकांकर, जनपद प्रतापगढ़ में प्रवक्ता के रूप में सर्वप्रथम शिक्षण कार्य किया । वे जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री एवं अध्यक्ष आदि पदों पर आसीन रहे थे । वे श्री चन्द्रभानु गुप्त तथा श्री चौधरी चरण सिंह जी के मंत्रि-मण्डल में राज्य मंत्री रहे । राजनीति, साहित्य एवं चित्रकला में उनकी विशेष रुचि थी । श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह के निधन से जनपद रायबरेली ने एक कुंशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है ।

यह तीनों हमारे विधान सभा के पूर्व सदस्य रह चुके हैं । इनके निधन से हम सबको जो मार्गदर्शन प्राप्त होता था अब वह नहीं मिल सकेगा । इस सदन के सभी माननीय सदस्यों राजनीतिक दलों की ओर से मैं अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं । सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इन दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये दो मिनट का मौन धारण करें । आप सबकी शोक संवेदनायें मैं उनके परिवार तक अवश्य पहुंचा दूंगा ।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुये ।)

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 28 मई, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गईं । पहली सूचना श्री राम नरेश यादव, दूसरी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी, तीसरी सूचना श्री राम ललित चौधरी, चौथी सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्र और पांचवीं सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की पढ़ी हुई मान ली गई । छठीं सूचना जो कि डा० पूर्णमासी पंकज की है, यह दो विभागों से संबंधित है इसलिये इसको निरस्त कर रहा हूं । अलग-अलग विभाग के बारे में सूचना दीजिये । सातवीं सूचना पर माननीय सदस्य श्री उदयराज यादव का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे, श्री रमेश राही व श्री तेजभान सिंह की सूचनायें अस्वीकार की गईं ।

(सभी स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं ।)

जनपद आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत महुई नदी पर रैदा में अधुरे पुल का निर्माण पूर्ण कराने एवं इसी नदी पर सौदका में पुल निर्मित कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश यादव–

[मान्यवर, आजमगढ़ जनपद के मेरे विधान सभा क्षेत्र फूलपुर मुझुई नदी पर रैदा में मेरे प्रयास से पुल बन रहा था, जो इस समय रुक गया है । लगभग 75 प्रतिशत निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है, शेष कार्य होना है, इसलिए दूसरा पुल इसी नदी पर सौदका में बनना है, जिसका सर्वे का कार्य हो चुका है तथा माहुल पवई रोड पर चकिया (सुम्हाडीह) से दक्षिण मार्ग का लगभग 4 किमी० कार्य फूलपुर

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

राजवाहा की पक्की नहर की पटरी से जुड़ना लेपन स्तर तक आवश्यक है । जनता की मांग बराबर चली आती रही है । उपरोक्त कार्य लोकहित में आवश्यक है ।

अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि उपरोक्त तीनों कार्य प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न करा दिये जायें ।।

रामनगर (वाराणसी) स्थित राजकीय किशोर गृह एवं सम्प्रेक्षण गृह में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम देव राम चौधरी–

[महोदय, महिला व बाल कल्याण विभाग द्वारा संचालित जिन माइनर बच्चों के लिए पूरे महीने के खाने के लिए सरकार द्वारा 550 रु० दिया जाता है लेकिन देखा जाय तो इन पैसों में से आधा पैसा भी बच्चों पर खर्च नहीं किया जाता है और बच्चे जब भोजन व कपड़ा कम होने की शिकायत जिम्मेदार अधिकारी से करते हैं तो उनको कोपभाजन बनना पड़ता है । इन बच्चों से पूरे जेल में झाड़ू से लेकर कर्मचारियों के घर का कार्य बाहर जाकर कराया जाता है, विरोध करने पर कर्मचारियों द्वारा उनकी पिटाई भी की जाती है जिससे कई बार राजकीय किशोर गृह सम्प्रेषण गृह के बच्चे भाग भी चुके हैं । बच्चों से अन्याय के खिलाफ मार-पीट भी हो चुकी है जिससे कई बार अधीक्षक व कर्मचारी निलम्बित भी हो चुके हैं । राजकीय किशोर गृह में खान-पान का विरोध करने पर इरफान नामक 13 वर्षीय किशोर की कर्मचारियों द्वारा की गयी पिटाई से अधमरा होकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उसकी मृत्यु हो गयी । ज्ञातव्य है कि इन हरकतों को देखते हुए पूर्व जिलाधिकारी श्री अवनीश कुमार अवस्थी व ए०सी०जे०एम० द्वारा यहां के अधीक्षकों के खिलाफ लिखा गया था लेकिन शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी । एक बार प्रताड़ित करने में अधीक्षक के खिलाफ नगर मजिस्ट्रेट द्वारा रिपोर्ट भी लिखायी गयी । यही हाल सम्प्रेषण गृह की भी है जहां करीब 3 दर्जन बच्चे बन्द हैं जिन्हें वहां खान-पान के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है । इन्हें खेत में कार्य करने के साथ ही सहायक अधीक्षक के पाले हुए पशुओं को भी नहलाने व खिलाने का कार्य करना पड़ता है । इसका विरोध करने पर इनकी पिटाई भी होती रहती है । बच्चों की यह भी शिकायत है कि उन्हें कम भोजन के साथ ही दवा आदि भी उपलब्ध नहीं करायी जाती है । आवश्यक है कि राजकीय किशोर गृह व सम्प्रेक्षण गृह में व्याप्त अनियमितता व दुर्व्यवस्था को दूर करने में पहले की दिशा में विगत अनेक वर्षों से इन स्थानों पर जमें भी अधिकारियों, कर्मचारियों का स्थानान्तरण अविलम्ब किया जाय'।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय ध्यानाकर्षण सूचना को नियम–301 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और सभी अधिकारियों के स्थानान्तरण सहित प्रभावी कदम उठाये जाने की मांग करता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बस्ती में पीलीभीत बहराइच मार्ग के शेष बचे मानपुर से मनौढ़ी तक लगभग 22 किमी० मार्ग को चौड़ा करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम ललित चौधरी–

[महोदय, पीलीभीत बहराइच मार्ग जो राज्य मार्ग है, जिसकी लम्बाई 500 किमी० से ऊपर है । इसके चौड़ीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है । इस मार्ग में मात्र 22 किमी० मार्ग जनपद बस्ती में मानपुर से मनौढ़ी तक शेष है । जिसके कारण लम्बी दूरी से चलने वाले यातायात बाधित हो रहे हैं । इस शेष भाग के चौड़ीकरण के लिए जब-जब भी लिखा गया, शासन से संसाधन का अभाव बताकर इस शेष भाग के निर्माण कार्य को टाला गया । यहां यह उल्लेखनीय है कि जब इतने लम्बे मार्ग का चौड़ीकरण करने में संसाधन में बाधा नहीं आई तो इस शेष बचे मामूली 22 किमी० मार्ग के चौड़ीकरण में कौन सी बाधा आ रही है ?

अतः लोक महत्व के उपरोक्त विषय की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित कर जनपद बस्ती में पीलीभीत बहराइच मार्ग के शेष बचे भाग मानपुर से मनौढ़ी तक के चौड़ीकरण की मांग करता हूं ।]

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत अधूरी सड़कों को पूरा कराने, सड़कों की मरम्मत एवं पुलिया निर्माण के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि 91 मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में निम्न सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण में घोर उपेक्षा की गई है तथा मरम्मत योग्य तथा अधूरी सड़कों को भी पूरा नहीं कराया जा रहा है जबकि माह जून में सड़कों की मरम्मत सुचारु रूप से हो सकती है । वर्षा ऋतु में सड़कों का निर्माण बन्द हो जायेगा । चूंकि सुनिश्चित रोजगार योजना तथा जिला योजनाऐं, जिला पंचायतों में चली जाने के कारण निर्माण कार्यों की पूर्ति करना कठिन है । आपसे निवेदन है इन अधूरी पड़ी सड़कों तथा सड़कों की मरम्मत व 2500 की आबादी वाले ग्रामों को तत्काल मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु अतिरिक्त पैकेज बनाकर कार्य पूरा कराने का आदेश निर्गत करने की कृपा करें ।

अ–मरम्मत योग्य सड़कें :–

(1) माधौगंज चौराहा से महियामऊ, 2–रूदामऊ से गौरा रोड, 3–मल्लावां उन्नाव रोड, से शाहपुर गंगा रोड, 4– मल्लावां मेंहदीघाट रोड से सनाथीनाथ बाबा रोड, 5–माधौगंज से परचल रसूलपुर रोड, 6–बिलग्राम गंगापुल पहुंच मार्ग वाया रहुला होते हुए, 7–मल्लावां मेंहदीघाट रोड से बेरिया नजीरपुर रोड, 8–बिलग्राम छिबरामऊ रोड से म्योरा तक ।

उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु धन का आवंटन भी हो चुका था परन्तु अभी तक मरम्मत नहीं करायी गयी है यह चिन्तनीय विषय है । घोर लापरवाही बरतने वाले जनहित की उपेक्षा करने वाले विभाग एवं व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अपेक्षित है । यदि सम्बन्धित विभाग निर्माण में अक्षम है तो अन्य विभाग से मरम्मत कराया जाय जिससे जनता को आवागमन की सुविधा हो सके ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(ब) अधूरी सड़कें–

1–माधौगंज मेंहदीगंज रोड, 2–रुणेना हबीबनगर रोड, 3–मल्लावां गौसगंज रोड से बीकापुर बरौना रोड, 4–बरौना पुल से बरौना तक, 5–तेरिया भवानीपुर रोड, 6–कठिया भिखारीपुर रोड, 7–गंज जलालाबाद से फुलई तक, 8–निर्मल चौराहे से कोसिया तक, 9–सराय सुल्तानपुर रोड, 10– जोड़ी बाबा से भुडिया खेड़ा रोड, 11–मल्लावां मेंहदीघाट रोड अवशेष भाग, 12–गौतरा से सेउड़ही रोड, 13–माधोगंज से नेवादा गम्भीर रोड, 14–तहुतेरा से बढैया खेड़डा रोड, 15–गौरासे फत्तेपुर चौगवा रोड, 16–माधौगंज मल्लावां रोड से ईश्वर पुरसाई तक, 17–बाबरमऊ से रहीमपुर लोनारी होते हुए बिराइचमऊ, 18–माधौगंज मेंहदीघाट रोड से मवइया होते हुए बिराइचमऊ तक ।

माननीय लोक निर्माण मंत्री जी की घोषणा के अनुसार सन् 2000 तक 2500 का आबादी वाले ग्राम मुख्य सड़क से जोड़ दिये जायेंगे चाहे जितनी दूरी क्यों न हो इस सम्बन्ध में 91 मल्लावां विधान सभा के निम्नांकित ग्राम जिनकी आबादी 2500 से अधिक है अभी तक मुख्य सड़क से जुड़ नहीं सकें ।

1–मांझगांव (वि० खण्ड मल्लावां) 2–शाहपुर पवार, 3–कुतुनापुर, वि० खण्ड माधोगंज ।

यह खेद का विषय है कि माननीय मंत्री जी के आदेशों निर्देशों की उपेक्षा हो रही है यदि आदेश पालन हो जाता है तो उपरोक्त ग्राम मुख्य सड़क से जुड़ जाते आम जनता को यातायात की सुविधा हो जाती इसी तरह 91 मल्लावां विधान सभा जनपद हरदोई में कुछ स्थानों पर पुल पुलियों का निर्माण न होने से जनता को आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और पुल पुलिया का स्वीकृत कार्य भी सम्पन्न नहीं कराया जा रहा है :–

1–पूरनमऊ एवं ग्रा० करवा के बीच कल्याणी नदी पर पुल का निर्माण ।

2–ग्राम सोतहिया के पास मजरा तेजीपुर के नजदीक कल्याणी नदी पर पुल का निर्माण ।

3–बिलग्राम गंगापुल पहुंच मार्ग पर (रहुला रोड पर) कबीरानदी पर पुल का निर्माण ।

4– नई बस्ती मटियामऊ के बीच डिगरी तालाब पर पुलिया का निर्माण (वर्ष 97-98 से स्वीकृत ।).

5–दारूकुईया नसीरपुर रोड पर अखडिरया नाला पर पुलिया का निर्माण वर्ष (97-98 से स्वीकृत ।)

6–बाण परौली के बीच सई नदी पर पुल का निर्माण अधूरा पड़ा है धनराशि अवमुक्त कर निर्माण पूरा कराया जाय ।

यही नहीं वर्ष 97-98 में पुल पुलिया निर्माण के स्वीकृत कार्य भी अधिकारियों की लापरवाही के चलते निर्माण कार्य नहीं कराये जा रहे हैं जनहित में तत्काल वर्षा ऋतु पूर्व निर्माण कार्य कराने के आदेश निर्गत करने की कृपा करें ।

यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है अतः सदन के संज्ञान में लाना आवश्यक है जिससे अधूरी सड़कों एवं सड़कों का निर्माण तथा मरम्मत एवं 2500 की आबादी वाले ग्राम मुख्य सड़कों से जुड़ सकें तथा पुल पुलिया का निर्माण हो सके ।।

दूध पाउडर पर हरियाणा की भांति उत्तर प्रदेश में भी केन्द्रीय व्यापार कर 4% के स्थान पर 1% करके विसंगति दूर करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[महोदय, उपरोक्त विसंगति के कारण उ० प्र० के पाउडर दूध बनाने वाले व्यवसाइयों ने हरियाणा में अपने कार्यालय बनाकर स्टाक स्थानान्तरण कर देते है । वहां से पुनः बिलिंग कर 1 प्रतिशत करके आधार पर व्यापार कर रहे है । उ०प्र० राज्य का उत्पादन पर उसे कर 1 प्रतिशत भी नहीं मिल रहा है । यदि वह लोग ऐसा न करे तो अन्य राज्यों में इनका पाउडर दूध 30 प्रतिशत मंहगा होने के कारण बिक्री प्रभावित हो रही है ।

समस्त राज्यों में व्यापार कर बिक्रीकर बराबर करने की घोषणा तथा उसके क्रियान्वयन के बाद यह विसंगति शेष रह गई है ।

इसी प्रकार उ० प्र० में मंडी शुल्क "घी देशी" पर 2 प्रतिशत है, दिल्ली बिल्कुल नहीं, इस कारण इसका व्यापार प्रभावित हो रहा है ।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल विसंगति दूर कर व्यवहारिक कर ढांचा बनाने की कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

दिनांक 1 मई, 2001 को पुरःस्थापित उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सचिवालय कर्मचारी भर्ती तथा सेवा की शर्तों का विधेयक पर संविधान के अनुच्छेद 207(3) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की सिफारिश प्राप्त न होने के कारण विचार एवं पारण की कार्यवाही न हो पाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 28 मई, 2001 को नियम–300 के अन्तर्गत 3 सूचनाएं प्राप्त हुई । पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई की है ।

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सचिवालय कर्मचारी भर्ती तथा सेवा की शर्तों का विधेयक, 2000, एक असरकारी विधेयक के माध्यम से, जैसे कि एक असरकारी विधेयक के जो प्राविधान हैं, उसके तहत 1 मई, 2000 को एक वर्ष 25 दिन पूर्व आपकी अनुज्ञा व सहमति से पुरःस्थापित किया गया था । 11 मई, 2001 को यह विचार एवं पारण हेतु लगा था शासन के अनुरोध पर 25 मई, 2001 के लिये स्थगित किया गया ।

मान्यवर, मैं आपका कृपापूर्वक संरक्षण चाहता हूं । मान्यवर, 25 मई, को जब कार्य-सूची मेरे पास आई तो उसमें यह विधेयक अंकित नहीं था । दोपहर को मुझको यह सूचना मिली कि इस पर महामहिम राज्यपाल की सिफारिश 207(3) के अन्तर्गत चाहिए । इस पर चूंकि महामहिम राज्यपाल की 207(3) के अन्तर्गत सिफारिश नहीं मिली है इसलिये यह कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया जा सका । मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं यह 1 मई, 2000 को पुरःस्थापित हेतु रखा गया । 11 मई, 2001 को सदन

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की कार्य सूची में लगा और 25 मई के लिये स्थगित किया गया कि इस पर महामहिम राज्यपाल की 207(3) के अन्तर्गत सिफारिश चाहिए । मान्यवर, यह सदन पूरे प्रदेश के लिये कानून बनाता है और इसी सदन के सचिवालय के कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तों के लिये कोई अधिनियम नहीं बना । संविधान के अनुच्छेद 187(2) में जो व्यवस्था है उसके अनुसार काम हो रहा है । मान्यवर, पूरे प्रदेश के लिये कानून नियम बनाते हैं लेकिन हमारे ही सचिवालय के कर्मचारियों का काम बजाय अधिनियम के नियमावली के द्वारा चलाया जा रहा है । मध्य प्रदेश में भी इस तरह का अधिनियम बना है । मैंने भी इसलिये इस विधेयक को रखा था लेकिन वह इतने लम्बे समय बाद कि उस पर महामहिम राज्यपाल की 207(3) के अन्तर्गत सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है, सदन में विचार से महरूम रह गया । मान्यवर, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ताकि विधान मण्डल सचिवालय के कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों सम्बन्धी अधिनियम बन सके ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी, कृपया इस विषय को देख लें । कुछ कहना चाहते हों तो अलग बात है । जो भी उचित कार्यवाही हो इस सम्बन्ध में करें । अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य की है ।

दिनांक 25-3-92 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–17 के सम्बन्ध में दी गयी विशेषाधिकार की सूचना के सम्बन्ध में प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या–166 के अन्तर्गत संशोधित उत्तर दिये जाने हेतु मा० अध्यक्ष के निर्णय के बावजूद कृषि मंत्री द्वारा संशोधित उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, निदेश 165 और 166 में यह प्राविधान है कि विधान सभा में जो भी उत्तर दिये जाते हैं, यदि यह पाया जाय कि इन प्रश्नों के उत्तर गलत हैं तो सरकार उनके संशोधित उत्तर देती है । मान्यवर, हम इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं । 1992 में आपने एक विशेषाधिकार हनन की नोटिस पर, नोटिस तो वह रिजेक्ट कर दी थी परन्तु उसमें सरकार को, कृषि विभाग को यह निर्देश दिया था कि चूंकि उत्तर गलत पाया गया इसलिये दोषी अधिकारियों को दण्डित करके संशोधित उत्तर दिया जाय । मान्यवर, इसमें फ्रेश नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी । श्री बी० आर० वर्मा जी और डा० कौशल किशोर जी ने 98, 99 में इसके अन्तर्गत सूचना दी लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई संशोधित उत्तर नहीं दिया गया । मैं आपके माध्यम से जरूर यह व्यवस्था चाहूंगा कि सरकार का रवैया ठीक नहीं है कि विधान सभा में जब माननीय अध्यक्ष निर्देश दे दें कि उत्तर गलत है, उसके बाद भी आज दिन तक उत्तर संशोधित न दिया जाय । मान्यवर, इससे ज्यादा गम्भीर स्थिति और क्या हो सकती है, मान्यवर, इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं ।

इसमें व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य, स्वास्थ्य एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

इसको दिखवा लेंगे यह 1992 का प्रकरण है, बहुत पुराना प्रकरण है, इसको दिखवा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

यह सत्य है कि दिनांक 25-3-92 के उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–17 के संबंध में दी गयी विशेषाधिकार की सूचना को निरस्त करते हुए मैंने यह निर्णय दिया था कि माननीय कृषि मंत्री जी

प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–166 के अन्तर्गत संबंधित प्रश्न का संशोधित उत्तर और भ्रामक उत्तर तैयार करने वाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करें । यह निर्णय दिनांक 25 नवम्बर, 1992 की कार्यवाही का अंश बना है । जहां तक डा० कौशल किशोर के पत्र दिनांक 30 जून, 1998 तथा श्री बी० आर० वर्मा के पत्र दिनांक 8-3-99 का संबंध है इन पत्रों में निदेश संख्या–166 के अन्तर्गत कोई सूचना नहीं दी गयी थी वरन् माननीय अध्यक्ष के निर्णय को कार्यान्वित करने पर बल दिया गया था। वर्तमान में यह विषय याचिका समिति के समक्ष अभ्यावेदन के रूप में लंबित है ।

जनपद मैनपुरी, ग्राम सभा, सोज के पूर्व प्रधान तथा वर्तमान प्रधान को जिलाधिकारी द्वारा निहित स्वार्थवश झूठे मुकदमें में फंसाये जाने के संबंध में श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि द्वारा दिये गये औचित्य के प्रश्न की सूचना नियम–51 में परिवर्तित कर वक्तव्य हेतु स्वीकृत

(श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना को नियम–51 में परिवर्तित कर दिया गया है । शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

शासन का वक्तव्य मांग लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

शासन का वक्तव्य मांग लेते हैं, मद संख्या–4, 5, 6, 7 में कुछ नहीं है ।

मेरठ में नालों की सफाई के प्रकरण को उठाये जाने का प्रस्ताव

(डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपने जिस विषय का उल्लेख किया था उसकी नियम–56 में बात करिएगा ।

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरठ के नालों की सफाई के संबंध में मेरठ महानगर में [illegible] अखबार के द्वारा 22 तारीख को सरकार का उत्तर आया है इसमें छपा है, हेडिंग दी गई है 'विधायकों को भी भरमाते हैं नगर निगम के अफसर'' ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित सूचना दे दीजिएगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मैं लिखित सूचना दे दूंगा ।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं की कथित हत्या/फर्जी मुकदमों में फंसाये जाने के संबंध में नियम–311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–8 में कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है लेकिन जैसा प्रातः उपवेशन प्रारम्भ होने के समय नियम–311 में सूचना आई थी कुंवर रेवती रमण सिंह जी की पहले उनको सुन लेते हैं ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, नियम–311 में सूचना दी है यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं लोकमहत्व की अविलम्बनीय सूचना है । यह सूचना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पूरे प्रदेश में कानून का राज्य समाप्त हो गया है और आज एक तरह से पूरे प्रदेश में जंगल राज्य कायम हो गया है । मेरी सूचना को देखेंगे, मेरी सूचना स्पष्ट है पूरे प्रदेश में विभिन्न कई जिलों का उल्लेख किया है, बकायदे नोटिस में लिखकर दिया है, इसमें हत्यायें, लूट आदि ऐसी तमाम घटनायें हैं जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ घटित हो रही हैं । इसके बावजूद वहां का प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है । बजाए कोई कार्यवाही करने के उल्टा इन अपराधियों का कार्य कर रहा है । निरपराध लोगों को फंसाने का काम जिला प्रशासन कर रहा है । माननीय आजम खां साहब, कई बार यहां के सम्मानित सदस्य रहे, मंत्री भी रहे, अब राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सम्मानित नेता हैं, पूरे देश के, मान्यवर, माननीय आजम खां साहब को रामपुर के एस०पी० ने जान से मारने की, इन्काउन्टर करने की धमकी दी है इसमें गंभीर बात और कोई नहीं हो सकती है ।

(इस समय 12 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुए ।)

एक सम्मानित नेता को एक एस० पी० कहे कि ठीक से नहीं रहोगे तो हम तुम्हारा इनकाउन्टर कर देंगे तो इससे ज्यादा शर्मनाक और घृणित काम और कोई दूसरा नहीं हो सकता है । इससे यह परिलक्षित होता है कि शासन का नजरिया क्या है आज कोई यह कहे कि तुम्हारा इन्काउन्टर कर देंगे तो मैं इसकी निन्दा करता हूं और इस तरह के काम बदले की भावना से करेंगे तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां के एस०डी०एम० सदर और क्षेत्राधिकारी इस घटना में शामिल हैं । मैं चाहूंगा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले जिले की एक रिपोर्ट आये । मान्यवर, माननीय मंत्री जी उस रिपोर्ट से नहीं बल्कि सदन में हमारी बातों को सही मानते हुये उसका संज्ञान लेना चाहिए और वहां के एस०डी०एम० सदर और क्षेत्राधिकारी के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिये । दूसरा मैं इटावा के बारे में कहना चाहूंगा कि इटावा जनपद में पुलिस का तांडव इतना जबरदस्त हो गया है और वह वहां के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के इशारे पर हो रहा है । वहां पर एक नहीं लगभग कई हत्याए हो चुकी हैं । श्री सुरेश चन्द्र यादव पुत्र श्री परमेश्वर दयाल की 1-3-2000 को 12.00 बजे दिन में हत्या

हो गई । अखिलेश यादव पुत्र राम प्रकाश यादव की 18-5-2000 को 11.30 बजे दिन में हो गई । इसी तरह से तारा बाबू पुत्र श्री सोने लाल इनकी भी नृशंस हत्या कर दी गई और जो दो अभियुक्त पकड़े गये उसमें से एक को छोड़ दिया गया और उसके खिलाफ 302 का मुकदमा भी नहीं कायम हुआ । अयोध्या प्रसाद चौहान, प्रधान ग्राम नसीदीपुर को दो मोटर साइकिल सवार लोगों ने कनपटी पर गोली मारकर 6.00 बजे हत्या कर दी । तो यह घटनायें आये दिन लगातार हो रही हैं और वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के इशारे पर हो रही हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है वहां का जिला प्रशासन इस काम में उनकी मदद कर रहा है तो इससे ज्यादा गंभीर बात और क्या हो सकती है । जो भी अभियुक्त नामित हैं वह पकड़े नहीं जा रहे हैं वह फरार हैं और उनको प्रश्रय देने का काम जिला प्रशासन कर रहा है ।

मान्यवर, मैनपुरी के बारे में भी कहना चाहूंगा कि वहां पर भी इसी तरह का काम हो रहा है । श्री राम पाल पुत्र अम्बर की 7-5-2000 को हत्या हो गई । अभियुक्तों को मैनपुरी कोतवाली में लाया गया और फिर छोड़ दिया गया । वहां लगता है कि कर्फ्यू लग गया है । 22 किलोमीटर की दूरी तक सड़क पर कोई आदमी न दिन को और न रात को निकल नहीं सकता है । अगर निकलेगा तो कोई मुकदमें में फंस जायेगा या फिर गोली मारी जायेगी । यह पांच मामलों का उद्धरण मैंने अपनी नोटिस में लिया है । मैनपुरी की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां का जिलाधिकारी खुद यह काण्ड करवा रहा है । जब तक उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जायेगी तब तक यह काण्ड रुक नहीं सकता है । अभी बाल्मीकि जी ने एक मामला उठाया था जिसे माननीय अध्यक्ष जी ने नियम 51 में परिवर्तित कर दिया था । आज मैनपुरी में नहीं लगता है कि कानून का राज है । वहां के जिलाधिकारी ने कानून को ध्वस्त कर दिया है । उसने यह कसम खा रखी है कि जो सपा० के कार्यकर्ता हैं वह महफूज नहीं रह पायेंगे । मान्यवर, इतना ही नहीं वहां के अपराधियों को लाइसेंस दिया जा रहा है जबकि नियम यह है कि कोई भी अपराधी को लाइसेंस नहीं दिया जायेगा । मान्यवर, तिलक राज यादव, जिनकी हत्या का अंदेशा है उनको लाइसेंस नहीं दिया गया और जो अपराधी हैं उनको खुले आम लाइसेंस जिलाधिकारी प्रदान कर रहे हैं । मान्यवर, जिलाधिकारी बने रहें तो वहां पर बहुत बड़ा काण्ड हो सकता है । मान्यवर, 10 मई को हमने इलाहाबाद का मामला उठाया था जिसमें 6 लोगों की जानें गई थी । उस नरसंहार में वहां के जो अपराधी हैं उनके स्थान पर निरपराध लोगों को परेशान किया जा रहा है । मान्यवर, जो राजेन्द्र सिंह हैं करछना के रहने वाले हैं उनको पकड़ा जा रहा है और इसी तरीके से मान्यवर, मेजा के ब्लाक प्रमुख बब्बू निषाद उनके ऊपर वहां के सी०ओ० कुर्की की कार्यवाही करवा रहे हैं वह महज इसलिये कि वहां बी०जे०पी० का प्रत्याशी हार गया और यह जीत गये । मान्यवर, बनारस में 3 लोगों को फर्जी इनकाउन्टर करके 18 तारीख को मार दिया गया । मान्यवर, प्रदेश में कानून का राज रहेगा या एक पार्टी का राज रहेगा या एक पार्टी के कुछ विशेष कार्यकर्ताओं का राज रहेगा और जो निरपराध लोग हैं उनको फंसाया जायेगा और समाजवादी पार्टी के एक-एक नेता, कार्यकर्ताओं को गोली से मार दिया जायेगा और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं होगी । मान्यवर, लोक सभा में जो परम्परा है उसी अनुसार यहां भी एक संयुक्त समिति बना दी जाये जो जांच करके 10 दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे और उसके अनुसार कार्यवाही हो । मान्यवर, जब इतने गम्भीर मामले हैं तो फिर उसमें कमिश्नर या किसी दूसरे

अधिकारी से जांच कराने का औचित्य नहीं है । मान्यवर, जब तक संयुक्त समिति की जांच नहीं होगी इस पर पर्दाफाश नहीं हो पायेगा, मैं इस पर बल देता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, जितने जुल्म और अत्याचार अंग्रेजी हुकूमत में नहीं हुये थे उतने मैनपुरी में हो रहे हैं । मान्यवर, जो कुख्यात अपराधी हैं जिन पर 66 आपराधिक मुकदमें कायम हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और दूसरी ओर एक जाति विशेष के लोगों को परेशान किया गया है । मान्यवर, आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों ने एक जाति विशेष के व्यक्ति को मारकर उसका मांस निकालकर बकरे के मांस में बनाकर एक जाति विशेष के लोगों को खिलाया है ।

मान्यवर, एक जाति विशेष के लोगों ने अभी हाल ही में अपना तांडव नृत्य कर रखा है और जो विशेष जाति के लोग हैं उनको लूटा जा रहा है, उनके कत्ल किये जा रहे हैं और उनकी राहजनी की जा रही है, उनके रास्तों को घेरा जा रहा है उनको आने नहीं दिया जा रहा है । उन्हें 25-25 किलोमीटर घूमकर सीधे रास्ते से न आकर घूमकर आना पड़ रहा है ।

मान्यवर, जो जातीय संघर्ष में मुकदमें पंजीकृत हुए हैं उनका मैं जिक्र करना चाहूंगा । मान्यवर, अपराध संख्या : 362/2001 धारा 395, 421 आई०पी०सी० इनका हमने अपनी सूचना में विस्तृत उल्लेख किया है । अपराध सख्या : 377/2001 धारा 395, 506 आई०पी०सी० मुकदमा अपराध संख्या : 378/2001 धारा 427, 395, 506, 323 आई०पी०सी० और अपराध संख्या 388/2001 धारा 395, 307 आई०पी०सी० । मान्यवर, इन घटनाओं की ओर मैंने अपनी सूचना के माध्यम से विशेष रूप से सदन का ध्यान आकृष्ट किया है । मान्यवर, इसमें लूट की गई है और लोग पीटे गये हैं और मारे जा रहे हैं यह एक विशेष जाति के लोग हैं और जिन्होंने मारा है वह विशेष जाति के लोग हैं और उनको यह सरकार अपना संरक्षण दे रही है उसमें आज तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई है उनके लाइसेंस निरस्त किये जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोगों को झूठे मुकदमों में फांसने का काम किया जा रहा है । मान्यवर, करहल में रक्षपाल सिंह यादव को सरेआम मार दिया गया, मान्यवर, जिन लोगों के पास बन्दूक बरामद हुई उनके पास न दिखाकर दूसरे के पास दिखा दी गई । जो कत्ल हुये हैं उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है । मान्यवर, जो हमारे विधायक हैं रामेश्वर दयाल बाल्मीकि जी उनके राजनीतिक कैरियर को चौपट करने का काम किया जा रहा है । मान्यवर, तिलक सिंह यादव जी जो किशनी विधान सभा क्षेत्र के पूर्व लोकदल अध्यक्ष हैं तथा समाजवादी पार्टी के नेता हैं । मान्यवर, किशनी विधान सभा उनका क्षेत्र रहा है वह उद्योगपति हैं जिलाधिकारी मैनपुरी की साजिश से उनका सारा कैरियर चौपट किया जा रहा है उसमें तिलक सिंह किशनी विधान सभा क्षेत्र के मैं । मैनपुरी में विधान सभा क्षेत्र भोगांव के व तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है । विशेष तौर से रामेश्वर दयाल बाल्मीकि का कैरियर चौपट किया जा रहा है । इसलिये किया जा रहा है कि निर्दोष लोगों को दबाया जायेगा । बेइज्जत किया जायेगा, संभ्रांत लोगों को बेइज्जत किया जायेगा । समाजवादी पार्टी के लोगों को विशेष रूप से वहां के रहने वाले जनप्रतिनिधियों की छबि इससे खराब होगी और आगे आने वाले चुनाव में उनका कैरियर खराब होगा । मैं आपके माध्यम से एक साजिश की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां के जो वर्तमान जिलाधिकारी हैं वह निरंकुश हो गया है, तानाशाह हो गया है जिला

प्रशासन का काम जिले की कानून व्यवस्था का है लेकिन उसने महिषा गैंग और दूसरे बीस गैंग उपदेसा गैंग के सैकड़ों लोगों को अपराधियों को लाइसेंस दे दिये गये है और वो बदमाश असलहा लेकर मैनपुरी में घूम रहे हैं और वह लोग रोजाना हत्यायें और लूट कर रहे हैं । इटावा जनपद के लोगों को मैनपुरी के पते पर लाइसेंस दिया गया और मैनपुरी में हत्या कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है सरकार को जानकारी नहीं है कि तमाम अपराधी जो सरेआम घूम रहे हैं सदन के पटल पर अपराधियों की कोई सूची नहीं दी है । मान्यवर, जिनको सुरक्षा की जरूरत थी, लाइसेंस की जरूरत थी उनको लाइसेंस नहीं दिया गया रक्षपाल सिंह पुत्र श्री अकबर निवासी गोपालपुर थाना करहल मैनपुरी का कत्ल कर दिया गया । इस तरह से हजारों लोग हैं जिनको लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है और अपराधियों को लाइसेंस दिया जा रहा है यह गम्भीर मामला है यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है इससे ज्यादा महत्व का और कोई कार्य नहीं हो सकता है इसलिये जैसा माननीय कुंवर साहब ने बल देते हुये कहा है उस पर बल देते हुये कहना चाहता हूं कि इस सारे मामलें की संयुक्त समिति से जांच कराने का कष्ट करें और सरकार को निर्देश देने का काम करें ।

डा० अशोक बाजपेई–

मान्यवर, जिन गम्भीर घटनाओं की तरफ कुंवर साहब और राम औतार शाक्य जी ने सदन को अवगत कराया, इतनी चिन्तनीय स्थिति है कि प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं का जीवन असुरक्षित हो गया है । बदले की भावना से सरकार के संरक्षण में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्यायें हो रही हैं । सरकार से उनको जो सुरक्षा प्राप्त थी उसमें परिवर्तन कर सरकार उनको असुरक्षित बना रही है । समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपमानित कराने का और हत्या कराने की साजिश रची जा रही है । आजम खां साहब प्रदेश सरकार के मंत्री रहे हैं, विधान सभा के सदस्य रहे हैं और आज भी वे राज्य सभा के सदस्य हैं वहां का जिला प्रशासन उनकी हत्या करने का षड़यंत्र रच रहा है और उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई । मान्यवर, आजम खां साहब समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं और संसद सदस्य हैं । समाजवादी पार्टी के नेताओं के जीवन से खिलवाड़ किया जायेगा तो स्थिति अच्छी नहीं होगी । समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस सारी चीजों को खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेंगे ।

मान्यवर, इस तरह से आप देखें इटावा जनपद में जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है सुरेश चन्द्र यादव, जिसकी उम्र 26 साल, परमेश्वर दयाल हेड कांस्टेबिल का लड़का जो माननीय कानून मंत्री जी के गनर हैं, इटावा के आर०टी०ओ० दफ्तर के सामने गोली मार दी जाती है और अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है । इसी तरह से इघिरा सुन्दरा पो० बरालोकपुर थाना भरथना में 18-5-2001 को श्री अखिलेश यादव, पुत्र राम प्रकाश यादव को गोली मारकर घायल कर दिया गया और अभियुक्नों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई इसी तरह से 23-5-2001 को शाम 2 बजे श्री अयोध्या प्रसाद चौहान, ग्राम नसीदीपुर को गोली मार दी गई ।

श्री अधिष्ठाता–

इन घटनाओं का पूरा जिक्र हो चुका है ।

डा० अशोक बाजपेई–

जिन घटनाओं को लेकर यह चर्चा हो रही है मैं उनका नाम तो ले लूं। 5 मिनट में सारी बात आ जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

यह चर्चा नहीं हो रही है।

डा० अशोक बाजपेयी–

इस तरह से अ०सं० 392/2001 धारा 307 आई०पी०सी० देशबहादुर पुत्र श्री शिवनाथ सिंह चौहान निवासी बिछिया, तथा अ०सं० 392 ए/2001 धारा 307 आई०पी०सी० सत्यदेव सिंह पुत्र श्री धनपाल सिंह चौहान ग्राम बिछिया पर फर्जी मुकदमें दर्ज कराये गये। इसी प्रकार जनपद मैनपुरी में जातीय संघर्ष के अन्तर्गत अ०सं० 361/2001 धारा 392 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मनोज कुमार पुत्र श्री श्याम पाल सिंह चौहान निवासी बृजपुर अगौया का साइकिल तथा अन्य सामान लूट लिया गया। इसके अलावा 13-5-2001 को अनुज प्रताप पुत्र श्री नरेश प्रसाद यादव नि० करहल चौराहा, मैनपुरी की ग्राम बिछिया पर जीप तोड़ दी और लूट की। इसी तरह से रिटायर्ड कैप्टन गंगा सिंह यादव निवासी धगुर्रा के साथ मारपीट कर रुपये घड़ी तथा साइकिल लूट ली गई, यह भी 13-5-2001 की घटना है। दिनांक 12-5-2001 को बृजेश पुत्र श्री राम रतन यादव नि० धगुर्रा की साइकिल तथा रुपये की लूट की गई, उनके साथ मारपीट भी की गई। दिनांक 17/18-5-2001 को श्याम वीर पुत्र श्री हरदयाल यादव निवासी जौराई के भाई राज बहादुर यादव जौराई को जान से मारने की नियत से लहूलुहान कर दिया और बन्दूक तथा अन्य सामान लूट कर ले गये।

मान्यवर, इसी प्रकार जनपद वाराणसी में दशाश्वमेघ थाने की पुलिस 3 लड़कों को जबरन उठाकर ले गई। इस घटना की सूचना पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार आयोग मा० मुख्य मंत्री सभी को दी गई, पीड़ित लोग 24 घन्टे के अन्दर पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी सभी से मिले लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई और 32 घन्टे के अन्दर उन तीनों नौजवानों अजय जायसवाल धीरज जायसवाल, और भानु यादव की इन्काउन्टर दिखाकर हत्या कर दी गई। आज भी वहां पर लोग संघर्ष पर हैं और लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। विधान सभा में भी इस मामले की सूचना दी गई, लेकिन उन दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। यदि इस प्रकार सामजवादी पार्टी के लोगों को घरों से उठाकर गोली मार दिया जायेगा तो फिर हम लोग प्रदेश में कैसे राजनीति कर सकेंगे। यह सब क्यों हो रहा है ? यह सब इसलिये हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता दल के लोग जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है और पूरी व्यापकता के साथ इस पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है इसलिये बदले की भावना से कार्यकर्ता नेताओं की हत्या कराने तथा उन्हें झूठे मुकदमें में पंजीकृत कराने, उन्हें प्रताड़ित करने के काम में लगी है। मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर सरकार ने दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही न की और इस तरह की कार्यवाहियां न रुकीं तो समाजवादी पार्टी इसे बर्दास्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ आन्दोलन चलायेगी। ऐसी परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी सरकार को काम नहीं करने देगी। मैं पुनः चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार अपने प्रशासन पर

अंकुश लगाये और सरकार बदले की भावना से काम न करे अन्यथा सरकार का काम करना मुश्किल हो जायेगा ।

* श्री मानिक चन्द्र यादव–

मान्यवर, बिछिया गोडिया मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 22 किमी० है, संघर्ष के चलते वह मार्ग बन्द है । मान्यवर, गमौरा का एक लड़का जो बिजली का काम करता है वह एक बारात में सामान लगा रहा था एक जाति विशेष के लड़कों ने उसकी पिटाई कर दी और चले गये उसके बाद इसके साथियों ने पिटाई करने वालों में से एक की पिटाई कर दी यहीं से शुरुआत हो गई और इस छोटे से दंगे को आर०एस०एस० और बी०जे०पी० ने भड़का दिया । मान्यवर, आज स्थिति यह है कि 22 कि०मी० का रोड बिल्कुल बन्द है । वहां पर 5 लूटें हो चुकी हैं । जैसाकि माननीय शाक्य साहब ने बताया, यह पांच मुकदमें हो चुके हैं । तमाम लोगों को लूटा गया पिटाई की गई संबंधित लोगों के खिलाफ 392 से 97 तक मुकदमें दर्ज हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मान्यवर, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और संगीन केसों को समाप्त किया जा रहा है मौन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है एवं मान्यवर, नामित लोगों को बचाया जा रहा है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि उन लोगों की तत्काल गिरफ्तारी हो और जो ताण्डव नृत्य वहां चल रहा है उसे रोका जाये । मैनपुरी में आज उस 22 कि०मी० में 50 गांवों के लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, मैं इस पर तत्काल चर्चा कराने एवं कार्यवाही की मांग करता हूं ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, अभी नियम–311 के अन्तर्गत जिस प्रकरण पर हमारे माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह साहब, डा० बाजपेई जी ने श्री राम औतार शाक्य जी ने और विधायक जी ने जो प्रकाश डाला है और जिन घटनाओं का उल्लेख किया है वह सारी घटनायें अपने में अभूतपूर्व नहीं तो विशेष महत्वपूर्ण तो हैं ही । जहां तक रामपुर का प्रश्न है, अभी थोड़े दिन पहले हमारे विधायक जी को समाजवादी पार्टी के हैं उनको बेइज्जत किया, इसी एस०पी० ने जो आज हमारे आजम खां साहब को धमकी दे रहा है कि अगर तुम भी इसी तरीके से अगर कहीं ज्यादा पुलिस को परेशान करोगे, पुलिस की धज्जियां उड़ाओगे, पुलिस के काले कारनामों को खोलोगे तो तुम्हारा भी इन्काउन्टर हो जायेगा । क्या मखौल बना रखा है ? अभी विधायक जी के साथ जो बदसलूकी की है, रामपुर के एस०पी० ने उसकी गूंज विधान सभा में अभी समाप्त भी नहीं हुई कि आजम साहब के लिये उसी एस०पी० ने फिर कुचक्र रचना शुरू कर दिया । मान्यवर, जब एस०डी०एम० और सी०ओ० सभी मिल गये हों तो इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है । इससे ज्यादा कोई शासन के लिये कलंक नहीं हो सकता कि शासन में बैठे हुये लोगों के इशारे पर उसकी सह पर इस तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही हो । इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती । मान्यवर, मैनपुरी में जिन घटनाओं का जिक्र किया । श्रीमन् जब रास्ता जाम हो जाये, जब शिकायत की जाये, रिपोर्ट दर्ज की जाये तो बन्दूकों की बरामदगी झाड़ियों से दिखा दी जाये, श्रीमन् इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती । पांच-पांच मुकदमें कायम हैं और किसी पर भी कोई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्यवाही न हो । यह बहुत गम्भीर बात है । 50-60 लोगों की लूटपाट हो और डर की वजह से पांच लोग ही रिपोर्ट करें जो विशेष रूप से घायल हुये और लुटे । करहल मैनपुरी में हत्या हो जाये । मैनपुरी के डी०एम० इस वक्त पूरी तरह से शासन को खुश करने के लिये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं कि शासन इससे बहुत खुश हो जायेगा और हमारा परमोशन हो जायेगा । शासन में बैठे हुये लोगों को इसे देखना चाहिये कि ऐसे चापलूस अधिकारी राजनीति में रहने वाले लोगों को इस तरह से प्रताड़ित करता है और वाहवाही लूटना चाहता है क्या कभी जनता के लिये हितकर हो सकता है और क्या वह शासन का कभी भला कर सकता है । हम यह भी कहेंगे कि इलाहाबाद में भी 6-6 लोगों की हत्या हो जाय और बनारस में 3-3 लोगों को घर से बुलाकर उनकी हत्या कर दी जाये और इटावा में भी 4-4 हत्यायें हो जायं । ताराचन्द्र सुरेश और अयोध्या प्रसाद की और इसके बाद वहां का प्रशासन जरा भी हरकत में न आये, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही न करें तो फिर लगातार अपराधों का बढ़ना स्वाभाविक है ।

मैं यहां कहना चाहता हूं कि शासन में बैठे हुये लोगों को देखना चाहिये कि इससे शासन की छवि कोई अच्छी होने वाली नहीं है । शासन को खुश करने की वजह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को सताने/मारने का काम किया जा रहा है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है । विस्तार में न जाकर इन्हीं सारी बिन्दुओं की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये यह चाहूंगा कि पहली बात तो यह है कि इन सारी घटनाओं की जांच हो जाय और इस बात की भी जांच हो जाय कि क्या यह सारी घटनायें घटित हुईं और जांच कोई कार्यपालिका से नहीं, क्योंकि उसने इन सारी घटनाओं पर पर्दा डाला है और घटनायें घटित की हैं इसलिये कार्यपालिका के किसी सदस्य का वहां पर जांच करने का कोई औचित्य नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी घटनाओं की जांच विधान सभा की संयुक्त समिति से कराई जाय, इससे नीचे कोई घोषणा सदन में नहीं होनी चाहिये । संयुक्त समिति से जांच होती भी रही है जब कोई विशेष बात होती है तो निश्चित तरीके से विधान सभा की संयुक्त समिति जांच करती है । अगर जांच कराने की घोषणा नहीं की जाती है तो निश्चित तरीके से उन अधिकारियों को बचाने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और शासन में बैठे हुये लोग निश्चित रूप से उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं । इससे और भी घटनायें घटित होंगी और प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा होगा । शासन प्रशासन की कोई छवि नहीं है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है । इस पर काबू पाने के लिये विधान सभा की संयुक्त समिति से जांच की घोषणा हो जाय । चूंकि यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है, तात्कालिक है इसलिये इस प्रकरण पर सारे नियमों को शिथिल करते हुये जांच कराई जाये । अधिष्ठाता महोदय, शासन को निर्देशित करियेगा कि जब इसका उत्तर दें तो स्पष्ट करें कि विधान सभा की संयुक्त समिति से इसकी जांच करायेंगे ।

* संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, नियम 311 के अन्तर्गत प्रदेश के कुछ जनपदों में घटित घटनाओं का उल्लेख यहां किया गया है और मान्यवर, उल्लेख करते हुये यह कहा गया है कि यह सब भारतीय जनता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पार्टी के इशारे पर हो रहा है आज कानून व्यवस्था नहीं रह गई है । मान्यवर, इन घटनाओं में तीन जनपदों रामपुर, इटावा, मैनपुरी का उल्लेख किया गया है । इसमें रामपुर के वर्तमान सांसद मो० आजम खां का नाम आया है ।

(व्यवधान)

*श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी मैं घटना के ऊपर भाषण नहीं कर रहा हूं न ही कोई मुझे भाषण देना है । बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह घोषणा आज इस सदन में करं दें कि जो आज यहां पर माननीय नेता विरोधी दल ने और अन्य नेताओं ने कहा है उसके अनुरूप वह यह घोषणा कर दें कि वह एक संयुक्त समिति बनायेंगे और वह समिति जाकर इसकी जांच करेगी । लेकिन इस संबंध में कोई स्पष्ट घोषणा न करके माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी लीपापोती करने का काम कर रहे हैं और कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं । मान्यवर, इनकी नीतियों के चलते आज पूरे प्रदेश में जो परिस्थिति पैदा हो गई है, यह ठीक नहीं है । मान्यवर, आप इनको निर्देशित करने की कृपा करें कि यह एक संयुक्त समिति बनायें और इसकी जांच करें और जो इसमें शामिल जिलाधिकारी हैं उसका निलम्बन करने की घोषणा करें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अम्बिका जी यह बहुत गलत बात है, जब आपके पक्ष से माननीय नेता विरोधी दल, माननीय बाजपेई जी, सभी की बातें सुन ली गई हैं, तो कम से कम आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की भी पूरी बात तो सुन लें नहीं तो आपको यह पता कैसे चलेगा कि आखिर वह क्या कहना चाहते हैं ? कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें । संसदीय कार्य मंत्री जी को अपनी पूरी बात कहने का अवसर तो दें जब तक आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तब तक कैसे किसी निर्णय पर पहुंच जायेंगे । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, हम तब ही कुछ सुनने को तैयार हैं जब यह आज इस सदन में यह घोषणा करें कि उस जिलाधिकारी का निलम्बन किया जायेगा । मान्यवर, जब तक यह आज इस सदन में यह घोषणा नहीं करेंगे कि विधान मण्डल की एक संयुक्त समिति बनाकर उससे जांच कराई जायेगी यह इस सदन में यह घोषणा करें तब ही हम कुछ सुनने को तैयार हैं ।

* श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह सरकार समाजवादी पार्टी और किसानों का उत्पीड़न कर रही है । मान्यवर, हमारे जनपद गोण्डा में चार-चार हत्यायें हुई हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नेता प्रतिपक्ष और 3 माननीय सदस्यों को सुना गया, संसदीय कार्य मंत्री की बात आ जाये आप संसदीय कार्य मंत्री की बात नहीं आने देना चाहते हैं। यह उचित नहीं है।

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, किसी के निलम्बन और स्थानान्तरण की मांग नहीं कर रहे हैं। विधान मंडल दल की संयुक्त समिति से जांच हो जाये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने गारन्टी दे दी है पहले वाक्य में। संयुक्त समिति से जांच करवाने के लिये तैयार हैं। आप निर्देश दें तब हम सुनने के लिये तैयार हैं।

श्री अधिष्ठाता-

पहले निर्देश नहीं होता है।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, [× × ×]

श्री अधिष्ठाता-

आप अपने को नियंत्रित रखिये, पीठ पर इस तरह का आक्षेप उचित नहीं हैं।

*कुंवर रेवती रमण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपसे विनम्र प्रार्थना यह है कि सदन की कुछ परम्परायें और मान्यतायें हैं। हम लोग परम्पराओं और मान्यताओं का निर्वहन करना चाहते हैं और सरकार से भी अपेक्षा है कि वह भी निर्वहन और पालन करे। मान्यवर, इस सदन में एक बार नहीं कई बार संयुक्त समिति बन चुकी है,जांच हो चुकी है। मान्यवर, लोक सभा में यह परम्परा है। विधान सभा में, लोक सभा की यह मान्यता भी चलती है। कोई संयुक्त समिति बना दें, फिर हम लोग ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं जो अनुचित हो। माननीय संसदीय कार्य मंत्री की पूरी बात सुनेंगे। इनको जो कहना होगा पूरी समाजवादी पार्टी सुनेगी। संयुक्त समिति की घोषणा कर दें। जो 10 दिन में अपना प्रतिवेदन सदन के पटल पर रख दे। तद्नुसार कार्यवाही हो इसमें अनुचित कौन सी बात है। कार्यवाही की मांग हम नहीं कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय कुंवर साहब निश्चित रूप से आप योग्य सदस्य हैं। पूरा सदन आपसे सीखता है, लेकिन आज तक ऐसे कितने उदाहरण हैं, बिना बात आये सीधे-सीधे घोषणा हो जाये।

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधान सभा

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारा विश्वास संसदीय कार्य मंत्री में इतना है कि उन्हीं की अध्यक्षता में संयुक्त समिति बना दी जाये और उनकी अध्यक्षता में समिति चली चले ।

मान्यवर, अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री घोषणा करते हैं तो हम उनकी बातों को सुनेंगे ।

(व्यवधान)

(श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री राम विशुन आजाद तथा श्री उदयराज यादव के साथ समाजवादी पार्टी के कई अन्य सदस्य सदन के वेल में आ गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

यह उचित नहीं है, आप अपने आसन पर जायें ।

(सदस्यों के अपने आसन पर न जाने और नारे लगाते रहने पर ।)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को आधे घण्टे के लिये स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण 1 बजकर 20 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 50 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 1 बजकर 50 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 2.00 बजे तक बढ़ा दिया है । 2 बजे सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन् माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देशित किया गया है कि विधान मण्डल की संसदीय समिति की जांच की घोषणा कर दें फिर सदन की कार्यवाही चले ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कुछ परम्परायें रही हैं, जब आपका पक्ष आ गया है तो कम से कम शासन का पक्ष भी तो आ जाने दीजिये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरा उत्तर देने का क्रम वहीं होगा जो मैं उचित समझूंगा । मैं किसी के दबाव में आकर उत्तर देने का क्रम नहीं बदलूंगा ।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य एक साथ बोलने लगे ।)

श्री हुकुम सिंह–

मैं [illegible] नहीं कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने हत्या करने से कोई कर्म नहीं छोड़ा [illegible] कानून के [illegible] नाश करने वाले हैं [illegible]

(समाजवादी पार्टी के डा० कौशल किशोर, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री उदयराज यादव, श्री वसीम अहमद, डा० वकार अहमद शाह के साथ अनेक सदस्य वेल में आ गये और नारे लगाने लगे ।)

श्री अम्बिका चौधरी–

यह सदन किसी की मर्जी पर नहीं चलता है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपने स्थान पर बैठ जायं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें सदन की कार्यवाही चलने दें, शासन का पक्ष आने दीजिये ।

(घोर व्यवधान जारी रहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मुझे विवश होकर, जितना भी आप लोगों ने बोला है, कार्यवाही से निकालना एक्सचेंज करना पड़ेगा, यह सब उचित नहीं है । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान जारी रहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को दस मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण 2 बजकर 5 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 15 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 2 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस विषय पर, जो यहां पर आज उठाया गया है उसके बारे में केवल 5 मिनट में अपनी बात पूरी करना चाहूंगा ।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

[× × ×]

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कुछ घटनाओं का उल्लेख आज किया गया । मैं खाली समाजवादी पार्टी के विधायकों और नेताओं को इस घटना की ओर ले जाना चाहता हूं ।

नोट :– [ ] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(डा० वकार अहमद शाह, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री उदयराज यादव, श्री अब्दुल मन्नान आदि समाजवादी पार्टी के अनेकों सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे ।)

श्री अधिष्ठाता–

अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मुझे निर्णय लेना पड़ेगा । यह जितना भी बोला गया है, कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । अब मैं नियम 56 की सूचनायें ले रहा हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 28 मई, 2001 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुईं । शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित की गईं । प्रथम 5 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा ।)

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री बी०आर० वर्मा, श्री राम ललित चौधरी, श्री राम शंकर पाल, श्री लालमणि प्रसाद की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रवक्ता पद हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के मानदण्डों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसरण न करने से राज्य के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों के चयन से वंचित रह जाने के संबंध में, दूसरी सूचना श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि की प्रदेश में स्थानीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मियों व अन्य कर्मचारियों को लम्बी अवधि से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, तीसरी सूचना श्री उदयराज यादव की प्रदेश में विशेषतः जनपद उन्नाव में समय-समय पर दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान में उचित आर्थिक सहायता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, चौथी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ में कतिपय जीर्ण-शीर्ण सड़कों के पुनर्निर्माण के संबंध में पांचवीं सूचना श्री दद्दू प्रसाद की जनपद हमीरपुर व महोबा में निरन्तर बढ़ते अपराधों तथा पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, छठवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की–सीतापुर नगर के सुदामापुरी मोहल्ले के निवासियों के आम रास्ते को पी०ए०सी० द्वारा रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, सातवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की–ताज ट्रेपेजियम जोन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक उद्योगों की स्थापना कर रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने के संबंध में आठवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद एवं डा० वकार अहमद शाह की–जनपद गोण्डा में पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश के धन के वितरण में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के विधायकों में भेदभाव किये जाने के संबंध में नवीं सूचना श्री विनोदमणि की–प्रदेश में नौकरशाही में कथित रूप से बढ़ती निरंकुशता तथा भ्रष्टाचार के संबंध में, दसवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की–जनपद आजमगढ़ की फूलपुर कोतवाली अन्तर्गत बढ़ती अपराधिक घटनाओं तथा मृतक श्री छत्रधारी तिवारी के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में है । इन सभी पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये मैं निस्तारित कर रहा हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना थी ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री प्रमोद कुमार की सूचना को नियम–51 में परिवर्तित करते हुए सरकार को वक्तव्य देने हेतु कह दिया है । शेष माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गईं । अतः अस्वीकृत हुईं, उनके नाम इस प्रकार हैं श्री कौकब हमीद, श्री समरपाल सिंह, श्री कैलाश, श्री लालमणि प्रसाद, श्री आर०के० चौधरी, श्री राम शंकर पाल, श्री राम ललित चौधरी ।

(व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–21
(खाद तथा रसद विभाग)

* खाद्य एवं रसद मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,51,85,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ?

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर) ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,51,85,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न मतदान द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

* श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,51,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ?

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर) ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,51,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवायोजन)

*श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 67,03,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ?

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर) ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 67,03,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन के फ्लोर पर नारे लगाते रहने से घोर व्यवधान बना रहा) ।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राजाराम पाण्डेय)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,21,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ?

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर) ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,21,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,25,23,,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ?

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,25,23,,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 28 मई, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुईं ।

पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की, प्रदेश में 11-11-97 के शिक्षण शुल्क संबंधी शासनादेश तथा 30-8-2000 के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम से पूर्व के अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त विषयों को अब स्ववित्त पोषित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है जिसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । दूसरी सूचना श्री लालजी वर्मा की, जनपद अम्बेडकर नगर में विद्युत परिषद् इण्टर कालेज, विद्युत नगर टाण्डा के एल०टी० ग्रेड के शिक्षकों को देय समयबद्ध वेतनमान न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, जिसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । तीसरी सूचना श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि की, जिलाधिकारी मैनपुरी द्वारा ग्राम सभा सौज के प्रधान को कथित रूप से झूठे मुकदमें में फंसाये जाने के संबंध में है जो नियम–300 में प्राप्त हुई है । जिसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । चौथी सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री कौकब हमीद, श्री अखिलेश कुमार सिंह की, जनपद फतेहपुर में धाता कस्बे में कुख्यात दस्यु ददुवा के पुत्र की शादी में सत्तारूढ़ दल के कतिपय मंत्रियों तथा वरिष्ठ नेतागण के शामिल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, जो नियम–56 में प्राप्त हुई, जिसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । पांचवीं सूचना श्री ददू प्रसाद की जनपद चित्रकूट में थानाध्यक्ष मऊ द्वारा कथित रूप से की जा रही मनमानी तथा भ्रष्टाचार के संबंध में है, जिसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

छठी सूचना श्री उदयराज यादव की राजकीय बालिका हायर सेकेन्ड्री स्कूल पुरवा जनपद–उन्नाव का वर्ष 1972 से अब तक विद्यालय भवन न बनने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, जिसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । सातवीं सूचना श्री रूप चौधरी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के कटाव के कारण किसानों के परिवारों की बर्बादी व सीमा विवाद के संबंध में है, जिसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । आठवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा नगर में सड़कों के किनारे तथा गलियों में पड़े कूड़े एवं मलवे के ढेर से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, जिसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । नौवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की, फिरोजाबाद में चूड़ी पकाई भट्टियों पर कार्यरत

श्रमिकों को नियम सम्मत मजदूरी न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, जिसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । दसवीं सूचना श्री अरिमर्दन सिंह की, जनपद महोबा के ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में व्याप्त अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के संबंध में है जिसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । ग्यारहवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की सदन में याचिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत किए गए विषयों पर संबंधित विभागों/अधिकारियों द्वारा यथाविधि कार्यवाही न किए जाने के संबंध में है, जिसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

बारहवीं सूचना डा० वकार अहमद शाह की, जनपद बहराइच के जिला अस्पताल में नवजात शिशुओं की जीवन रक्षा हेतु प्रयुक्त होने वाले इन्क्यूबेटर के काम न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, जिसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । तेरहवीं सूचना डा० ज्ञानवती सिंह की, अवैध परमिट धारकों द्वारा मेरठ चंडीगढ़ मार्ग पर संचालित बसों का संचालन बन्द कराए जाने के संबंध में है, जिसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । चौदहवीं सूचना श्री विभूति प्रसाद निषाद की, जनपद आजमगढ़ के तहसील बुढ़नपुर के अन्तर्गत ग्राम गजन्धरपट्टी अजगरा (हटिया) में चक मार्ग 549 पर अवैध कब्जेदारी किए जाने के संबंध में है, जिसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :–

1–श्री छोटे लाल गंगवार, 2–श्री प्रदीप कुमार, 3–श्री राम औतार शाक्य, 4–श्री राजपाल सिंह, 5–श्री विजेन्द्र आर्य, 6–डा० धर्मज्ञ मिश्र, 7–श्री शिशुपाल सिंह यादव, 8–श्री ओम प्रकाश गुप्ता, 9–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तथा 25 पर अंकित वक्तव्य पढ़े हुए माने जाते हैं ।

(मद संख्या–11 लगायत मद संख्या–25 पर उल्लिखित संलग्न वक्तव्य पढ़े हुए माने गये)

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में मानक एवं नियमों के विरुद्ध रीडर एवं प्रवक्ताओं की नियुक्तियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन तथा मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में श्री राम औतार शाक्य मा० सदस्य, विधान सभा के प्रदेश के विश्वविद्यालयों में मानक एवं नियम के विरुद्ध रीडर एवं प्रवक्ताओं की अवैध व अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित किया तथा हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय में

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रसायन विज्ञान विभाग में रीडर के पद पर दिनांक 11-4-2001 को डा० देश दीपक की नियुक्ति का संदर्भ देते हुए अवगत कराया है कि पूर्व कुलाधिपति द्वारा दिनांक 11 मई, 1997 को डा० देश दीपक की प्रवक्ता, रसायन विज्ञान विभाग के पद पर की गई गलत नियुक्ति को निरस्त कर दिया था । पुनः इनकी नियुक्ति लखनऊ विश्वविद्यालय में अंशकालिक प्रवक्ता पद पर गलत ढंग से की गई जिसे भी कुलाधिपति द्वारा दिनांक 24-8-2000 को निरस्त कर दिया गया । तीसरी बार रीडर के पद पर उनकी नियुक्ति की जानी कानून का सरासर उल्लंघन है । इस तरह से प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां की गई हैं और की जा रही हैं जिससे समूचे प्रदेश के शिक्षा जगत में ही नहीं, अपितु जन जीवन में भी आक्रोश व्याप्त है ।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थान होते हैं । विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति में शासन का हस्तक्षेप नहीं होता है । विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 31 की उपधारा–4 में निम्नवत् प्राविधान है :–

विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(I) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(II) सम्बद्ध विभागाध्यक्ष,

(III) किसी आचार्य या उपाचार्य की दशा में तीन विशेषज्ञ और अन्य दशा में दो विशेषज्ञ जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जायेंगे ।

लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवक्ता रसायन विज्ञान के रिक्त पद पर डा० देश दीपक चयन समिति द्वारा चयनित किए गये तथा चयन समिति की संस्तुति कार्यपरिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत की गयी कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुति का अनुमोदन नहीं किया क्योंकि श्री देश दीपक उत्तम शैक्षिक अभिलेख की योग्यता नहीं रखते हैं यह डा० देश दीपक द्वारा उत्तीर्ण की गयी परीक्षाओं में प्राप्त अंक की स्थिति से भली-भांति स्पष्ट है :–

1–हाई स्कूल यू०पी० बोर्ड	1974	द्वितीय श्रेणी	51.2%
2–इण्टरमीडिएट यू०पी० बोर्ड	1976	तृतीय श्रेणी	41.2%
3–बी०एस०सी० ल०वि०वि०	1978	तृतीय श्रेणी	47.0%
4–एम०एस०सी० ल०वि०वि०	1980	द्वितीय श्रेणी	57.0%
5–पी०एच०डी०			

जबकि तत्समय प्रवक्ता पद हेतु निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता परिनियमावली के परिनियम–11.01 में निर्धारित है :–

कला, वाणिज्य और विज्ञान संकायों की स्थिति में विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं सुसंगत विषय में कम से कम 55% अंक सहित या उसके समकक्ष श्रेणी में स्नातकोत्तर

उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख 5 (क) ''कोई ऐसा अभ्यर्थी (शिक्षा और विधि संकायों में प्राध्यापक पद के लिए किसी अभ्यर्थी से भिन्न) जिसने या तो स्नातक की उपाधि परीक्षा में 55% अंक और इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में द्वितीय श्रेणी में या दोनों परीक्षाओं में से प्रत्येक में पृथक-पृथक 50% अंक प्राप्त किया हो, अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख कहा जायेगा ।''

अंततः इस प्रकरण को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–31 की उपधारा–8(क) के अन्तर्गत मा० कुलाधिपति को संदर्भित कर दिया । माननीय कुलाधिपति ने अपने आदेश संख्या–ई०–2864/जी०एस० दिनांक 11-5-1997 के माध्यम से चयन समिति की कार्यवाही को निरस्त कर दिया । पुनः मा० कुलाधिपति ने श्री देशदीपक की अंशकालिक प्रवक्ता पद की नियुक्ति को अपने आदेश संख्या–ई–1116/जी०एस० दिनांक 24-2-2000 द्वारा समाप्त करते हुए पूर्णकालिक नियुक्ति करने का निर्देश दिया । उक्त आदेश के विरुद्ध डा० देश दीपक द्वारा मा० उच्च न्यायालय से दिनांक 11-9-2000 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा रीडर, रसायन विज्ञान के पद को विज्ञापित किया गया और इस संबंध में गठित चयन समिति द्वारा डा० देश दीपक को उक्त पद पर नियुक्त किए जाने की संस्तुति उनके बाद में किए गये उक्त कोटि के शोध एवं अनुसंधान कार्यों के आधार पर की । चयन समिति की संस्तुति कार्य परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत की गई तथा कार्य परिषद् के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि डा० देशदीपक प्रवक्ता पद की भी न्यूनतम एवं निर्धारित शैक्षिक अर्हता नहीं रखते हैं और उक्त अर्हताओं को विश्वविद्यालय अधिनियम व विश्वविद्यालय के परिनियमावली के अन्तर्गत शिथिल नहीं किया जा सकता । इतना ही नहीं कार्यपरिषद् के दो सदस्यों– श्री जे०एन० कौल तथा श्री बाबूराम ने अपनी लिखित असहमति भी कार्यवृत्ति में दर्ज कराया, परन्तु इसके बावजूद कार्यपरिषद् द्वारा चयन समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया गया और डा० देश दीपक की रीडर, रसायन विज्ञान के पद पर नियुक्ति कर दी गयी । इस नियम विरुद्ध नियुक्ति पर उचित एवं आवश्यक कार्यवाही/निर्णय हेतु महामहिम श्री कुलाधिपति को संदर्भित कर दिया गया है क्योंकि विश्वविद्यालय के अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही महामहिम श्री कुलाधिपति के स्तर से सम्पन्न की जाती है ।]

जनपद गाजियाबाद में घटिया निर्माण सामग्री से बहुमंजिली इमारतों के बनाये जाने में भूकम्परोधी तकनीक का प्रयोग न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[माननीय सदस्य श्री रूप चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत इस आशय की सूचना दी गयी है कि प्रदेश के प्रमुख नगरों में बहुमंजिले भवनों में बनाये जा रहे फ्लैटों से खतरे बढ़ रहे हैं और भयानक

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दुघर्टना की आशंका हो गयी है । मा० सदस्य द्वारा विशेष कर गाजियाबाद जनपद के अन्तर्गत शालीमार गार्डेन, राजेन्द्र नगर, वसुन्धरा, सूर्यनगर, रामप्रस्थ एवं कौशम्बी सहित अनेक स्थानों पर बिल्डरों द्वारा बनाये जा रहे हजारों फ्लैट की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से सांठ-गांठ करके अवैध तरीके से बहुमंजिले फ्लैट बनाकर मध्यंम वर्गीय लोगों को बेचे जाने की बात कही गयी है । इसी प्रकार मेरठ, आगरा, कानपुर, नोयडा सहित लखनऊ में भारी संख्या में बन रहे फ्लैट्स का उल्लेख भी किया है । मा० सदस्य द्वारा विगत 26 जनवरी, 2001 को गुजरात में आये भूकम्प का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि प्रदेश में बिल्डर्स भूकम्परोधी डिजाइन व उपाय नहीं कर रहे हैं । उपरोक्त के आधार पर दोषी बिल्डरों व उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आग्रह किया गया है ।

मा० सदस्य की उपरोक्त सूचना पर मा० आवास एवं नगर विकास मंत्री जी से दिनांक 28-5-2001 को वक्तव्य देने की अपेक्षा की गयी है ।

दिनांक 26 जनवरी, 2001 को गुजरात में आये भीषण भूकम्प की त्रासदी पर सम्पूर्ण देश में गम्भीर चिन्तन प्रारम्भ हुआ और इसी दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा भी इस पर गहन मंथन एवं विचार विमर्श कर भूकम्भ की त्रासदी से निपटने हेतु एक विस्तृत रणनीति बनायी गयी । उत्तर प्रदेश जिसका अधिकांश क्षेत्र भूकम्प जोन 2 से 4 के अन्तर्गत आता है, में नये बहुमंजिले भवनों के निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण में आवश्यक भूकम्परोधी सुरक्षात्मक प्राविधान करने की रूपरेखा तैयार की गयी । इसके अन्तर्गत आवास विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्र के समस्त भूतल सहित तीन मंजिले से अधिक अथवा 12 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन निर्माण एवं 500 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन वाली सभी महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं, यथा–अस्पताल, छविगृह, आडीटोरियम, सभा भवन, शैक्षणिक संस्थाओं, बस टर्मिनल, वाटरवर्क्स एवं ओवर हैड टैंक, टेलीफोन एक्सचेंज, ब्रिज एवं कलवर्ट, विद्युत उत्पादन केन्द्र एवं विद्युत स्टेशन तथा विद्युत टावर इत्यादि के निर्माण में भूकम्भरोधी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 3 फरवरी, 2001 एवं दिनांक 13-2-2001 को दो शासनादेश निर्गत किये गये, जिसमें मुख्यतः निम्न प्राविधान हैं :–

1–भवनों/महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु वास्तुविदीय मानचित्र के साथ निर्धारित प्रारूप पर बिल्डिंग इन्फारमेशन शिड्यूल, नींव, सुपर स्ट्रैक्चर की डिजाइन सम्बन्धी समस्त गणनायें एवं स्ट्रक्चरल विवरण संलग्न किया जायेगा तथा पंजीकृत आर्कीटेक्ट, अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाइन का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि भवन मानचित्र की बिल्डिंग एवं स्ट्रक्चरल तथा सर्विसेज डिजाइन इत्यादि में भारतीय मानक संस्थान के सुसंगत कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड एवं अन्य सुसंगत गाइड लाइन के अनुरूप सभी आवश्यक भूकम्परोधी प्राविधान किया गया है ।

2–मानचित्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे परीक्षण करके यह सुनिश्चित करेंगे कि मानचित्र के साथ आवश्यक विवरण एवं प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया गया है । यदि इनके परीक्षण में किसी प्रकार की बरती गयी शिथिलता के कारण भवन की संरचनात्मक सुरक्षा संशयपूर्ण पायी गयी तो मानचित्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी अपराधिक

(क्रिमिनल) शिथिलता के लिए उत्तरदायी होंगे । निर्माण का सुपरवीजन वास्तुविद की देख-रेख में एक अर्ह सिविल इंजीनियर द्वारा किया जायेगा । निर्माण सामग्री की स्थल पर टेस्टिंग होगी तथा सामग्री परीक्षण का परिणाम निर्माण स्थल पर उपलब्ध रहेंगे । निर्माण के दौरान कार्य का आकस्मिक निरीक्षण स्वतन्त्र तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा कराया जायेगा तथा निर्माण में शिथिलता पाये जाने पर तत्काल कार्यवाही की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी । तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट यदि सन्तोषजनक नहीं होगी तो निर्माण कार्य रोक कर निर्माण को अनाधिकृत मानकर सील भी किया जा सकेगा तथा निर्माणकर्ता व उसके सहायक अपराधिक (क्रिमिनल) शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी ।

3–निर्माण कार्य सन्तोषजनक रूप से पूर्ण हो जाने पर भू-स्वामी/बिल्डर, वास्तुविद, साइट इंजीनियर द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संयुक्त रूप से इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा कि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र निर्धारित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा अनुमोदित स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं भूकम्परोधी समस्त प्राविधानों के साथ किया गया है तथा भवन उपयोग हेतु हर प्रकार से सुरक्षित है । इस प्रमाण-पत्र पर पूर्ण सन्तुष्टि के उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा । परन्तु बिना पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हुए यदि कोई भवन अथवा उसका कोई अंश अनाधिकृत रूप से प्रयोग में लाया जाता है तो ऐसे निर्माण को सील कर दिया जायेगा तथा भवन स्वामी/निर्माता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

भूकम्परोधी शासनादेश का पालन करने में कोई व्यवहारिक कठिनाई न आये इसके लिए भवनों/महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के स्ट्रक्चरल डिजाइन करने तथा उनके निर्माण के दौरान स्वतन्त्र तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर एवं सिविल इंजीनियर के अनुभवी एवं निष्ठावान विशेषज्ञों के निरीक्षण हेतु आवश्यक गाइडलाइन्स तैयार करने हेतु इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया) उ० प्र० शाखा से अनुरोध किया गया है ।

प्राकृतिक आपदाओं से जान-माल की सुरक्षा करने एवं भूकम्परोधी भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापनाओं से सम्बन्धित सुविधाओं का निर्माण कराने हेतु प्रदेश स्तर पर इस विभाग द्वारा बनाये गये अधिनियमों एवं भवन उपविधियों में यथा आवश्यक संशोधन करने पर भी विचार किया जा रहा है जिनका उलंघन करने वाले संज्ञेय अपराध की परिधि में आयेंगे । इसके अतिरिक्त भूकम्परोधी भवनों को बनाये जाने एवं उन्हें क्रय किये जाने हेतु जन साधारण में जागरूकता लाने के समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

आवास विभाग द्वारा निर्गत किये गये शासनादेश में वर्णित व्यवस्थाओं के प्रभावी क्रियान्वयन अपने क्षेत्र में सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न विभागों को भी निर्देश दिये गये हैं जिसमें औद्योगिक विकास विभाग भी सम्मिलित है ।

इस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में गम्भीर चिन्तन करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा रही है ।]

प्रदेश के छः जनपदों का परिसीमन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर एवं कन्नौज जनपद के क्षेत्रों का परिवर्तन करने का निर्णय अध्यक्ष, राजस्व परिषद् एवं सम्बन्धित मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों की बैठक में जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान, क्षेत्र समिति के सदस्यों, जिला पंचायतों के सदस्यों, विधायकों एवं सांसदों का मत प्राप्त किये बिना ही लिया गया है जिससे क्षेत्र में घोर असन्तोष व्याप्त है ।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा मण्डलों/जनपदों एवं तहसीलों के परिसीमन के सम्बन्ध में अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या–3212/1-5/95-128/86–रा०–5, दिनांक 17-10-95 द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है । जिसमें प्रमुख सचिव, नियोजन या उनके द्वारा नामित आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् को स्थायी सदस्य, एवं जिस मण्डल या जनपद के परिसीमन का प्रकरण है, उसके मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी को समिति का सदस्य बनाया गया है ।

3–उक्त समिति को समय-समय पर विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्यों या जनपद द्वारा शासन को दिये गये परिसीमन सम्बन्धी प्रकरणों को सन्दर्भित किया जाता है । समिति द्वारा जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों से आख्या प्राप्त कर उन्हें विस्तृत जानकारी एवं विचार करने के लिए बैठक में आमंत्रित किया जाता है और सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् समिति अपनी संस्तुति शासन को भेजती है । प्रश्नगत 6 जनपदों के परिसीमन के सम्बन्धी विभिन्न प्रकरणों पर विचार-विमर्श हेतु उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17-5-2001 को सम्पन्न हुई है किन्तु समिति की संस्तुति अभी तक शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

शासन द्वारा शीघ्र विचारोपरान्त समुचित निर्णय लिया जायेगा ।]

जनपद जालौन के थाना-कदौरा के ग्राम–चतेला निवासी भारतीय सेना के जवान श्री नसीम अहमद एवं उनके परिवारजनों को पुलिस द्वारा उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्रीराम पाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री. (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद जालौन के थाना कदौरा के ग्राम चतेला निवासी भारतीय सेना के जवान श्री नसीम अहमद एवं उनके परिवारजनों को पुलिस द्वारा उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जालौन से

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्राप्त की गयी आख्या के अनुसार तथ्यात्मक विवरण निम्नवत् है :–

दिनांक 28-4-2001 को उपनिरीक्षक श्री चन्द्र प्रकाश चतुर्वेदी, प्रभारी, थाना कदौरा मय आरक्षी 540 ना०पू० जय करन सिंह व आरक्षी 85 ना०पु० चन्द्रपाल सिंह के साथ वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बिना जमानती वारण्ट की तामीली हेतु रवाना हुए थे । ग्राम चतेला थाना कदौरा के मु० आवेश पुत्र रमजान के विरुद्ध मु०अ०सं०–3/2001 अन्तर्गत धारा–फारेस्ट ऐक्ट में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम उरई के न्यायालय से निर्गत बिना जमानती वारण्ट की तामीली की गयी । अभियुक्त मु० आवेश की गिरफ्तारी के दौरान श्री नसीम अहमद द्वारा पुलिस पार्टी से गिरफ्तार न करने के लिए कहा गया और गिरफ्तारी का मौखिक विरोध किया गया । श्री उज्जी शेख के पत्र नन्हा शेख के लड़े रहीश मुहम्मद के लड़के नसीम अहमद, शमीम एवं फहीम हैं, जबकि श्री उज्जी शेख के दूसरे लड़के उल्ली मोहम्मद शेख के लड़के रमजान शेख के लड़के मुहम्मद आवेश एवं मुहम्मद इदरीश हैं । इस प्रकार दोनों एक ही खानदान के हैं । पुलिस द्वारा अभियुक्त मुहम्मद आवेश को न छोड़ने और थाने पर लाकर दाखिल कर दिये जाने पर श्री मुहम्मद इदरीश व ग्राम प्रधान बड़ागांव आदि लगभग 30–35 व्यक्ति ट्रैक्टर–ट्राली द्वारा थाना कदौरा आये और अभियुक्त मुहम्मद आवेश को छोड़ने हेतु प्रभारी थाना उपनिरीक्षक श्री चन्द्र प्रकाश चतुर्वेदी पर काफी दबाव डाला । थाना प्रभारी द्वारा अभियुक्त को न छोड़ने पर उक्त लोग तरह-तरह की धमकियां देकर चले गये ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वारण्टी अभियुक्त मुहम्मद आवेश के सगे भाई मुहम्मद इदरीश पुत्र रमजान नि० ग्राम चतेला थाना कदौरा के विरुद्ध भी मु०अ०सं०–12/87 धारा–352/504/506 भा०दं०वि० (2) मु०अ०सं०–24/88 धारा–323/504/506/325 भा०दं०वि० (3) मु०अ०सं०–256/94 धारा–323/504/506 भा०दं०वि० (4) मु०अ०सं०–निल/98 धारा–323/504/(अहस्तक्षेपीय अपराध) एवं (5) मु०अ०सं०–38/2000 धारा–107/116 दं०प्र०सं० आदि थाना कदौरा पर पंजीकृत हैं । इस प्रकार अभियुक्त के परिवार का अपराधिक इतिहास है ।

श्री नसीम अहमद के द्वारा पुलिस कां० 540 ना०पु० जय करन सिंह व कान्स० 85 ना०पु० चन्द्र पाल सिंह के विरुद्ध लगाये गये, गाली देने, मारपीट करने, नसीम की पत्नी तथा बच्चों के साथ अभद्रता करने, पुलिस के दलालों के प्रभाव में गिरफ्तारी करने सम्बन्धी आरोप तथा गिरफ्तारी को लेकर गांव में आक्रोश व्याप्त होने के तथ्य जांच से प्रमाणित नहीं हुए । मा० न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ही प्रभारी थाना कदौरा के नेतृत्व में मुहम्मद आवेश की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गयी है ।]

निदेशक, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा स्वतन्त्रता-संग्राम सेनानियों के सम्मान हेतु किये गये आयोजन में शासन द्वारा स्वीकृत धन का दुरुपयोग एवं अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

। दिनांक 18-2-2001 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन हेतु शासनदेश संख्या–214जेड/6–सा–1–2001–27जी/2000, दिनांक 11 जनवरी, 2001 द्वारा रु०71,23,500/- की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । निदेशक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ द्वारा सूचित स्थिति के अनुरूप उक्त सम्मेलन में रु० 55,05,704/- का व्यय हुआ तथा रु० 16,17,796/- की बचत हुई । मा० विधायक द्वारा अनियमितताओं के सम्बन्ध में की गई शिकायत के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है । जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही यथासमय की जायेगी ।।

व्यापार कर अधिनियम की धारा–4 "एए" के प्राविधानों की विसंगतियों के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

।।–माननीय सदस्य द्वारा व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को उनके द्वारा विभिन्न जातियों के निर्धारित प्रतिशत में नियोजन करने पर छूट प्रदान किये जाने हेतु जिलाधिकारी के प्रमाण-पत्र के स्थान पर तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर छूट दिये जाने एवं ऐसी इकाईयों को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत भी छूट दिये जाने के सम्बन्ध में संशोधन की आवश्यकता बतायी गयी है ।

2–उक्त सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि सरकारी विज्ञप्ति संख्या–व्या०क०–2–779/ग्यारह–9(226)/94 दिनांक 31-3-95 द्वारा कतिपय शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन निजी क्षेत्र की ऐसी औद्योगिक इकाईयों को, जो कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित व्यक्तियों को ऐसी औद्योगिक इकाई द्वारा दिये गये कुल नियोजन का क्रमशः 23 प्रतिशत, 27 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दर से नियोजन देती है को 25 प्रतिशत की दर से कर में रियायत प्रदान की गई है ।

3–उक्त विज्ञप्ति में यह शर्त कि जिला मैजिस्ट्रेट का इस आशय का प्रमाण–पत्र कि वह व्यक्ति जिसे नियोजन दिया गया है, यथास्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की कोटि से सम्बन्धित है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद माह दिसम्बर, तक दाखिल किये जाने का प्राविधान इस उद्देश्य से रखा गया है कि इस छूट का दुरुपयोग न हो और

नोटः–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पात्र व्यक्ति ही रोजगार का अवसर पा सकें । अतः इस शर्त को शिथिल करना उचित नही है । जहां तक केन्द्रीय बिक्री पर छूट का प्रश्न है वह इस कारण नहीं दी गई है कि निर्माता इकाई चाहें तो कोई केन्द्रीय बिक्री कर दिये बिना, कान्साइनमेंट पर बिक्री कर सकती है ।]

जनपद चन्दौली के विकास खण्ड चहनियां अन्तर्गत ग्राम सभा चकता में हुए अग्निकाण्ड के प्रभावित परिवारों को शासन द्वारा राहत एवं समुचित सहायता न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभु नारायण सिंह यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जिलाधिकारी, चन्दौली की आख्यानुसार जनपद के विकास खण्ड चहनियां अन्तर्गत ग्राम सभा चकता (चकरा, चकना) में दिनांक 12-4-2001 को लगी आग विद्युत तार से शार्ट सर्किट होने से लगी थी जिसमें 33 परिवार प्रभावित हुए थे । दुर्घटना दैवी आपदा के अन्तर्गत न आने के कारण राहत सहायता वितरित नहीं की गई । भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार इस प्रकार की दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति दैवी आपदा राहत निधि से अनुमन्य नहीं है । दुर्घटना के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड चन्दौली द्वारा अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को राहत सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु समुचित माध्यम से महाप्रबन्धक (वाणिज्य) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन स्थिति मुख्यालय को अवगत कराया गया है । वर्तमान में कोई भी परिवार खुले आसमान के नीचे नहीं रह हैं और प्रभावितों को खाने पीने की भी कोई समस्या नहीं है ।]

प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कैरोसीन आयल मानक के अनुसार वितरित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश में किरोसीन आयल के थोक विक्रेताओं द्वारा मानक के अनुसार फिलर द्वारा तेल मापकर सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से ग्रामीणों को नहीं दिया जा रहा है तथा अधिकांश जनपदों से शिकायतें मिलने का उल्लेख करते हुए यह भी अवगत कराया गया है कि अधिकांश थोक विक्रेताओं द्वारा केरोसीन आयल को सरकारी मानक के अनुसार फिलर से नापकर मीटर (लोहे की छड़) जिस पर गलत निशान लगाकर नापा जाता है । सूचना में यह भी अंकित है कि जनपद गाजियाबाद में कई बार झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न होने की शिकायतें प्राप्त हुई है । अतः मा० विधायक द्वारा प्रदेश के

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अधिकांश जिलों में किरोसीन आयल के थोक विक्रेताओं द्वारा कम तेल मापने के खिलाफ दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई है ।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा मिट्टी तेल के थोक विक्रेताओं द्वारा भूमिगत अथवा भूमोपरि टैंक का निर्माण कराकर फार्म–13 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने तथा मिट्टी तेल शत-प्रतिशत भूमिगत/भूमोपरि टैंकों में ही अनलोड किये जाने एवं बप्त मिट्टी तेल का वितरण''फिलर मशीन'' द्वारा ही वितरित करने के निर्देश दिये गये थे किन्तु कुछ समय बाद शासन के संज्ञान में यह तथ्य लया गया कि प्रदेश के अनेक थोक मिट्टी तेल विक्रेताओं द्वारा शत-प्रतिशत मिट्टी तेल अपने भूमिगत अथवा भूमोपरि टैंकों में अनलोड नहीं किया जाता है तथा अनेक मिट्टी तेल थोक विक्रेताओं द्वारा ''फिलर मशीन'' से मिट्टी तेल नापकर आपूर्ति नहीं की जा रही है, जिसके कारण मिट्टी तेल की कालाबाजारी/अनियमितताओं की अधिक सम्भावनाएं रहती है । मिट्टी तेल की कालाबाजारी रोकने एवं अनियमित आपूर्ति को रोकने हेतु शासनादेश संख्या–2893/29–7–2000–एम 11/98, दिनांक 17 जून, 2000 निर्गत करते हुए प्रदेश के प्रत्येक मिट्टी तेल थोक विक्रेता के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि तेल कम्पनियों से प्राप्त होने वाले तेल के टैंकर को अपने भूमिगत/भूमोपरि टैंकों में शत-प्रतिशत ''अनलोड'' करायें तथा मिट्टी तेल का वितरण ''फिलर मशीन'' द्वारा ही आपूर्ति करेंगे । इस संबंध में कुछ समय बाद कतिपय जनपदों से यह जिज्ञासा व्यक्त की गई कि जिन थोक विक्रेताओं के पास डिस्पेसिंग यूनिट है क्या उन्हें भी ''फिलर मशीन'' लगाना बाध्यकारी है । इस संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 17-10-2000 को मा० खाद्य मंत्री की अध्यक्षता में पेट्रोलियम प्रोडक्टस के समुचित वितरण, आपूर्ति तथा इसकी घटतौली, प्रवर्तन की कार्यवाही एवं कालाबाजारी रोकने आदि समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें इस महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि थोक विक्रेताओं द्वारा रिटेलर्स को एवं सरकारी सस्ता गल्ला दुकानदारों को मिट्टी तेल पूरी माप में मिलना चाहिए इसकी माप ''डिस्पेंसिग यूनिट'' पे की जाय अथवा ''फिलर मशीन'' से करके वितरित किया जाय तथा जहां पर मिट्टी तेल के वितरण हेतु डिस्पेसिंग यूनिट का प्रयोग किया जा रहा है वहां ''फिलर मशीन'' लगाने की बाध्यता नहीं है ।

इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि मिट्टी तेल की कालाबाजारी, जमाखोरी, घटतौली आदि के संबंध में जो भी शिकायतें शासन स्तर पर मुख्यालय अथवा जनपद स्तर पर प्राप्त होती है उन पर तत्समय नियमानुसार जांच कराकर यथोचित कार्यवाही की जाती है भविष्य में यदि इस सम्बन्ध में अनियमितताओं के करने की कोई शिकायत प्राप्त होती है उस पर भी तत्परता से नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जहां तक जनपद गाजियाबाद का संबंध है इस संबंध में यह अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, गाजियाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद गाजियाबाद में वर्तमान में कुल 16 मिट्टी तेल के थोक विक्रेता कार्यरत हैं और सभी थोक विक्रेताओं के पास फिलर मशीन लगी है । आकस्मिक निरीक्षण कराने पर या पूर्व में ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है किसी मिट्टी तेल थोक विक्रेता द्वारा फिलर मशीन से नांप करके मिट्टी तेल नहीं दिया जा रहा है । ''फिलर मशीन'' लगाने से पूर्व थोक विक्रेताओं द्वारा गेज से मापकर सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को मिट्टी तेल देने की व्यवस्था अवश्य थी किन्तु शासन द्वारा निर्धारित समयावधि दिनांक 31-7-2000 तक सभी थोक विक्रेताओं द्वारा फिलर मशीन लगा

दी गई है और फिलर मशीन से ही आपूर्ति की जा रही है इसलिए घटतौली करने जैसी कोई समस्या प्रकाश में नहीं है ।

मा० सदस्य द्वारा उठाये गये यह बिन्दु कि जनपद गाजियाबाद में इस संबंध में कई बार झगड़े जैसी शिकायतें मिली है तथा इस प्रकार कम तेल मापने से ग्रामीण क्षेत्रों का शोषण हो रहा है । जिला प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा कोई मामला आकस्मिक निरीक्षण के दौरान प्रकाश में नहीं आया है । इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि जिले के समस्त जिला पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिये गये हैं कि शत-प्रतिशत मिट्टी तेल ''फिलर मशीन'' के माध्यम से ही उचित दर विक्रेताओं को निर्गत कर आपूर्ति की जाय तथा समस्त पूर्ति निरीक्षक इस आशय का प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध करायेंगे कि ''फिलर मशीन'' के माध्यम से ही फुटकर विक्रेताओं/सरकारी सस्ता गल्ला दुकानदारों को मासिक कोटा उपलब्ध कराया जा रहा है । ।

जनपद बलरामपुर की सीमा से लगी सिद्धार्थनगर की सीमा पर बांध बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बिन्दु लाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

। मा० सदस्य द्वारा अपनी उक्त सूचना में जनपद सिद्धार्थनगर की सीमा पर बांध बनाये जाने के कारण जनपद बलरामपुर की सीमा में 20 गांवों के बाढ़ से डूब जाने की आशंका बताते हुए जनपद सिद्धार्थनगर की सीमा से जल निकासी की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया गया है ।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राप्ती नदी के बायें तट पर जनपद सिद्धार्थनगर की सीमा में ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर द्वारा मा० सांसद श्री रामपाल सिंह द्वारा सांसद निधि के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गयी धनराशि से उनके अनुरोध पर नावाडीह से सिगारजोत तक 4.6 कि०मी० की लम्बाई में एक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया गया है । सम्पर्क मार्ग के निर्माण के दो स्थानों पर पुल का निर्माण भी प्रस्तावित है जिससे बाढ़ का पानी राप्ती नदी के दाहिने ओर विधान सभा क्षेत्र 154 गैसड़ी जनपद बलरामपुर की सीमा पर पूर्व की भांति फैलता रहेगा । मा० सदस्य विधान सभा द्वारा इंगित गैसड़ी क्षेत्र में बाढ़ के पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस क्षेत्र में बाढ़ का पानी फैलने अथवा न फैलने की स्थिति पूर्ववत बनी रहेगी । ।

श्री अनीस अंसारी, श्रम आयुक्त, उ० प्र० शासन द्वारा ''आल इण्डिया सर्विस (कन्डक्ट) रूल्स, 1968'' का उल्लंघन करके ''बाम्बे मर्केन्टाइल बैंक लि०'' बम्बई के निदेशक पद का चुनाव लड़ने के सम्बन्ध में श्री सौलत अली एडवोकेट द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

। श्री अनीस अंसारी, आई०ए०एस० (1973) ने अपने पत्र दिनांक 17 जुलाई, 1999 द्वारा बाम्बे मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि० के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर का पद धारण करने हेतु अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया । इस संबंध में कतिपय बिन्दुओं पर श्री अंसारी से स्थिति स्पष्ट करने का शासन द्वारा अनुरोध किया गया । श्री अंसारी ने अपने पत्र दिनांक 13 अगस्त, 1999 द्वारा

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अवगत कराया कि बाम्बे मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर का पद आर्थिक लाभ का पद नहीं है । बोर्ड मीटिंग के लिये उन्हें मुम्बई जाना होगा जो अधिकतम 3 माह में एक बार होगी । उक्त पद के लिये समय देने पर सरकारी कार्य में कोई बाधा नहीं आयेगी । चूंकि यह प्रकरण निदेशक नामित होने का न होकर अपितु निदेशक का चुनाव लड़ने का था, अतः श्री अंसारी से निदेशक मण्डल से संबंधित नियम उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । श्री अंसारी के पत्र दिनांक 25 सितम्बर, 99 के अवलोकन से इस संबंध में जो स्थिति स्पष्ट हुई वह निम्नवत् है :–

(1) बाम्बे मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक का मुख्यालय मुम्बई में है । बैंक के उद्देश्यों में सदस्यों के बीच बचत व सहयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, सभी प्रकार के बैंकिग कार्यों को करने, ऋण उधार लेना व देना शामिल है ।

(2) बैंक के बोर्ड की मीटिंग तीन माह में एक बार मुम्बई में होगी, जिसके लिये श्री मो० अनीस अन्सारी को मुम्बई जाना होगा ।

(3) बैंक निदेशक मण्डल में प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त 15 निदेशक होते हैं । पूरे देश को 6 जोनों में बांटा गया है । प्रत्येक जोन से निदेशक चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय जोन में रखा गया है जिससे एक निदेशक चुना जाएगा ।

(4) श्री अंसारी ने यह सूचित किया है कि पूर्व में श्री सैय्यद जहूर कासमी, सचिव ओस्नोग्राफी को भारत सरकार ने इस बैंक में निदेशक बनने की अनुमति दी थी और वे कई वर्षों तक निदेशक रहे ।

चूंकि निदेशक मण्डल में निदेशक का चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाता है, अतः इसके लिये इच्छुक व्यक्ति को चुनाव लड़ना होगा । इस संबंध में श्री अंसारी ने सूचित किया है कि यदि उन्हें निर्विरोध निदेशक चुना जाता है तभी वे बैंक के निदेशक मण्डल में निदेशक बनेंगे और यदि उनका निर्वाचन निर्विरोध नहीं होता तब वे अपना नामांकन वापस ले लेंगे । अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमावली–1968 के नियम–13.(1) (सी) में कहा गया है कि कोई भी अधिकारी बिना शासन की अनुमति के निर्वाचित पद धारित नहीं करेगा या किसी उम्मीदवार का प्रचार नहीं करेगा । अतः इस संबंध में भारत सरकार से परामर्श प्राप्त किया गया । भारत सरकार के पत्र दिनांक 21 फरवरी, 2000 द्वारा सूचित किया गया कि चूंकि निदेशक मण्डल में निदेशक का चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाता है, अतः इसके लिये इच्छुक व्यक्ति को चुनाव लड़ना होगा । इस पृष्ठभूमि में श्री अनीस अंसारी का यह कथन कि यदि उन्हें निर्विरोध निदेशक चुना जाता है तभी वे बैंक में निदेशक बनेंगे और यदि उनका निर्वाचन निर्विरोध नहीं होता है तब वे अपना नामाकंन वापस ले लेंगे, नियम के अनुकूल नहीं है ।

भारत सरकार के पत्र दिनांक 21 फरवरी, 2000 की एक छाया प्रति संलग्न कर राज्य सरकार ने श्री अंसारी को पहले दिनांक 30 जून, 2000 को और पुनः दिनांक 26 सितम्बर, 2000 के पत्र द्वारा अवगत करा दिया कि बाम्बे मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर का पद धारित करने की अनुमति दिया जाना सम्भव नहीं है ।

उक्त सूचना के संबंध में श्री अंसारी से प्राप्त आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शासन के नियुक्ति विभाग द्वारा अनुमति न दिये जाने के निर्णय के विरुद्ध उनके द्वारा भारत सरकार के कार्मिक विभाग को प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित की गई है, जो भारत सरकार में अभी लम्बित है । इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि बैंक से कोई आर्थिक लाभ नहीं लिया गया और न ही इसका वित्तीय भार प्रदेश शासन पर या भारत सरकार पर डाला गया । श्री अंसारी से प्राप्त आख्या के संदर्भ में भारत सरकार से पुनः स्थिति स्पष्ट कराई जा रही है ।]

अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम में किये जा रहे करोड़ों के घोटाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उदयराज यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम में अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल सुधार योजना हेतु राज्य सरकार से अनुदान तथा टर्मलोन योजना चलाये जाने हेतु राष्ट्रीय निगम नई दिल्ली से ऋण के रूप में धनराशि प्राप्त होती है, राज्य सरकार से व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल सुधार योजना हेतु प्राप्त अनुदान से अन्य कोर्सेज के साथ-साथ कम्प्यूटर व्यवसाय में भी प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं । उ० प्र० शासन तथा राष्ट्रीय निगम से प्राप्त धनराशि को वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों में अल्पावधि के लिए रखकर संबंधित योजनाओं में व्यय किया जाता है । इस धनराशि पर जो ब्याज प्राप्त होता है उसे निगम खाते में ही जमा किया जाता है । इससे निगम की जो आय होती है उसे नियमानुसार निगम हित में ही व्यय किया जाता है । इस पर किसी प्रकार का कमीशन आदि लेने का प्रश्न ही नहीं उठता । किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा अनियमित व अवैधानिक तरीके से न तो कोई पद प्राप्त किया गया है और न ही पद प्राप्त करने के उपरान्त उसने किसी प्रकार की सम्पूर्ण शासकीय सुख-सुविधाएं प्राप्त करने के साथ भाई-भतीजे के नाम पर अपने रिश्तदारों की नियुक्तियां करते हुए टर्मलोन वर्ष 1997 में डी०टी०पी० व्यवसाय हेतु चेक सं०–109156 दिनांक 01-10-1997 द्वारा मात्र 6 प्रतिशत ब्याज पर धनराशि रुपये 1,02,000.00 सारे नियम ताक पर रखकर स्वीकृत किया है । निगम द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल सुधार योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों तथा अन्य जनपदों में सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से चलाये जाते हैं/जा रहे हैं । शासन द्वारा ऐसी संस्थाओं के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं है अपितु निगम द्वारा निर्धारित मानक पूरी करने वाली संस्थाओं से ही प्रशिक्षण कराया जाता है । लखनऊ में अब तक 38 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से तथा प्रदेश के अन्य 39 जनपदों, जिनमें से 10 जनपद अल्पसंख्यक बाहुल्य हैं, में 82 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये गये हैं । मऊ या गाजीपुर में फर्जी तरीके से टर्मलोन की स्वीकृत धनराशि रु० 45,000/- की जानकारी निगम के संज्ञान में

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नहीं आयी है जिसपर अपराध संख्या 291/2000 धारा 416, 420, 467, 468 आई०पी०सी० दर्ज होने के बाद निर्दोष को फंसाने व प्रकरण को समाप्त करने की कोई कार्यवाही की जा रही है । मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत मऊ जनपद के 13 मामलों में तथा गाजीपुर जनपद के 13 मामलों में फर्जी तरीके से ऋण प्राप्त करने की बात निगम द्वारा सत्यापन करने के उपरान्त संज्ञान में आयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में निगम के एक कर्मचारी श्री नावेद हसन को निलम्बित कर जांच की कार्यवाही की जा रही है तथा संबंधित बैंकों के शाखा प्रबन्धकों, दोषी लाभार्थियों/व्यक्तियों तथा संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध एफ० आई० आर० सम्बन्धित थानों में दर्ज करायी जा चुकी है, जिसकी विवेचना चल रही है । निगम की जानकारी में इस प्रकार के जो भी प्रकरण आते हैं उनकी बृहद रूप से जांच-पड़ताल करके नियमानुसार कार्यवाही की जाती है । निगम की वित्तीय वर्ष 1994-95 तक की बैलेन्सशीट तैयार करके निदेशक मण्डल से दिनांक 30-12-1996 को ही अनुमोदित करायी जा चुकी है । 1995 के पश्चात टर्मलोन की स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण होने से अगले 5 वर्षों की बैलेन्सशीट तैयार करने में विलम्ब हुआ है जिसे वर्तमान में कार्य योजना बनाकर पूर्ण कराने की कार्यवाही प्रगति पर है । महालेखाकार कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 1999-2000 तक के व्यय आडिट का कार्य कराया जा चुका है । निगम का गठन 1984 में हुआ था । गठन के समय सीमित संख्या में पद स्वीकृत हुए थे । निगम का कार्य धीरे-धीरे बढ़ जाने के फलस्वरूप निगम की आवश्यकता के अनुसार कुछ कर्मचारियों को संविदा के आधार पर एक मुश्त वेतन पर रखकर कार्य लिया जा रहा है, जिनके वेतन में समय-समय पर बढ़ती हुई महंगाई आदि को ध्यान में रखकर बढ़ोत्तरी की जाती है । संविदा के आधार पर रखकर किसी कर्मचारी को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है ।]

जनपद संत रविदास नगर (भदोही) में बेसिक शिक्षा कार्यालय में लेखाधिकारी (वित्त) के न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[डा० पूर्णमासी पंकज, सदस्य, विधान सभा ने नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी नोटिस में यह कहा है कि नवसृजित जनपद सन्त रविदास नगर भदोही का गठन हुए लगभग 6-7 वर्ष हो गये हैं किन्तु अभी तक बेसिक शिक्षा कार्यालय में लेखाधिकारी वित्त की नियुक्ति न होने से प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के कार्मिकों एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को अपने देयों को प्राप्त करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और इसे वाराणसी कार्यालय से प्राप्त करना पड़ रहा है इसलिए इन कार्मिकों की परेशानी दूर करने हेतु जनपद सन्त रविदासनगर भदोही के बेसिक शिक्षा कार्यालय में लेखाधिकारी वित्त की नियुक्ति हेतु पद सृजन की कार्यवाही करने के संबंध में वित्त विभाग वक्तव्य दे ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2–शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग को यह अवगत कराया है कि प्रदेश के नवसृजित 13 जनपदों जिसमें जनपद सन्त रविदास नगर भदोही भी सम्मिलित है, के बेसिक शिक्षा कार्यालय में लेखाधिकारी व अन्य पदों के सृजन के संबंध में शिक्षा विभाग से एक प्रस्ताव वित्त विभाग को दिनांक 9-2-98 को भेजा गया था जिस पर वित्त विभाग ने यह टिप्पणी अंकित की थी कि शिक्षा विभाग पद सृजन के अपने प्रस्ताव पर प्रथमतः नियोजन विभाग का परामर्श प्राप्त कर लें और तद्नुपरान्त पद सृजन हेतु पत्रावली वित्त विभाग को भेजे । तद्नुसार शिक्षा विभाग के द्वारा अपनी पत्रावली में नियोजन विभाग की सहमति प्राप्त की जा रही है । नियोजन विभाग की सहमति प्राप्त न हो जाने के उपरान्त शिक्षा विभाग द्वारा प्रश्नगत पदों के सृजन के संबंध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी ।

3–इस प्रकार स्पष्ट है कि जब सन्त रविदास नगर (भदोही) के बेसिक शिक्षा कार्यालय में लेखाधिकारी का पद निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा सृजित करा लिया जायेगा तो उस पद के वेतनमान के अनुरूप वित्त विभाग द्वारा लेखाधिकारी की तैनाती के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी किन्तु जब तक पद सृजित नहीं हो जाता है तब तक इस कार्यालय के समस्त देयकों का भुगतान पूर्व व्यवस्था के अनुसार वाराणसी से ही सुनश्चित कराया जाता रहेगा ।]

जनपद चित्रकूट की तहसील कर्वी अन्तर्गत ग्राम–निही में अनुसूचित जाति कोलों की भूमि को बड़े काश्तकारों द्वारा अभिलेखों में फर्जी इन्द्राज कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री ददूदू प्रसाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[श्री ददूदू प्रसाद, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 18-5-2001 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में सूचित किया गया है कि जनपद चित्रकूट के तहसील कर्बी के ग्राम निही निवासी ददुवा पुत्र कुंवारे जाति कोल, अनुसूचित जाति की जमीन उसी गांव के निवासी श्री घनश्याम चन्द्र उर्फ छेदीलाल पुत्र महादेव द्वारा फर्जी ढंग से अपने नाम करा लिये जाने के संबंध में है ।

इस प्रकरण की जांच आख्या तथा अभिलेखों से यह स्पष्ट हुआ है कि भूखण्ड संख्या–267 रकबा 0.385 व 268 रकबा 0.508 कुल दो किता रकबा 0.893 का पट्टा श्री ददुआ पुत्र कुंवारे के नाम वर्ष 1392 फसली में किया गया था । इस भूखण्ड को संक्रमणीय भूमिधरी कहते हुए घनश्याम उर्फ छेदीलाल द्वारा अपर जिलाधिकारी, प्रशासन कर्बी के न्यायालय में धारा 198(4) के अन्तर्गत पट्टा निरस्तीकरण का वाद योजित किया गया जिसमें दिनांक 25-9-91 को वाद निस्तारित करते हुए पट्टा बहाल रखा गया । इस आदेश से क्षुब्ध होकर श्री घनश्याम उर्फ छेदीलाल द्वारा आयुक्त के यहां रिवीजन वाद प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त (प्रशासन) झांसी मण्डल झांसी ने निगरानी संख्या–12ए/56/73 वर्ष 91-92 घनश्याम चन्द्र आदि बनाम ददुआ आदि अन्तर्गत धारा 333 (ए) ज०वि०अधि० निर्णय दिनांक 4-8-1994 के द्वारा

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री घनश्याम उर्फ छेदीलाल के रिवीजन को स्वीकार किए जाने की संस्तुति राजस्व परिषद् से की । राजस्व परिषद् द्वारा श्री घनश्याम चन्द्र उर्फ छेदीलाल को भूमि से अपने आदेश दिनांक 22-9-94 के अन्तर्गत श्री घनश्याम उर्फ छेदीलाल का कब्जा न हटाये जाने के निर्देश दिये गये । श्री घनश्याम उर्फ छेदीलाल के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेखों में खाता संख्या–27/2/1366–71 फसली में 15 किता नंबरों को 28-14-00 भूमि अंकित करते हुये एक खाता कायम है । किन्तु उक्त वर्ष की खतौनी के बाद उक्त भूमि नंबरों का कोई खाता श्री घनश्याम चन्द्र उर्फ छेदीलाल के नाम दर्ज नहीं है । इसमें प्रथम दृष्टया अनियमितता प्रतीत होती है ।

अतः इस संबंध में समस्त प्रकरण की जांच मण्डलायुक्त, चित्रकूट मण्डल से कराई जा रही है । जांच परिणाम आने के पश्चात् ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और यथास्थिति दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।]

लोक निर्माण विभाग खण्ड–2, आगरा द्वारा की जा रही कथित वित्तीय अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री विजय पाल सिंह, नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य द्वारा सूचना दी गयी है कि लोक निर्माण खण्ड–2 के एक अधिशासी अभियन्ता ने वर्ष 2000-2001 में ए०आर०एस०आर० योजना के अन्तर्गत तहसील बाह एवं तहसील फतेहाबाद में अपने चहेते ठेकेदारों को फर्जी तरीके से लाखों रुपये का भुगतान कर भारी अनियमिततायें बरती हैं । कराये गये कार्यों की सूची, लेखा-जोखा मांगने पर एवं जिलाधिकारी के आदेशों के बावजूद भी कोई सूचना उन्हें उपलब्ध आज तक नहीं करायी गयी, जो कि एक खेद का विषय है ।

मुख्य अभियन्ता, आगरा से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2000-2001 में निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा तहसील बाह एवं फतेहाबाद में ए०-आर० तथा एस०आर० के अन्तर्गत नियमानुसार विस्तृत प्रचार-प्रसार के बाद निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम निविदा दाता से ही कार्य कराये गये हैं । अतः चहेते ठेकेदारों को फर्जी भुगतान नहीं किया गया है ।

मा० विधायक जी के विधान सभा क्षेत्र, फतेहाबाद से संबंधित समस्त कराये गये कार्यों की सूची व्यक्तिगत रूप में पत्रांक 888/46सी, दिनांक 21-4-2001 द्वारा निर्माण खण्ड–2 के अवर अभियन्ता श्री सतीश चन्द्र सौकिया द्वारा मा० विधायक जी को तथा उनके द्वारा भेजे गये विशेष वाहक को उपलब्ध करा दी गयी थी ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2–मा० विधायक जी द्वारा अपनी सूचना में कहा गया है कि उनके विधान सभा क्षेत्र, फतेहाबाद के अन्तर्गत दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत छूटे हुए एक हजार तक की आबादी वाले ग्रामों को चयनित किए जाने के बावजूद अभी तक निर्माण कार्य नहीं कराए गये हैं ।

इस संबंध में स्थिति यह है कि दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा सहमति प्रदान किये गये एक हजार से अधिक आबादी वाले कार्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तथा एक हजार से कम परन्तु 500 से अधिक आबादी वाले कार्यों को आर०आई०डी०एफ० फेज–7 के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नोडल विभाग, ग्राम्य विकास विभाग है, इस योजना के अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृति होने पर निर्माण कार्य कराया जा सकेगा ।

3–मा० विधायक जी द्वारा अपनी सूचना में कहा गया है कि चमरौली से मंझारा सम्पर्क मार्ग तथा एत्मादपुर अजनेरा से कुतुबपुर रोहई सम्पर्क मार्गों पर ककुआ नाले पर पुलों का निर्माण न होने से जनता को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अधूरे पड़े सम्पर्क मार्गों को लेपन स्तर तक कार्य कराये जाने हेतु विभिन्न नियमों के तहत सदन के संज्ञान में लाये जाने के बावजूद अभी तक कोई भी कार्यवाही न होना खेद का विषय है ।

इस बारे में उल्लेखनीय है कि चमरौली से मंझारा सम्पर्क मार्ग तथा एत्मादपुर अजनेरा से कुतुबपुर रोहई सम्पर्क मार्ग पर ककुआ नाले पर पुलों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।]

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–1, लो०नि०वि०, गोरखपुर द्वारा की जा रही कथित अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के संबंध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य द्वारा सूचना दी गई है कि श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर के चलते खुलेआम लूट हो रही है । उनकी सेवानिवृत्ति थोड़े ही समय शेष होने के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है । पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत डी०सी०एल० में प्राप्त धन का भुगतान न कर धन की अनावश्यक कटौती कर निक्षेप लेखे में डाल दिया गया है । घोर अनियमितता की है । फर्जी बिलों का भुगतान ठेकेदारों को मिलाकर करते हैं । यह कभी अकार्यकारी खण्डों में तैनात नहीं रहे और जोड़-तोड़ कर कार्यकारी खण्डों में रहकर सरकारी धन का दुरुपयोग किये हैं ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर से प्राप्त सूचनानुसार श्री वर्मा, निर्माण खण्ड–1, गोरखपुर में दि० 14-08-98 से दि० 02-12-2000 तक कार्यरत रहे और उसके बाद निर्माण खण्ड–1, गोरखपुर से स्थानान्तरित हो गये । श्री वर्मा की सेवानिवृत्ति की तिथि 31-07-2002 है । मा० सदस्य ने दिनांक 18-05-2001 को सूचना दी है और उसके पूर्व ही श्री वर्मा निर्माण खण्ड–1 से स्थानान्तरित हो चुके हैं । जनपद गोरखपुर में वर्ष 1998-99 में पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत 05 मार्गों के निर्माण कार्यों के लिए डी०आर०डी०-ए० से कुल रु० 192.60 लाख की धनराशि निर्माण खण्ड–1, गोरखपुर को प्राप्त हुई थी । इस राशि के विरुद्ध अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर वृत्त द्वारा इतनी ही राशि 192.60 लाख की डी०सी०एल० जारी की गयी । नवम्बर, 2000 तक, जब श्री वर्मा इस खण्ड से अवमुक्त हुए, इन कार्यों पर रुपये 165.33 लाख का व्यय किया जा चुका था । पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत जारी की गयी डी०सी०एल० अवशेष नहीं हैं और इस कारण योजना के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों के भुगतान में कठिनाई हो रही है । उक्त संदर्भ में यह भी अवगत कराना है कि वर्ष 98-99 में जिला योजना के निर्माण कार्यों हेतु मार्च, 99 में प्रमुख अभियन्ता के पत्र दि० 31-03-99 द्वारा रु० 189.37 लाख की साख सीमा जारी की गयी थी, यह साख सीमा गोरखपुर स्थित तीन खण्डों के लिए थी । इसमें निर्माण खण्ड–1, गोरखपुर का अंश रु० 45 लाख था । साख सीमा सम्बन्धी प्रमुख अभियन्ता का उक्त पत्र दि० 31-2-99 को प्राप्त हुआ और अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, गोरखपुर द्वारा उक्त साख सीमा को संज्ञान में लेते हुए इसके विरुद्ध जिला योजना के कार्यों के भुगतान हेतु चेक जारी किया गया । प्रमुख अभियन्ता के उक्त पत्र की प्रति कोषाधिकारी गोरखपुर को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अप्रैल, 99 में प्राप्त हुई जिससे कोषाधिकारी द्वारा भुगतान अस्वीकार कर दिया गया । परिणामस्वरूप बदली हुई परिस्थितियों में अधिशासी अभियन्ता द्वारा उक्त चेकों का भुगतान पूर्वांचल विकास निधि योजना के अन्तर्गत उपलध डी०सी०एल० से किया गया । श्री वर्मा अस्थाई सर्वेक्षण खण्ड, बाराबंकी, मार्ग सर्वेक्षण खण्ड, फैजाबाद तथा ब्रिज डिजाइन डिवीजन, लखनऊ में पदस्थ रहे हैं ।

2–मा० सदस्य ने यह भी कहा है कि इनको शासन स्तर पर संरक्षण प्राप्त है और कई बार सदन में प्रकरण लगातार उठ रहा है परन्तु रिपोर्ट अपने पक्ष में भिजवाकर कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन कर रहे हैं । लखनऊ में बिना अनुमति के मौजूद रहते हैं । इनकी सम्पत्ति की जांच करा ली जाए । सी०बी०आई० जांच होने पर स्थिति स्पष्ट हो जायेगी । इनके कार्य व्यवहार से कर्मचारी आन्दोलित हैं और आक्रोश व्याप्त है । स्थिति विस्फोटक हो सकती है । इनको हटाकर तत्काल जांच कराई जाए ।

मा० सदस्य के उक्त तथ्यों के संदर्भ में मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर ने सूचना दी है कि बिना अनुमति के अनधिकृत रूप से लखनऊ में रहने के तथ्य उनके संज्ञान में नहीं है । श्री वर्मा को हटाने, कर्मचारियों के आन्देलित होने, स्थिति विस्फोटक होने के विषय में अवगत कराया है कि वह खण्ड से 02-12-2000 को अवमुक्त हो गये हैं और उनके कार्यकाल में कर्मचारियों का कोई असन्तोष नहीं था और न ही अब उनके कार्यमुक्त होने के बाद असन्तोष है । अतः स्थिति विस्फोटक होने का कोई प्रश्न ही नहीं है । शासन स्तर से संरक्षण प्राप्त होने और रिपोर्ट पक्ष में भिजवाने का कथन सही नहीं है । श्री वर्मा के परिसम्पत्तियों के संबंध में सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराई जा चुकी है जिसकी जांच आख्या मई, 1998

में प्राप्त हुई है । जांच में श्री वर्मा को मुख्यतः कर्मचारी आचरण नियमावली के प्राविधानों का उल्लंघन के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया है जिसकी अनुशासनिक जांच संस्थित है और मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर द्वारा जांच की जा रही है ।]

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं । कल दिनांक 29-5-2001 को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 26 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ : **राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,**

दिनांक 28 मई, 2001 सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं०–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 4 पर)

संलग्नक–''क''

9वीं पंचवर्षीय योजना में जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनायें :–

1–रिहन्द (6×50 मेगावाट)

2–छिबरो (4×60 मेगावाट)

3–खोदरी (4×30 मेगावाट)

4–चीला (4×36 मेगावाट)

5–माताटीला (3×10.2 मेगावाट)

10वीं पंचवर्षीय योजना में जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनायें :–

1–ओबरा (3×33 मेगावाट)

2–तिलोथ (3×30 मेगावाट)

3–खटीगा (3×13.8 मेगावाट)

4–ढकरानी (3×11.2 मेगावाट)

5–ढालीपुर (3×17 मेगावाट)

6–पथरी (3×6.8 मेगावाट)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता० प्र० सं०–21 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 31 पर)

जनपद चित्रकूट में हाट शाखा द्वारा संचालित गेहूं खरीद केन्द्रों से संबंधित

क्र०सं०	खरीद केन्द्र	लक्ष्य मै० टन में	खरीद प्रारम्भ होने की तिथि	कुल खरीद	उपलब्ध बोरों की सूचना		उपलब्ध धनराशि की सूचना	
					दिनांक	बोरों की संख्या	दिनांक	धनराशि (लाख रु०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कर्वी	300	28-4-2001	216.3	प्रा० अव०	1520	6-4-2001	0.01
					9/5	5000	24-4-2001	2.0
					16/5	12500	3-5-2001	1.45
							8-5-2001	1.45
							14-5-2001	2.99
							19-5-2001	3.35
	योग :–	300		216.3		19020		11.25

उत्तर प्रदेश विधान सभा

2	मानिकपुर	100	29-4-2001	126.3	प्रा० अव०	760	23-3-2001	0.01
					2/5	500	27-4-2001	1.0
					10/5	1000	10-5-2001	2.99
					18/5	500	22-5-2001	3.15
					21/5	500	—	—
	योग :–	100		126.3		3260		7.15
3	मऊ	100	29-4-2001	57.6	29/4	500	23-3-2001	0.01
					12/5	500	24-4-2001	1.00
							10-5-2001	1.13
							18-5-2001	4.03
	योग :–	100		57.6		1000		6.17
	महायोग :–	500		400.2		23280		24.57

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद चित्रकूट में पी०सी०एफ० द्वारा संचालित गेहूं खरीद केन्द्रों से संबंधित सूचना

क्र० सं०	नाम खदीद केन्द्र	लक्ष्य मै० टन में	खरीद प्रारम्भ करने की तिथि	कुल खरीद	उपलब्ध कराये गये बोरों का विवरण					कुल योग	उपलब्ध कराई गई धनराशि का विवरण (लाख रुपये में)								
					प्रा० अव०	24/4	1/5	5/5	14/5		23/4	28/4	1/5	4/5	10/5	14/5	21/5	24/5	योग
1	सी०एम०एस० कर्वी	500	14-4-2001	219.8	485	500	1500	1500	1500	5485	0.50	—	2.0	1.0	1.0	1.5	5.5	2.0	13.5
2	चकौध	100	28-4-2001	141.2	—	500	—	1500	1000	3000	0.20	—	—	2.0	—	1.5	3.0	2.0	8.7
3	रामनगर	100	3-5-2001	68.1	1000	—	—	1000	1000	3000	0.10	—	—	—	1.0	1.0	0.5	1.0	3.6
4	वियावल	100	22-4-2001	106.7	558	—	1000	—	3500	5358	—	—	2.0	—	0.5	1.0	—	2.0	5.5
5	बरगद	300	21-4-2001	177.8	—	1000	1000	1000	2000	5000	0.50	2.0	3.0	—	2.5	0.5	1.0	1.0	10.5
6	पहाड़ी (उत्तरी)	100	3-5-2001	109.6	255	—	500	500	1000	2255	0.20	—	0.3	—	1.0	1.0	2.5	1.0	6.0
7	सरैया	100	1-5-2001	25.0	—	500	—	500	—	1000	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	1.0
8	राजापुर	100	2-5-2001	30.7	308	—	500	—	500	1308	0.10	—	0.5	—	—	0.5	0.5	—	1.6
9	इटखरी	100	3.5.2001	99.9	—	500	—	1000	500	1000	—	—	0.5	—	1.0	1.0	1.5	1.0	5.0
	योग :	1500	—	978.8	2906	3000	4500	7000	11000	284.06	1.60	2.0	8.8	3.5	7.0	8.0	1.5	10.5	55.4

पी० एस० यू० पी० एल० 362 विधान सभा (608)–2002–813 प्रतियां ।

अवैध वेबसाइट विधान सभा